कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास
को समर्पित

वर्ष 51 अंक : 5 मार्च 2005 मूल्य : सात रुपये

महिला सशक्तिकरण

राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्य योजना

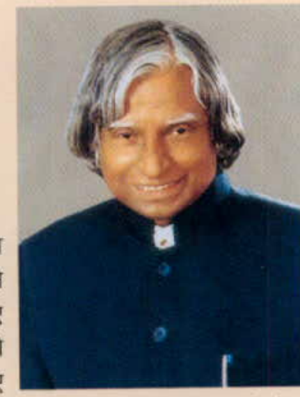

(राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के भाषण के मुख्य अंश)

राष्ट्रीय रोजगार स्थिति

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए संसद के पिछले सत्र में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार स्कीम बिल–2004 प्रस्तुत किया गया था। बेरोजगार युवाओं को लाभकारी और निरंतर रोजगार स्कीम के साथ जोड़ने के लिए एक समन्वित योजना बनाना ही इस बिल का उद्देश्य है।

योजना आयोग के अनुमान के अनुसार इस समय करीब 40 करोड़ लोग रोजगार पाने के हकदार हैं। इनमें से 9 प्रतिशत लोग अर्थात तीन करोड़ 60 लाख लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में लगे 10 प्रतिशत लोगों के लिए मूल्य संवर्धित रोजगार ढूंढने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमारा प्रयास लगभग 7 करोड़ साठ लाख लोगों के लिए लाभकारी रोजगार पैदा करने का होना चाहिए। इससे हमारी उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और हम दस वर्षों तक सकल घरेलू उत्पाद की 10 प्रतिशत विकास दर कायम रख पाएंगे। भारत को 2020 तक एक विकसित देश बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है।

एक अरब जनसख्या वाला हमारा राष्ट्र जो अनाज निर्यात करने में सक्षम है, जो अपने सॉफ्टवेयर उत्पादों और सेवाओं के लिए जाना जाता है, जो स्वयं अपनी एयरोस्पेस प्रणाली और परमाणु बिजली संयत्र बना सकता है, जो औषधि और ऑटोमोबाइल उद्योग और कारोबार में आगे बढ़ रहा है, उसका प्रबुद्ध वर्ग एक साथ मिलकर सात करोड़ लोगों को लाभकारी रोजगार दिलवाने के लिए बहुत सी नवीन धन अर्जक योजनाएं बनाने में सक्षम है।

रोजगार उत्पादन

सतत राष्ट्रीय विकास के लिए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और ऊर्जा सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इनके प्रमुख तत्त्व पुरा के ही तीन संयोजन हैं। प्रसंस्करण और विनिर्माण द्वारा कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि इनमें से एक है, जिससे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसान या तो अकेले या अपनी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कच्चे माल की बजाय संसाधित और मूल्य संवर्धित माल की बिक्री कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा मूल्य संवर्धन अपने आप में इस बात का संकेत है कि समाज समृद्धि और ज्ञानपूर्ण युग की ओर बढ़ रहा है।

जैव ईंधन का उत्पादन

हमारे देश में करीब 6 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि पड़ी है। इसमें से 3 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण के लिए है। इस बंजर भूमि में बहुत कम साधनों से कुछ बहुउद्देशीय जैव ईंधन पौधे लगाए जा सकते हैं। इन पौधों की आयु पचास वर्ष होती है। दो वर्ष के भीतर इन पौधों में फल आ सकते हैं।

उदाहरण के लिए एक करोड़ दस लाख हेक्टेयर बंजर भूमि में उगाए गए जैव ईंधन पौधों से हर वर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपये की आय अर्जित की जा सकती है और वृक्षारोपण और निष्कर्षण संयंत्र चलाने के लिए एक करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। इससे कच्चे तेल, जिसकी लागत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निरंतर बढ़ रही है, के आयात के लिए दी जाने वाली विदेशी मुद्रा में भी कमी आएगी। जैव ईंधन कार्बन मोनो ऑक्साइड से मुक्त है। इस तेल का साबुन और मोमबत्ती उद्योग में भी उपयोग किया जा सकता है। तेल रहित टिकिया वनस्पति खाद्य के लिए कच्चा माल है और वृक्षारोपण भी शहद के उत्पादन के लिए बढ़िया है। हमें विश्व की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियां अपनानी चाहिए और अभी से इसकी वाणिज्यिक प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। एक करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि में जैव ईंधन वृक्षारोपण से लेकर उत्पादन तक कुल निवेश के लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। संयंत्र के लिए आवश्यक उपकरण, मशीनरी और पूंजी, बैंक ऋण निजी क्षेत्र के उद्यमियों से मिल सकती है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में जैव ईंधन वृक्षारोपण, पौध निर्माण, ऊतक संवर्धन और अविषैली संकर किस्मों का विकास किया जा रहा है। वहां स्वदेशी अभिकल्पना और विकास के जरिए बीजों के प्रसंस्करण से लेकर जैव ईंधन उत्पादन पर भी काम हुआ है। आणंद कृषि विश्वविद्यालय, आणंद ने भी गुजरात में जैव ईंधन कृषि और प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रगति की है। देश के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्यवर्ती अनेक राज्यों में जैव ईंधन पौधे उगाए जा सकते हैं।

बंजर भूमि विकास अवसर

इक्रीसेट ने बंजर क्षेत्रों में कार्य के अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से हमारे किसानों के लाभ के लिए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण फसलों की अल्पावधि, रोग और सूखा रोधी किस्में विकसित की हैं। उन्होंने सूखे के दौरान उपज बढ़ाने के लिए भी जुताई की अनेक विधियां और पोषण प्रबंधन तकनीकें प्रस्तुत की हैं। इस प्रौद्योगिकी से हम लाभकारी कृषि के लिए, आवंटित तीन करोड़ 30 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि में से 50 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बना सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे एक करोड़ 50 लाख लोगों को शुष्क भूमि खेती में काम पर लगाया जा सकेगा।

जल संचयन और पुनर्चक्रण

जल संचयन सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। जल स्तर बढ़ाने के लिए, हमें रोधक बांध बनाने, जलशालाएं विकसित करने, तालाबों और नदियों की गाद निकालने, तालाबों और जलाशयों के प्रवेश और निकास मार्गों की सफाई और कुओं को फिर से उपयोग में लाने की आवश्यकता है। यदि हमारे गांवों में जलाशय होंगे, तो कुओं में पानी अपने आप भर जाएगा। यह कार्य श्रम आधारित है और इस स्कीम के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन से तीन या चार वर्ष तक 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस स्कीम से जलाशयों की जल संग्रहण क्षमता, क्षेत्र की भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी।

बांस मिशन

इस मिशन में, बांस की किस्मों के वृक्षारोपण का विस्तार, वैज्ञानिक प्रबंधन, सामुदायिक स्तर पर मूल्य संवर्धन और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का एक समेकित कार्यक्रम शामिल है। इससे उद्योगों को कच्चा माल मिल सकेगा और उद्योग विश्वस्पर्द्धी उन्नत बांसों के उत्पादन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त कर, उसे प्रयोग में ला सकेगा। इसमें रोजगार वृद्धि और स्थानीय छोटे उद्यमियों के लाभ के लिए छोटी मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना शामिल है। देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों तक कच्चे माल को पहुंचाने की लागत को कम करने के लिए, उद्योग और हस्तशिल्प क्षेत्र को अधिकतम प्रयोग हेतु अनुकूल प्रसंस्कृत कच्चे माल की आवश्यकता होगी।

कार्यक्रम में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में बांस उगाने, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और व्यापार बढ़ाने के लिए नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। इन

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 51 ● अंक : 5 ● पृष्ठ : 48

फाल्गुन–चैत्र 1926–27

मार्च 2005

संपादक
स्नेह राय

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार

संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23015014,
फैक्स : 011–23015014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद

दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण
राहुल शर्मा

सज्जा
संतोष कुमार सिंह

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

● कृषक महिला सशक्तिकरण और प्रसार तंत्र	रूपसी तिवारी और बी.पी. सिंह	4
● महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण	सोना दीक्षित और अरुण कुमार दीक्षित	9
● महिला सशक्तिकरण : प्रयास और लक्ष्य	डा. अलका रस्तोगी	12
● महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण समाजशास्त्रीय अध्ययन	डा. रमेश एच. मकवाणा	14
● महिला सशक्तिकरण और आरक्षण	प्रकाश नारायण नाटाणी	17
● महिला विकास : अब तक के प्रयास	हेना नकवी	19
● महिला सशक्तिकरण	प्रतापमल देवपुरा	22
● महिला शिक्षा के अनसुलझे पहलू	डा. चन्द्रपाल	25
● पंचायती राजः महिलाओं की भूमिका	एम.एल. अग्रवाल और मयंक मोहन	28
● महिला कल्याण एवं विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम और नीतियां	डा. इन्दु पाठक	30
● ग्रामीण महिलाएं और आर्थिक विकास	डा. शारदा सिंह	34
● युवा महिलाओं में एड्स का बढ़ता प्रकोप	डा. सूर्य भान सिंह	35
● ब्यूटी पार्लर : एक उभरता व्यवसाय	अनिता वर्मा	37
● जल संकट और राष्ट्रीय जल नीति	हरप्रीत कौर	38
● जल संरक्षण : महती आवश्यकता	जेठाराम	41
● संकट के समय जल रिजर्व फंड	हरिश्चन्द्र व्यास	42
● जल निधि संरक्षण राष्ट्रीय एवं सामाजिक दायित्व	घनश्याम वर्मा	44
● राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन	–	45
● ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल	–	46
● सूरजकुंड मेला	जिल्ले रहमान	47

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

अनोखी पत्रिका

दिसंबर 2004 का अंक एक दोस्त के माध्यम से मिला 'डा. नीता गुप्ता' और 'शिवेन्द्र कुमार पांडे' द्वारा लिखित पर्यावरण संबंधित लेख काफी अच्छे लगे। इसमें 'नवीन पंत' का 'मानवाधिकार संरक्षण', और डा. राजेन्द्र कुमार कनौजिया का 'कृत्रिम अंगों का संसार' से मुझे काफी जानकारी मिली। मुझे इस ढंग की पत्रिका जिन्दगी में पहली बार मिली। इस तरह की पत्रिका प्रकाशित करने वाली सारी टीम (सदस्यों) को नव वर्ष 2005 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अति पिछड़े ग्रामीण इलाके में रहता हूं। इसमें ग्रामीण योजनाओं की भी जानकारी देते रहें ताकि हम उनसे लाभ उठा सकें।

कविन्द्र कुमार
जिला–अरवल, बिहार–804421

प्रतियोगियों के लिए कारगर

मैं *कुरुक्षेत्र* का नियमित पाठक हूं। दिसंबर अंक में प्रकाशित पर्यावरण पर विशेष सामग्री काफी अच्छी थी यह पत्रिका खासकर सिविल सर्विसेज तैयारी करने वालों के लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार की हर एक योजना के बारे में भी जानकारी दें ताकि युवा वर्ग पढ़कर उस योजना का लाभ उठा सकें और दूसरे लोगों को भी योजना के बारे में जानकारी दे सकें। यह पत्रिका बहुत सस्ती और बहुत उपयोगी है *कुरुक्षेत्र* के सारे सदस्यों को नववर्ष 2005 का हार्दिक शुभकामनाएं।

नागेन्द्र कुमार
जिला–जहानाबाद, बिहार–804421

हर पृष्ठ लाजवाब

कुरुक्षेत्र का दूसरा अंक बहुत ही ज्ञानवर्द्धक तथा शिक्षाप्रद लगा। पर्यावरण संबंधी लेख बहुत उपयोगी थे। *कुरुक्षेत्र* पत्रिका का हर पृष्ठ लाजवाब है तथा इसका मूल्य भी इतना कम है कि आम पाठक भी इस पत्रिका को खरीदकर पढ़ सकता है। इस पत्रिका में पर्यावरण के अलावा योग तथा एड्स पर भी अच्छी जानकारी दी गयी है। आदिवासियों का सचित्र वर्णन भी अच्छा लगा जिससे हमें आदिवासियों के बारे में जानकारी मिली। *कुरुक्षेत्र* में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है ऐसी ज्ञानवर्द्धक महत्वपूर्ण जानकारी दूसरी पत्रिका में दूढ़ने से भी नहीं मिलेगी।

कुरुक्षेत्र पत्रिका सभी तरह से प्रशंसा के लायक है। यह पत्रिका जीवंत उपयोगी बने, मेरी ओर से शुभकामनाएं।

असित समद्दार 'शशि'
नेताजीनगर, उधमसिंहनगर

नवीन दृष्टि का सूत्रपात

स्वनामधन्य मासिक *कुरुक्षेत्र* का वर्षान्त दिसंबर 2004 अंक पढ़ा। वर्तमान में सर्वाधिक विचारणीय व ज्वलंत मुद्दों में से एक 'पर्यावरण' पर केन्द्रीय यह अंक अति सराहनीय है। प्राचीनता की प्राचीर से वर्तमान के वजूद तक के पर्यावरण विवरण तथा विकास को लेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया वास्तव में प्रशंसनीय है। शेष लेख भी अति रोचकता से पूर्ण हैं। इस अंक ने सचमुच एक नवीन दृष्टि का सूत्रपात किया है। अब हमें भी 'Green Governance' अवधारणा को विकसित कर संकल्प लेना होगा।

राकेश कुमार दूबे
जिला–मऊ, (बिहार)

मील का पत्थर

ग्रामीण विकास मंत्रालय की पत्रिका *कुरुक्षेत्र* ग्रामीण विकास को पूर्ण समर्पित है। गांवों के तमाम विकास कार्यों जिनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं यह पत्रिका अवगत कराती है तथा उन स्थानों जहां हम पहुंच नहीं सकते वहां के लोगों से भी मुलाकात कराती है। तमाम विद्वानों के विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने का श्रेय *कुरुक्षेत्र* पत्रिका को जाता है जिसमें लेखक अपने शोध कार्यों को प्रस्तुत कराता है। स्वास्थ्य संबंधी लेख हमें ज्ञान के साथ दीर्घजीवी बनाते हैं। हम जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए यह मील का पत्थर है। *कुरुक्षेत्र* की सहज उपलब्धता हमारे हृदय को मोह लेती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसी अमूल्य पत्रिका प्रकाशित कर हमें कृतज्ञ किया है। इसी तरह *कुरुक्षेत्र* हमें ज्ञान अर्पण करती रहेंगी ऐसी हमें प्रबल आशा है।

अनूप मिश्र 'बैरानी'
जिला–बस्ती (उ.प्र.)

कुरुक्षेत्र संजीवनी

मैं *कुरुक्षेत्र* मासिक पत्रिका का नियमित पाठक हूं। यह पत्रिका मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यह रोचक एवं उत्कृष्ट जानकारी से परिपूर्ण है तथा सिविल सेवा परीक्षा हेतु उपयोगी भी है। इसका दिसंबर 2004 का 'पर्यावरण' अंक पढ़ा। इसके द्वारा पर्यावरण एवं अन्य विषयों पर अच्छी जानकारी प्राप्त की। अजीत कुमारजी का एड्स : जानकारी और जागरूकता लेख सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आज समस्त संसार और हमारे देश में प्रदूषण एवं एड्स ज्वलंत समस्याएं है जिनके कारण समस्त जीव–जंतुओं का जीवन खतरे में है। इस पत्रिका में प्रदूषण तथा एड्स की रोकथाम के लिए कारगर उपाय सुझाए गए हैं। अतः यह पत्रिका 'संजीवनी' सिद्ध हुई है। इसी प्रकार आगे और अच्छी जानकारियों से हम पाठकों को परिचित कराते रहें।

सईद हसन
झींझक, कानपुर (देहात), (उ.प्र.)

सुंदर और मनमोहक

कुरुक्षेत्र का दिसंबर, 2004 का आवरण पृष्ठ काफी सुंदर और मनमोहक लगा। शिवेन्द्र कुमार पांडे का लेख, 'ऐतिहासिक संदर्भ में पर्यावरण प्रदूषण' पढ़कर लगा कि वास्तव में 'सभ्यताएं जंगलों का अनुसरण करती हैं, परंतु अपने पीछे रेगिस्तान छोड़ जाती हैं। 'डा. नीता गुप्ता का लेख, 'गांवों में प्रदूषण का बढ़ता कहर रोकथाम के उपाय' पढ़ा जो गांवों के साथ–साथ शहरी प्रदूषण के रोकथाम के लिए अधिक उपयोगी लगा। डा. नरेन्द्र पाल सिंह, नवनीत कुमार राजपूत का लेख 'पर्यावरण प्रदूषण : कारण और निवारण' में डाली गई सूक्ष्म दृष्टि जनोपयोगी सिद्ध होगी।

प्रेस सूचना कार्यालय से साभार प्रकाशित लेख 'पर्यावरण–सुधार के लिए पर्यावरण कार्यदल' पढ़कर मन काफी रोमांचित हुआ।

प्रबल प्रताप सिंह
183/6, शास्त्रीनगर, जिला–कानपुर (उ.प्र.)

'नारी तुम केवल श्रद्धा हो'

संपादकीय

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'

भारत का दीर्घकालीन इतिहास है, अन्य कई देशों से भी अधिक दीर्घ जिसमें नारी के प्रति व्यवहार में प्रशंसा और श्रद्धा से तिरस्कार और दुर्व्यवहार, तक अस्थिरता दर्ज है। वैदिक साहित्य के प्रमाण बताते हैं कि महिलाओं के साथ बेहतर बर्ताव किया जाता था और उन्हें अधिक अधिकार प्राप्त थे। अदिति, लोपमुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा और अपाला जैसी असाधारण प्रतिभाशाली महिलाओं की शिक्षा का स्तर उस युग के शिक्षित पुरुषों के समकक्ष था। मनीषी यज्ञवालक्य ने वयस्क महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता दी। गार्गी ने तो अपनी शर्तों पर ही एक मनीषी को अपने पति के रूप में वरण किया।

पौराणिक और उसके बाद के समय में महिलाओं की स्थिति को निम्नतर बना दिया गया। हिन्दू आधिपत्य समाज में महिलाओं की स्थिति शोचनीय थी। अन्य धर्मों में भी अधिक उदारवादी दृष्टिकोण के बावजूद महिलाओं की स्थिति अधिक भिन्न नहीं थी।

स्वाधीनता आंदोलन से उत्साहित और समाज सुधारकों के समर्पित प्रयासों द्वारा विगत सौ वर्षों ने पिछली कई शताब्दियों से महिलाओं के विरुद्ध की गई गलतियों के सुधार हेतु प्रयत्नशील पुनरुत्थानशील भारत को देखा है। स्वतंत्रता आन्दोलन में अनेक उच्च मेधावी महिलाओं के साथ-साथ सामान्य महिलाओं ने भी भाग लिया और आंदोलन की अगली कतार में रहीं। भारतीय इतिहास के इस दौर के अनुभवों से पश्चिमी शिक्षा और उदार आदर्शों की बढ़ती जानकारी महिलाओं के भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने की जरूरत पर अन्तराष्ट्रीय ध्यान से देश के भीतर सामाजिक चेतना में वृद्धि हुई।

इक्कीसवीं शताब्दी के आगमन ने देश के नियोजित विकास को रेखांकित किया है। इस अवधि में महिला केन्द्रित योजनाएं आईं और महिलाओं के विकास संबंधी मुद्दों को अधिक गम्भीरतापूर्वक लिया गया। पिछले दो दशकों में विशेषकर नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रयासों को तीव्र किया गया और राष्ट्र के विकास में महिला अधिकारिता को विशिष्ट लक्ष्य के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। बालिकाओं/महिलाओं की शिक्षा हेतु योजनाओं के अलावा स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाएं, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार योजनाएं, मजदूरी तथा स्वरोजगार सहायता योजनाएं, गरीब महिलाओं के समूह की आर्थिक गतिविधियों के लिए लघु ऋण जैसे निवेश कार्य प्रारंभ किए गए हैं। अधिकारिता के माध्यम से महिलाओं के विकास का ताजा उदाहरण हैं। महिलाओं को संगठित करने की यह प्रक्रिया असंगठित महिलाओं की सामाजिक लामबंदी को पूर्वापेक्षित तथा साथ ही आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारिता का पूरक माना जाता है। महिला संगठनों की गतिविधियों तथा दबाव के द्वारा न केवल उन्हें आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हुए हैं बल्कि बड़े पैमाने पर महिलाओं की अधिकारिता तथा लिंग समानता की दिशा में बढ़ने तथा उनकी स्थिति बेहतर करने पर केन्द्रित राष्ट्रीय विधानों और नीतियों को आकार प्रदान किया है।

परिणामस्वरूप, आज उनके संवैधानिक एवं अन्य अधिकारों के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामाजिक और आर्थिक विकास तथा राजनैतिक निर्णय लेने आदि कई क्षेत्रों मे लिंग भेद कम हुआ है।

'नारी कल अबला थी, आज सबला है'

कृषक महिला सशक्तिकरण और प्रसार तंत्र

रूपसी तिवारी और बी.पी. सिंह

इतिहासकार मानते है, कि सभ्यता के आरंभ में सर्वप्रथम महिलाओं ने ही कृषि कार्य प्रारंभ किया एवं पशुओं को अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पालना प्रारंभ किया। विकासशील देशों में सदियों से ही ग्रामीण महिलाएं कृषि एवं पशुपालन कार्य में सर्वाधिक योगदान कर रही हैं। आकड़े दर्शाते हैं कि भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन के कार्य से अपनी जीविका अर्जित करती है, एवं कार्य करने वाली कुल महिलाओं का 84 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन में संलग्न है। परन्तु हमारी कृषि नीति की यह गलत धारणा बनी हुई है सभी भारतीय कृषक पुरुष ही है। कृषि एवं ग्रामीण विकास की नीतियों को बनाने एवं लागू करने में महिलाओं के योगदान को अनदेखा किया गया है। अधिकांश कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम, सूचनायें, जानकारी एवं तकनीक पुरुष कृषकों को प्रदान की गई हैं। प्रसार शिक्षा कार्यक्रम भी पुरुषों पर केन्द्रित कर चलाए गये हैं। विश्व बैक द्वारा भारत में चलाई गईं विभिन्न योजनाओं जैसे ट्रेनिंग एण्ड विजिट सिस्टम आदि ने भी पूर्णरूप से पुरुष कृषकों पर ही ध्यान दिया एवं कृषक महिलाओं की अनदेखी की गई। अधिकतर कृषि एवं पशुपालन तकनीक जैसे कि पशुओं को संतुलित आहार खिलाना, दुग्ध दोहन, पशु उत्पादों को निर्मित करना, नवजात बछड़ों की उचित देखभाल, पशु चारे की गुणवत्ता बढ़ना, खीस पिलाने का महत्व आदि का हस्तान्तरण पुरुष कृषकों तक ही किया गया जबकि विभिन्न अनुसंधानों के परिणाम दर्शाते हैं कि ये सभी कार्य महिलाओं के द्वारा ही किये जाते हैं।

पशुधन के संर्वागीण विकास एवं पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें सर्वप्रथम पशुपालक महिलाओं का चहुंमुखी विकास करने के साथ-साथ उन्हें शक्ति सम्पन्न बनाना होगा, जिससे वे अपने सभी आवश्यक निर्णय स्वयं ले सकें। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के प्रारंभ से ही सरकार का ध्यान महिलाओं की ओर आकर्षित हुआ तदोपरांत राष्ट्रीय महिला कमीशन (1990) का गठन हुआ। इस कमीशन का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना है। इन सभी प्रयासों के पश्चात भी आज महिलाओं की स्थिति दयनीय एवं शोचनीय बनी हुई है। देश में आज भी अधिकांश महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं। सिर्फ नीतियों के निर्धारण से ही महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता है, इन नीतियों को लागू करने एवं ग्रामीण समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने की, ताकि उनके सशक्तिकरण के लिए मार्ग प्रशस्त हो।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र की मुख्य बाधायें हैं – महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा, अधिकारों के प्रति उदासीनता, आर्थिक निर्भरता, तकनीकी अज्ञानता, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता, सामाजिक कुरीतियां एवं विचार तथा पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व। प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों के पुनर्प्रतिरूपण की। अधिक आवश्यकता है, एक महिला प्रसार तंत्र बनाने की जिसका मुख्य उद्देश्य हो महिलाओं का सार्वभौमिक सशक्तिकरण। इस लेख में महिलाओं का कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में योगदान एवं कुछ सुझाव जिनसे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान की जा सकती है।

कृषि एवं पशुपालन में योगदान

विभिन्न अनुसंधानों के परिणामों से यह सिद्ध हो चुका है कि, कृषि एवं पशुपालन कार्यों में महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा अधिक योगदान है। महिलाओं की विश्व आर्थिक रूपरेखा दर्शाती है कि महिलाएं विश्व की जनसंख्या का 50 प्रतिशत है एवं कुल श्रमबल की 30 प्रतिशत। महिलाएं विश्व के कुल कार्यसमय का 6.6 प्रतिशत कार्य करती हैं, एवं विश्व की कुल आय का 10 प्रतिशत प्राप्त करती हैं। विश्व की कुल सम्पत्ति का सिर्फ 1 प्रतिशत महिलाओं के पास है।

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट (1980) भी इसी तरह के आकड़े दर्शाती है जिसमें महिलाएं विश्व के कुल कार्य का 2/3 भाग कार्य करती है एवं 1/10 भाग आय प्राप्त करती है। वे विश्व के कुल का 2/3 हिस्सा हैं एवं उनके पास विश्व की सम्पत्ति का एक प्रतिशत है। कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अधिक श्रम एवं समय प्रदान करती है। परन्तु कम लाभ प्राप्त करती हैं। महिलाओं के कार्य एवं विचारों को कम मान्यता प्रदान की जाती है। भारत में 87 प्रतिशत महिलाएं कृषि उद्योग में कार्य कर रही हैं। परंतु सिर्फ 36 प्रतिशत के पास ही अपनी भूमि है। बाकी सभी खेतिहर महिलाएं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की कुल महिला मजदूरों का 89.5 प्रतिशत खेती सम्बंधित औद्योगिक क्षेत्रों में संलग्न है। पशुपालन के क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमबल का 71 प्रतिशत महिलाएं है। इसी तरह दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 7.5 करोड़ महिलाओं की अपेक्षा सिर्फ 1.5 करोड़ पुरुषों के संलग्न होने का अनुमान लगाया गया है कृषि क्षेत्र में महिलाओं के इतने अधिक योगदान के पश्चात भी उन्हें ग्रामीण ऋण का सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है इसका मुख्य कारण महिलाओं के नाम भूमि एवं मकान का न होना है। ऐसी सम्पत्ति सिर्फ पुरुषों के नाम से होती है जिससे वे आसानी से ऋण प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा मुख्य कारण ऋण मिलने की प्रक्रिया का जटिल और पेचिदा होना है महिलाओं को ऋण प्राप्त करने में पुरुषों का

सहारा लेना पड़ता है। संक्षेप में कहा जाये तो कृषक महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है, कि उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त बनाया जाये। ये सशक्तिकरण कार्यक्रम मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण से सम्बंधित हो।

शैक्षिक सशक्तिकरण

शिक्षा वह प्रकाश है, जिसके द्वारा अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर किया जा सकता है। गुन्नार मिर्डल के कथानुसार साक्षरता संसार का मार्ग प्रशस्त करती है अन्यथा वह बन्द पड़े रहते हैं। यह किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। नारी की शिक्षा एवं उसके शोषण का सीधा सम्बंध है। हेनरी बेरो ब्रोधन के अनुसार शिक्षा लोगों का नेतृत्व सरल बनाती है, लेकिन उन्हें हांकना कठिन, उन पर शासन करना सरल बनाती है लेकिन उन्हें गुलाम बनाना असंभव है।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री शिक्षा के अनेक कार्यक्रम चलाये गये जैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, महिला सामाख्या योजना, जीवन हेतु महिलाओं का एकीकृत अध्ययन आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा योजना, नवोदय एवं केन्द्रीय विद्यालयों में लड़कियों के लिए बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा इत्यादि। इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई गईं जैसे कि स्कूल में दोपहर का भोजन देना, निःशुल्क वर्दी एवं पाठ्यपुस्तकें वितरित करना, विद्यालयों में अधिक उपस्थिति पर कन्याओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना जिससे कि विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। विभिन्न राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा एवं महिला साक्षरता जैसे अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को साक्षर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकार द्वारा महिला शिक्षा और साक्षरता के प्रयास से महिलाओं की साक्षरता 1981 में 29.75 प्रतिशत से 1991 में 39.29 प्रतिशत एवं 2001 में 54.16 प्रतिशत हो गई। पुरुषों (साक्षरता 75.85 प्रतिशत) की तुलना में मात्र दो तिहाई महिलाएं ही पढ़ने लिखने में सक्षम हैं महिला साक्षरता में कमी को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं:–

- ग्रामीण अंचलों में स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीनता।
- बालिका को पराई मानकर उसके विकास की अवहेलना करना।
- बालिका के पैदा होने पर उसे बोझ समझकर पालना।
- सामाजिक दृष्टि से लड़की का महत्व कम होना।
- बालिका को घरेलू कार्यों में व्यस्त रखने का महत्व।
- बालकों की पढ़ाई को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व।

इन सभी कारणों के फलस्वरूप आज हमारा देश स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में वांछित उन्नति नहीं कर पाया है। बोस. डी.के. (2003) द्वारा किए गए शोध के परिणाम दर्शाते हैं कि शिक्षा का ग्रामीण महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक सम्बंध है एवं निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। अतः यह कहा जा सकता है कि आज भी देश की अधिकांश महिलाएं सशक्त नहीं हैं। शैक्षिक सशक्तिकरण के लिये सरकार एवं गैर-सरकारी संस्थानों को निम्न विषयों पर प्रसार कार्य करने में अधिक ध्यान देना चाहिये।

- **ग्रामीण अंचलों में स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता** : ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने के पश्चात ही हमारी शिक्षा नीतियां सफल हो पाएंगी। आवश्यकता है कि अधिक से अधिक स्त्रियां शिक्षित हों क्योंकि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तब तक एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परन्तु जब एक महिला शिक्षित होती है तो एक सम्पूर्ण परिवार शिक्षित होता है।
- **बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ समझने की मनोवृत्ति से छुटकारा दिलाना** : ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की मनोवृत्ति जब तक व्याप्त रहेगी, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में हम तब तक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। नुक्कड़ नाटक एवं कठपुतली जैसे प्रसार माध्यम ग्रामवासियों की अभिवृत्ति को बदलने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं।
- **अनौपचारिक शिक्षा के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम** : इस प्रकार की शिक्षा में स्त्रियों की आधारभूत शिक्षा प्रणाली से हटकर विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिक, धर्म, समाज में आने वाले परिवर्तनों एवं नित्य नये सृजित महिला अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है।
- **सरकार की शिक्षा नीतियों से ग्रामवासियों को अवगत कराना** : सरकार एवं गैर सरकारी तंत्र को चाहिए कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही नवीन शिक्षा नीतियों को ग्रामवासियों तक पहुचायें। मुफ्त बालिका शिक्षा एवं महिलाओं से सम्बंधित नवीन शिक्षा प्रणाली को दूर दराज के अविकसित भागों में निवास कर रहीं महिलाओं तक पहुचाने के लिये कार्यक्रम आयोजित करना अति आवश्यक है।
- **महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के महत्व पर कार्यक्रम** : महिलाओं को शिक्षत किये बिना सशक्तिकरण के बारे में सोचना एक गलत अवधारणा है क्योंकि शिक्षित महिला स्वयं ही अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जागरूक होगी। अतः प्रसार तंत्र को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसे अधिक प्रयास महिलाओं को शिक्षित करने पर करना चाहिये। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के बाद उससे होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ की भी जानकारी दी जानी चाहिये।
- **नेतृत्व के लिए शिक्षा का महत्व** : महिलाओं में नेतृत्व पैदा करने के लिए आवश्यक है कि वह जिस क्षेत्र में कार्य कर रही है उसकी तकनीकी, आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक एवं सामाजिक पहलुओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हो। चूंकि यह जानकारी देना शिक्षा के संभव नहीं है अतः आवश्यकता है कि महिलाओं को नेतृत्व के लिए शिक्षित बनाया जाये।

इन बिन्दुओं पर आधारित प्रसार कार्यक्रमों की आज अधिक आवश्यकता है। जिससे महिलाओं में शैक्षिक सशक्तिकरण को गति प्रदान की जा सकती है।

आर्थिक सशक्तिकरण

सम्पूर्ण सशक्तिकरण के लिये आर्थिक

आत्मनिर्भरता की अहम भूमिका है। आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हुये भी उनका उपयोग नहीं कर पाती हैं। वह स्वयं को पुरुषों की तुलना में निम्न श्रेणी का ही मानती है। आय एवं व्यय की जिम्मेदारी न होने के कारण वह अपने को दीन, हीन एवं अयोग्य समझती हैं जिससे वह दूसरों के सामने अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाती है। ग्रामीण महिलाओं का अधिकांश समय पशुपालन एवं कृषि कार्यों में ही व्यतीत होता हैं, परन्तु इनसे प्राप्त उप्तादों की बिक्री में उनका कोई योगदान नहीं रहता है। उत्पादों की बिक्री एवं उत्पादन के लिये आवश्यक सामग्री का क्रय करना पुरुषों के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। इसका मुख्य कारण पुरुषों की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना है। कृषक महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक श्रम करती हैं किन्तु उन्होंने अपने श्रम को अर्थ से नहीं जोड़ा है। इसीलिये अधिक श्रमशील होने के पश्चात भी वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अतः आज आवश्यकता है कि कृषक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं स्वावलम्बी बनाया जाये जिससे वे स्वयं को देश की प्रगति में भागीदार मानें।

सरकार द्वारा कृषक महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये। इन कार्यक्रमों में मुख्यतः समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम), ग्रामीण कारीगरों के लिए उन्नत किस्म के औजारों की आपूर्ति (सिटरा), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास की योजना (ड्वाकरा) तथा मजदूरी-रोजगार पर आधारित कार्यक्रमों में जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और दस लाख कुओं की योजनाएं सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु दो विशेष योजनाएं – महिला स्वाधार एवं महिला स्वयंसिद्धा योजनाएं प्रारंभ की गईं। इसी वर्ष कई अन्य रोजगार योजनाएं प्रारंभ की गईं जैसे कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना आदि जिनमें पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाये गये।

स्वयं–सहायता समूह एवं स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से अनेक कृषक महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तो हुआ है परन्तु ये कार्यक्रम कृषक महिलाओं के विकास का बुनियादी अंग नहीं बन पाये हैं। इनके चार मुख्य कारण हैं :

1. पूर्वघोषित एवं संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की सफल देखरेख एवं उनके परिणामों का मूल्यांकन न होना।
2. पशु उत्पादन संबंधित निवेश खरीद एवं अर्जित आय को व्यय करने में कम योगदान होना।
3. कृषक महिलाओं का कृषि उत्पादन संरक्षण को छोड़कर कृषि के किसी और क्षेत्र में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार न होना।
4. कृषक महिलाओं की कृषि उत्पादों की बिक्री में निर्णय का अधिकार पुरुषों से कम होना।

इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार को किसी भी महिला आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से पहले कुछ प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे कि इन योजनाओं से कृषक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जायें। इनमें प्रमुख हैं :–

- **पूर्व संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन :** सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को नई महिला योजनाएं निर्मित करने से पहले पूर्व संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए। इस कार्य को करने में प्रसार तंत्र अहम भूमिका निभा सकता है। इस कार्य के लिए आवश्यकता है, अधिकाधिक महिला प्रसार कर्मियों की, जो कृषक महिलाओं की समस्याओं का अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन कर, उनकी समस्याओं के मूल कारणों का पता लगा सकती हों जिससे कि महिलाओं के लिए योजनाओं के निर्माण में सरकार को एक सही दिशा प्राप्त हो एवं योजनाएं अधिक केन्द्रित हों।
- **कृषक महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता :** इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर कृषक महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्व एवं इसका उनके सामाजिक स्तर पर प्रभाव दर्शाया जा सकता है। इसके लिए अनेक प्रसार माध्यम जैसे दूरदर्शन, रेडियो, महिला जागरूकता मेला, कठपुतली नृत्य अथवा नुक्कड़ नाटक का उपयोग कर इस ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है।
- **सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का व्यापक प्रचार :** इस प्रकार की जानकारी मुख्यतः तीन रूप से प्रदान की जा सकती है :

1. गांव के मुख्य द्वार एवं मुख्य सड़कों पर पोस्टर एवं होर्डिंग लगाकर।
2. शिक्षित ग्रामीण महिलाओं को विज्ञापन पत्र बांटकर।
3. गांवों में महिला रेडियो फोरम बनाकर, जिनमें ग्राम की महिलाएं रेडियो में दी गई जानकारी सुनकर एवं उसपर आपस में चर्चा कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

- **कृषि अथवा पशुपालन से संबंधित सामग्री के निवेश एवं उत्पादन की विपणन व्यवस्था पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**
- **कृषि एवं पशुपालन हेतु ऋण की व्यवस्था पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**

सामाजिक सशक्तिकरण

भारत में ग्रामीण महिलाएं सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। सामाजिक स्तर पर महिलाएं पत्नी, मां एवं गृहणी की भूमिका के रूप में ही पहचानी जाती हैं। व्यक्तिगत रूप से उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। इसका मुख्य कारण है हमारा पुरुष प्रधान समाज एवं हमारी परम्पराएं एवं रूढ़िवादी प्रथाएं जैसे कि पर्दा प्रथा, देहेज प्रथा, कन्यादान, पुत्रेष्ठी यज्ञ एवं मृत्यु के समय पुत्र द्वारा मुखाग्नि। हमारा पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के सशक्तिकरण को एक अलग बिन्दु से देखता है। जिसमें वह मानता है कि स्त्री सशक्तिकरण का अर्थ है पुरुष समाज को शक्तिविहीन करना। इस प्रकार की विचारधारा महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। साहित्यकारों के विचार से तो पुरुष नहीं वरन महिलाएं ही महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा है।

महिलाओं का शोषण सर्वप्रथम परिवार के द्वारा परिवार के मध्य ही होता है। महिला का मां के रूप में पुत्र एवं पुत्री के मध्य भेदभाव करना, लड़की को पराया धन समझकर पालना, लड़की को घरेलू कार्यों में ही व्यस्त रखना,

लड़कियों को विद्यालय न भेजना, इत्यादि से महिलाओं का मानसिक निरस्त्रीकरण घर पर ही प्रारंभ हो जाता है फिर विवाह पश्चात सास एवं ननदों द्वारा इस कार्य को और अधिक तत्परता से निभाया जाता है। जिसके फलस्वरूप एक ऐसी नारी का जन्म होता है, जो पूर्णरूपेण शक्तिहीन, सामाजिक कुंठाओं से ग्रस्त हो जाती है एवं समय आने पर यह अपनी बहू एवं बेटियों के साथ भी ऐसा करती हैं, अतः यदि यह कहा जाये कि महिलाएं ही महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में बाधा है तो गलत न होगा।

सरकार ने संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये हैं। यह महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। परन्तु इस प्रयास को सफल बनाने के लिये महिलाओं में राजनैतिक चेतना जागृत करना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे प्रसार तंत्र की भूमिका में कुछ नये परिवर्तन करना आवश्यक है। इनमें प्रमुख हैं :

- **महिलाओं की मानसिकता एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन :** जिससे वे अपने परिवार के मध्य पुत्र एवं पुत्री में भेद न करें एवं अपने को दीन–हीन न समझें।
- **पुरुषों की महिलाओं के प्रति मानसिकता में परिवर्तन :** पुरुषों की विचारधारा में परिवर्तन लाया जाये जिससे वे महिलाओं को भी स्वयं के समान कार्य करने योग्य समझें। ऐसा तभी संभव है जब पुरुष समाज महिलाओं के कार्यों की अवहेलना न करके, उनके कार्यों का आदर करें।
- **पुरुषों का महिला सशक्तिकरण पर ज्ञानवर्धन :** पुरुषों की महिला सशक्तिकरण पर ज्ञानवर्धन करना आवश्यक है। उन्हें यह समझाना आवश्यक है कि महिलाओं को अधिकार-सम्पन्न बनाने से उनके अधिकारों में कोई कमी नहीं आयेगी।
- **गलत परम्पराओं की समाप्ति के लिए जागरूकता :** दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा एवं ऐसी ही अन्य सामाजिक प्रथाएं महिलाओं की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है एवं यह प्रथाएं जब तक समाज में व्याप्त हैं तब तक महिला सशक्तिकरण एक स्वप्न ही प्रतीत होगा। इन प्रथाओं की समाप्ति के लिए समाज के हर वर्ग में इन प्रथाओं को अपनाने के नुकसान पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा।
- **महिलाओं का आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ाने पर कार्यक्रम :** जब तक हम कृषक महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत नहीं करेंगे तब तक हमारा सशक्तिकरण का ध्येय पूरा नहीं हो पाएगा।

इन समस्त प्रसार प्रयासों के फलस्वरूप ही महिलाओं का सामाजिक रूप से सशक्तिकरण संभव है।

तकनीकी सशक्तिकरण

कृषि उत्पादन एवं पशुपालन कार्यों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। अनेक शोध परिणाम दर्शाते हैं कि ग्रामीण महिलाएं एक दिन में ढ़ाई से साढ़े तीन घण्टे तक का समय सिर्फ पशुपालन कार्यों में व्यतीत करती हैं।

जबकि पुरुष इन कार्यों में मात्र एक-दो घण्टे का समय ही देते हैं। अर्थात महिलाएं पुरुषों की तुलना में चार गुना अधिक कार्य करती हैं।

ग्रामीण महिलाओं का ऊर्जा व्यय विवरण दर्शाता है कि महिलाएं प्रतिदिन 900-1185 कैलोरी ऊर्जा कृषि कार्य में एवं 630-869 कैलोरी ऊर्जा पशुपालन कार्यों में खर्च करती हैं। हिमालय क्षेत्र में किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक एकड़ में बैलों की जोड़ी साल में 1064 घण्टे, एक पुरुष 1212 घण्टे और एक महिला 3485 घण्टे कार्य करती है। अर्थात एक वर्ष में एक महिला का कार्य एक पुरुष एवं दो पशुओं के कुल कार्य से भी अधिक है। महिलाएं फसल बुवाई से लेकर फसल कटाई और इसके बाद के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। महिलाएं ही बीज का चुनाव, पौध लगाना, निराई-गुड़ाई करना एवं हरी खाद व गोबर की खाद की तैयारी करती हैं।

पशुपालन कार्यों में महिलाएं जो कार्य करती हैं, उनमें मुख्यतः है चारा लाना, कुटी काटना, चारा एवं दाने का मिश्रण, पशुशाला की सफाई, गोबर की खाद बनाना, नवजात बच्चों की देखभाल, दुग्ध दोहन, पशुओं की सफाई एवं दुग्ध ऊत्पाद तैयार करना इत्यादि। अनुमान के मुताबिक कृषि एवं पशुपालन के एक तिहाई से अधिक कार्यों को महिलाएं ही करती हैं। परन्तु हमारे अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम पुरुषों पर ही केन्द्रित होते हैं एवं प्रशिक्षण भी पुरुष कृषकों को ही दिया जाता है। विभिन्न तकनीकी भी पुरुष कृषकों को ध्यान में रखकर विकसित की जाती हैं। कृषि एवं पशुपालन तकनीकी के विकास एवं प्रसार दोनों ही कार्यों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है।

शोध परिणामों के अनुसार कृषक महिलाओं की पशुपालन कार्यों जैसे कि नवजात बच्चों की देखभाल, गाभिन पशु की देखभाल, पशु आहार का संरक्षण एवं संकर गाय की उचित रखरखाव इत्यादि में ज्ञान एवं दक्षता का स्तर बहुत कम था। अतः आवश्यकता है कि ग्रामीण महिलाओं को कृषि एवं पशुपालन में तकनीक ज्ञान एवं दक्षता प्रदान करने की जिससे पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि हो एवं कृषक महिलाएं कम समय एवं ऊर्जा व्यय कर अधिक कार्य कर सकें एवं अधिक लाभ अर्जित करें। वैश्वीकरण के कारण आज उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में विकसित तकनीकी का ज्ञान एवं उपयोग, बागवानी एवं पुष्प उत्पादन, कृषि एवं पशुधन उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा नवजात पशु शावकों की वैज्ञानिक विधि से देखभाल इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है।

कृषक महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हमारे प्रसार तंत्र को पुनःप्रतिरूपित करना होगा एवं उसमें निम्नलिखित परिवर्तन करने होगें :

- **महिला प्रसार कर्मियों की मात्रा में वृद्धि :** भारत में कुल प्रसार कर्मी की 0.88 प्रतिशत ही महिलाएं है अतः महिला प्रसार कर्मियों की भर्ती करना आवश्यक है क्योंकि पुरुष प्रसार कर्मियों से ग्रामीण महिलाएं प्रशिक्षण लेने में संकोच करती हैं।
- **कृषक महिला प्रशिक्षण समूहों का गठन :** ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक महिला समूहों का निर्माण करना होगा जिससे महिलाओं को समूह में प्रशिक्षित किया जा सके। समूह में प्रशिक्षण लेने में महिलाओं को कम संकोच होगा एवं वे अधिक उत्साह पूर्वक भाग लेंगी।
- **ग्रामीण महिला सम्पर्क कृषक/कृषि मित्र :** ब्लाक अथवा ग्राम स्तर पर कुछ

ग्रामीण महिलाओं को सम्पर्क कृषक अथवा कृषक मित्र के रूप में प्रशिक्षित करना होगा। जिससे वे अपने क्षेत्र की महिलाओं को ज्ञान एवं दक्षता प्रदान कर सकें क्योंकि शोध द्वारा यह पाया गया है कि बाहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण महिलाएं बेहतर सम्प्रेषण का माध्यम है।

- **महिला स्वयं सहायता समूह अथवा महिला मंडलों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना :** ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल अथवा ग्राम में उपस्थित किसी भी महिला संगठन द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार के समूह, क्योंकि ग्राम में ही उपस्थित होते हैं इसलिए महिलाओं को इनके आयोजनों में अधिक विश्वास होता है, एवं इनके द्वारा प्रशिक्षण से अधिकाधिक कृषक महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रसार तंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, आवश्यकता है, कृषक और पशुपालक महिलाओं के लिए एक अलग प्रसार नीति एवं कार्यक्रम तैयार करने की जिसमें शत-प्रतिशत महिलाओं की ही भागीदारी हो एवं जिसका प्रकाश बिन्दु कृषक महिलाएं हों। ❑

(दोनों लेखक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली में वैज्ञानिक हैं)

वनों में रहने वाली जनजातियों को भूमि अधिकार

प्रधानमंत्री, डॉ मनमोहन सिंह ने संसद के आगामी सत्र में जनजाति तथा वनवासी (वन अधिकारियों को मान्यता) विधेयक पेश किए जाने को हाल ही में मंजूरी दी है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया। इस विधेयक से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने से पहले वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति समुदायों को भूमि अधिकार प्राप्त होंगे। **वन ग्राम** कहलाने वाले गांवों में रहने वाले जनजाति के वे लोग भी इससे लाभान्वित होंगे जो कई पीढ़ियों से इन क्षेत्रों में रहने और इन जमीनों पर काश्तकारी करने के बावजूद भूमि अधिकार प्राप्त नहीं कर सके थे।

प्रस्तावित विधेयक से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने से पहले वन क्षेत्रों में रहने वाली उन जनजातियों के अधिकारों को मान्यता मिलेगी जिन्हें सरकारी रिकार्डो में कहीं नहीं दिखाया गया है।

इस विधेयक से 1980 से पहले वनों में रहने वाली जनजातियों और अन्य लोगों को भूमि अधिकार प्राप्त होंगे। दूसरे, इससे वन समुदायों द्वारा उत्पादित वन उत्पादों के इस्तेमाल को कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। और **वन गांवों** में काफी समय से लम्बित गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास योजना

लघु उद्योग मंत्रालय ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से लिए व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास नामक योजना शुरू की है। इसके अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों को ऋण उपलब्ध कराएंगे। ये ऋण गैर कृषि क्षेत्रों में लघु और अति लघु उद्यम लगाने के लिए स्व-सहायता समूहों को अथवा व्यक्तियों को दिए जाएगें। मंत्रालय इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तक सहायता राशि उपलब्ध कराएगा, इसका उपयोग गैर सरकारी संगठनों के क्षमता निमार्ण और महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने में उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। गैर सरकारी संगठन अनुदान का उपयोग प्रशिक्षण, परामर्श और लाभाधारकों की तरफ से विपणन के लिए समझौते के वास्ते कर सकेंगे।

योजना के अधीन पहचान किए गए महिला लाभ प्राप्तकर्ताओं के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिसाब से अधिक से अधिक एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा पर शर्त यह होगी कि ये संस्थाएं अनुदान राशि का 25 प्रतिशत तक अपना हिस्सा भी लाएंगे।

लघु उद्योग मंत्रालय ने इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हाल ही में कैनरा बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

साभार : प्रेस सूचना कार्यालय

महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण

सोना दीक्षित और अरुण कुमार दीक्षित

आज मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सम्मानपूर्वक जीवन-यापन की है। पग-पग पर वह तिरस्कृत, असुरक्षित एवं उत्पीड़ित है। मानव जाति पर जितने कहर इन दिनों ढाये जाने लगे हैं उतने शायद पहले कभी सुनने को नही मिले। सर्वाधिक पीड़ित तो आज नारी है। नारी उत्पीड़न की घटनाएं द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ रही हैं। तन्दूर में जलती नारी देह उत्पीड़ित और बलात्कार की आग में झुलस रही है।

नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। अतीत में ही नारी समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है। उसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। परन्तु गत वर्षों में महिलाओं के मानवाधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है शायद पहले कभी नही हुआ।

मानवाधिकार और ग्रामीण महिलाएं

गांधीजी ने कहा था,"भारत गांव में बसता है।" परन्तु आज इस लोकतंत्र में गांधीजी के सपनों का भारत कहीं सपनों में खो गया। हमने कुछ गांवों की महिलाओं पर शोध किया तो पाया अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, वे घूंघट में रहती हैं, कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने वर्षों से घर के बाहर कदम नही रखा कुछ महिलाएं चार दिवारी में कैद होकर जीवन यापन कर रही हैं, हमने गांव की कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयत्न किया तो वहां के पुरुषों ने इसका विरोध यह कहकर किया कि हमारे यहां स्त्रियां पराये मर्दों के सामने नहीं आती। महिलाएं भी अपने उस घुटन भरे जीवन में सन्तुष्ट नजर आयीं क्योंकि वहां का यही रिवाज था। नारी को पैरों की जूती समझने वाले यह मर्द नारी स्वतंत्रता के घोर विरोधी है, चार दिवारी में ही रहना है, घर का सारा काम काज करना है व पति की सेवा करना ही उनका धर्म है।

महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सयुंक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 18 दिसम्बर, 1979 को महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया जो 3 दिसम्बर, 1981 से प्रभावी हुआ।

प्रस्ताव में ग्रामीण महिलाओं की विशेष समस्याओं और अपने परिवारों का अस्तित्व बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया गया। अतः समझौते से संबद्ध सभी सदस्य राष्ट्रों ने ग्रामीण विकास में भागीदारी कर सकें और उसका लाभ उठा सकें।

भारत में लगभग 72 प्रतिशत आबादी गावों में निवास करती है और इसमें से आधी महिलाओं की है। यहां यह बात स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश के विकास में ग्रामीण महिलाओं की अहम भूमिका होती है इसे नकारा नही जा सकता है। परन्तु यह पुरुष प्रधान समाज नारी को कोई अधिकार देना ही नहीं चाहता। उसे दासी के समान जीने का अधिकार देता है।

ग्रामीणों में महिलाओं के पिछड़ेपन के कई कारण हैं उनमें से सबसे बड़ा कारण है उनका अशिक्षित होना, और यही कारण शोषण तथा उत्पीड़न का भी रहा है। ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रहती हैं, उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि अधिकार क्या होते है? किसी ने कहा भी है – "दस पुरुषों की तुलना में एक महिला को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।" भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु की ग्रामीण महिलाओं का साक्षरता दर 30.4 प्रतिशत है।

ग्रामीणों क्षेत्रों में, पंचायती राज संस्थान महिला अधिकारिता की दिशा में पहले से कार्यरत है, जहां तीनों स्तरों पर सदस्यों और अध्यक्षों के कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें लागू करने का दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है।

इस स्थिति को एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। बिहार में छोटा नागपुर के संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आज भी अपनी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने पर सहमत नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने गत 17 अप्रैल 1996 के अपने एक निर्णय में यह आदेश दिया था कि आदिवासी महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया जाए। अदालत में यह याचिका वाद सं. 5723 के अंतर्गत 1980 में दायर की गई थी, जिस पर निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को आदेश दिया था कि पुरुषों की भांति महिलाओं को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त हो और इस मामले में रुकावट बने सी.एन.टी.एक्ट की धारा 7 और 8 को संशोधित किया जाए, ताकि महिलाओं के संपत्ति अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। किंतु खेद और आश्चर्य की बात यह है कि आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी, शिक्षित और जागरूक लोग भी न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध उठ खड़े हुए कोई भी इस निर्णय को लागू करने के पक्ष में नहीं है।

न्यायालय द्वारा दिए गए इस आदेश की आदिवासी पुरुषों में कितनी तीव्र प्रतिक्रियाएं हुईं, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि गत वर्ष 1996 के अक्टूबर मास में इस निर्णय पर विरोध व्यक्त करने के लिए गांव-गांव में पंचायतें होती रहीं। पुरुषों को आपत्ति थी कि शिक्षित आदिवासी युवतियां कई बार कबीले के बाहर जाकर किसी व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं। परिणामतः इन युवतियों के साथ उनके नाम की भूसंपत्ति भी बिरादरी

के बाहर चली जाती है। इस आदिवासी क्षेत्र की स्थिति इस सीमा तक खराब है कि जमीन हड़पने की लालसा में बूढी, बीमार और कमजोर विधवाओं को डायन कहकर मार दिया जाता है। यों ता किसी निरीह महिला को डायन मान लेना आदिवासियों में प्रचलित अंधविश्वास कर परिणाम माना जाता है किंतु बात केवल इतनी ही नहीं है। डायनों की हत्या के पीछे उनकी जमीन को हड़पने का सिलासिला चलता रहता है। यह एक उदाहरण है, उस पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को समझने का, जो किसी भी कीमत पर महिलाओं को बराबरी का स्थान देने के लिए तैयार नहीं है।

स्वास्थ्य के संरक्षण का अधिकार महिलाओं का अहम् मानवाधिकार है। 2003 में हुए अनुसंधानों में यह पाया गया है कि ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवाओं के निम्न स्तर से प्रभावित है। हर वर्ष प्रशिक्षित डाक्टरों में से 1/3 ही डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं। एक ग्रामीण महिला प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करती है जबकि पुरुष 8 घंटे कार्य करता है। शहरों में 66 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 88 प्रतिशत महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत महिलाएं अपना 15वां जन्मदिन नहीं देख पाती हैं।

जवाहरलाल नेहरू ने ग्रामीण महिलाओं के निम्न स्वास्थ्य स्तर पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था," चाहे कितना भी एक मां अपने बच्चों से प्रेम करती हो, उसके लिए यह असम्भव है कि वह अपने बच्चों का उच्चकोटि का लालन-पालन कर सके। यदि वह गरीब, अशिक्षित, रक्तहीनता से ग्रसित एवं अस्वस्थ है... और उसे समाज का सहयोग या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं"।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ प्रत्येक 26वें मिनट में महिला छेड़छाड़ का शिकार होती है, 34वें मिनट में बलात्कार का, 42वें मिनट में यौन शोषण का, 43वें मिनट में अपहरण का, 93वें मिनट में दहेज हत्या का शिकार होती है।

महिलाओं के मानवाधिकार

ऐतिहासिक अवलोकन किया जाय तो न्याय, समानता एवं अधिकारों के लिए "प्रथम महिला अधिकार" सम्मेलन वर्ष 1848 में अमेरिका में ही सम्पन्न हुआ, यद्यपि इसके पूर्व गर्भपात निरोधक अधिनियम, (1803 ब्रिटेन), सतीप्रथा का समापन (1829, भारत) विधवाओं का पुनर्विवाह (1856, भारत) जैसे प्रयास किए जा चुके थे, किन्तु इन प्रयासों में समाज सुधारकों एवं जन आन्दोलनों का प्रत्यक्ष प्रभाव था, न कि स्वयं महिलाओं का।

वर्ष 1840 से ब्रिटेन एवं अमेरिका में मताधिकार हेतु महिलाओं के आन्दोलन की परिणति नेशनल वुमेन, सफरेज एसोसिएशन (1869 अमेरिका) के रूप में हुई जिसका विश्वव्यापी प्रभाव यह रहा कि महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार का अधिकार (न्यूजीलैण्ड -1893, अमेरिका-1920, ब्रिटेन-1928) प्राप्त हुआ। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति और दो विश्व युद्धों में महिलाओं की दयनीय स्थिति से विश्व समुदाय का भी मन व्यथित हुआ, अतः सयुंक्त राष्ट्र संघ की (1945) स्थापना के साथ महिलाओं के लिए क्रांतिकारी प्रयास भी प्रारम्भ हुए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ ही था, जिसने सर्वप्रथम महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए महिला एक आयोग (कमीशन ऑन द स्टटेस आफ वूमेन, 1946) की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र 1948 के अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 विशेषतः महिला अधिकारों को व्यापक और सशक्त बनाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 1952 में महिलाओं की राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसमय अंगीकार किया जिस पर विश्व के 40 देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की, पुनः विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता सम्बन्धी अभिसमय महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया जो 11 अगस्त 1958 से प्रभावी भी हो गया है। महिलाओं सम्बन्धी अब तक किए गए प्रयासों के अनुरूपी तथा पूर्व प्रस्तावों को समेकित करते हुए महासभा ने एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज नारी 18 दिसम्बर 1979 को अंगीकृत किया, जो 3 सितम्बर 1981 से प्रभावी है। यह दस्तावेज नारी अधिकारों, उसके सम्मान और न्याय के लिए जाना जाता है। "महिला के प्रति प्रकार के विभेदों का प्रतिषेध अभिमय" 1979 को अंगीकृत सीड़ा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रथम बार महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत अधिकारों को संहिताबद्ध किया, पुनः 20 दिसम्बर, 1993 को महासभा ने महिलाओं के प्रति हिंसा दूर करने सम्बन्धी घोषणा पारित किया गया अपितु उसके व्यापक अधिकारों को भी सुनिश्चित किया गया। घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार महिलाओं के प्रति हिंसा में लिंगभेद पर आधारित उन सभी कृत्यों को शामिल कर लिया गया है जिनसे महिलाओं को शारीरिक, मानसिक या यौन सम्बन्धी प्रताड़ना सहनी पड़ती है। पुनः अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत इन कृत्यों को क्षेत्रीय विस्तार देते हुए घर के अन्दर या बाहर या सार्वजनिक स्थलों या यात्रा के दौरान या सरकारी कर्मचारियों के अभिरक्षा के दौरान किए गए कृत्यों को शामिल किया गया है, पुनः अनुच्छेद 3 के में यह उसकी सुरक्षा का अधिकार होगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है – (1) जीवन का अधिकार (2) समानता का अधिकार (3) स्वतंत्रता का व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार।

प्रथमतः राजनीतिक अधिकारों (नागरिक अधिकारों) का अवलोकन किया जाय तो इनका प्रारम्भ महिलाओं के मताधिकार आन्दोलन (1849) से माना जा सकता है, अब विश्व के प्रायः सभी देशों, आपवादिक स्थिति में कुछ मुस्लिम राष्ट्रों को छोड़कर, ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके (1960) की राजनीतिक यात्रा का अनुसरण करते हुए भारत, इजरायल, ब्रिटेन, फिलीपीन्स, कनाडा, फ्रांस, आयरलैण्ड आदि देशों में महिलाएं या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष चुनी गईं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महिलाएं अनेक पदों पर कार्यरत हैं।

इस संदर्भ में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा समीचीन होगी, जहां महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी विधेयक संसद में पेश किए जीने का प्रयास गत कई वर्षों से हो रहा है। यद्यपि विश्व के किसी भी देश में इस तरह का प्रावधान नहीं है। भारत ने इसका श्रीगणेश 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों एवं नगर निगमों के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर कर दिया हैं। इस आरक्षण का प्रभाव यह हुआ है कि पूरे देश में आज लाखों महिलाएं पंचायत या नगर निगम (राजनीति की पहली सीढ़ी) में सफलतापूर्वक चुनकर कार्य कर रही हैं। इससे उनकी न

केवल आत्मशक्ति अपितु उनके राजनीति व्यक्तित्व का भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। अब इस प्रयोग को राज्यों की विधान सभाओं एवं संसद में भी दोहराए जाने की मांग की जा रही है। यदि यह व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो यह भारतीय महिलाओं के राजनीतिक अधिकार का एक दृष्टान्तमूलक प्रावधान होगा। महिलाओं की राजनीतिक यात्रा एक चुनौती भरा कदम है, और कदम-कदम पर उन्हें पुरुष-प्रधान समाज की गतिरोधों का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

द्वितीयतः महिलाओं के 'सामाजिक अधिकार' ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1979 के अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत कहा गया हैं कि महिलाओं और पुरुषों की समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निम्नलिखित अधिकारों/कार्यों को अपनी विधिक व्यवस्था में स्थान देकर उन्हें क्रियान्वित करना होगा :

- काम करने का अधिकार
- रोजगार के समान अवसरों का अधिकार
- व्यवसाय या नौकरी के स्वतंत्र चुनाव का अधिकार
- समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार
- सेवानिवृत्ति, वृद्वावस्था, बीमारी आदि की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- स्वास्थ्य के संरक्षण का अधिकार

इसके पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ मानवधिकार घोषणा पत्र 1948 के अन्तर्गत महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदत्त किया जाना एक अनिवार्य आवश्यकता माना गया है :

- गरिमा, जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा (अनुच्छेद-1 एवं 3)
- विधिक समानता (अनु.-1,6,7)
- विभेदकारी प्रावधानों से सुरक्षा (अनु.-2)
- पारिवारिक व्यवस्था व राज्य तथा समाज से सुरक्षा (अनु.-16(3))
- व्यक्तिगत जीवन परिवार, घर, पत्राचार आदि की एकान्तता का अधिकार (अनु.-12)

इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा, 16 दिसम्बर 1966 के द्वारा महिलाओं के पक्ष में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं–

- रोजगार का अधिकार (अनु.-4)
- समान कार्य के लिए समान वेतन (अनु.-5)
- सामाजिक सुरक्षा (अनु.-10)
- शिशु मृत्यु दर में कमी तथा बच्चों का स्वास्थ्य विकास (अनु.-13)
- प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था (अनु.-16)

पुनः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की घोषणा, 16 दिसम्बर, 1966 के अन्तर्गत भी महिलाओं के लिए निम्नलिखित अधिकारों को प्रदत्त किया जाना विधिक व्यवस्था का एक अंग घोषित किया गया :

- जीवन का प्राकृतिक अधिकार (अनु.-3)
- यातना का अमानवीय व्यवहार से संरक्षण
- निजत्व की संरक्षण व (अनु.-13)

भारतीय संविधान और महिलाएं

अनुच्छेद 15(3) के ही प्रावधानों का सहारा लेकर संसद ने 1990 में 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम' पारित किया।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिये प्रसूति सहायता की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये प्रसूति सहायता के लिये उपबंध करेगा। राज्य के इस नीति निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिये संसद ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 पारित किया। यह अधिनियम कतिपय स्थापना में शिशु जन्म से पूर्व और पश्चात् भी कतिपय कालवधियों में महिलाओं के नियोजन को विनियमित करने तथा प्रसूति प्रसुविधा और कतिपय अन्य प्रसुविधाओं का उपबंध करने के लिए पारित किया गया। इस अधिनियम में इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था है, जैसे किसी स्त्री की मृत्यु की दिशा में प्रसूति प्रसुविधा का संदाय चिकित्सीय बोनस का संदाय, गर्भपात आदि की दशा में छुट्टी बध्याकरण आपरेशन के लिये मजदूरी के साथ छुट्टी गर्भावस्था, प्रसव, समयपूर्व शिशु जन्म या गर्भपात से पैदा होने वाली रुग्णता के लिये छुट्टी, तथा पोषणार्थ विराम आदि।

संविधान का अनुच्छेद 43, कामगारों के लिये निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करता है। निश्चय ही इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। निर्वाह मजदूरी तो नहीं इस अनुच्छेद के निर्देश के अनुपालन में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, पारित किया गया है। यह अधिनियम कतिपय नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत करने के लिये अधिनियमित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी क्या है, यह अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। किन्तु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी नियत कर दी जाए, उसे प्रत्येक उस नियोजक के लिये देना अनिवार्य है भले ही उस नियोजक की आर्थिक स्थिति इसे देने लायक हो न हो।

संविधान का अनुच्छेद 39(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिये समान वेतन दिये जाने का उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के निर्देशों के अनुपालन में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया।

सांविधानिक प्रावधानों की कड़ी में संविधान का 73वां और 74वां संशोधन जो 1992 में किया गया आता है। इसके माध्यम से, जहां तक महिलाओं के अधिकार का प्रश्न है, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिये सीटों का आरक्षण किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 51(क) (ड़) जो मूल कर्तव्यों से सम्बन्धित है भारत के प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ❑

(लेखिका जेडीवीएमपीजी कालेज, कानपुर में प्रवक्ता तथा दूसरे लेखक डा. भीमराव अम्बेडकर वि.वि., आगरा में शोध छात्र हैं)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड–4, तल–7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066

मूल्य एक प्रति	: सात रुपये
वार्षिक शुल्क	: 70 रुपये
द्विवार्षिक	: 135 रुपये
त्रिवार्षिक	: 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	: 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	: 700 रुपये (वार्षिक)

महिला सशक्तिकरण : प्रयास और लक्ष्य

डा. अलका रस्तोगी

जब हम शक्ति या क्षमता के प्राधिकारी संदर्भ में महिलाओं को विशेष अधिकार एवं कर्तव्य बोध कराते हैं, उन्हें समाज या समुदाय से जुड़े मुददों पर निर्णय लेने अथवा नीति लागू करने की क्षमता प्रदान करते हैं तो यह प्रक्रिया महिला शक्ति की ओर संकेत करती है। सशक्तिकरण का अभिप्राय शक्ति प्रदान करने मानसिक अथवा शारीरिक गतिविधियां के सम्पादन की क्षमता प्रदान करने में विस्तार पाता है। वर्तमान में महिलाओं का स्व विकास उनके सशक्किरण को इंगित करता है। समाज में शक्ति संपन्न और शक्ति विहीन व्यक्तियों का पुनर्व्याख्या है, जहां शक्ति की नवीन व्यवस्था द्वारा समाज में परिवर्तन देखा जाना है।

स्त्रियों का सशक्तिकरण उन्हें नए क्षितिज दिखाने का प्रयास है, जिसमें वे नई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नए तरीके से देखेंगी, घरेलू शक्ति संबंधों का बेहतर समायोजन करेंगी और घर तथा पर्यावरण में स्वायत्तता की अनुभूति कर सकेंगी।

महिला सशक्तिकरण का मुख्य पक्ष स्त्रियों के अस्तित्व का अधिकार और समाज द्वारा उसकी स्वीकारता है। महिलाओं द्वारा स्वयं के शरीर पर, प्रजनन के क्षेत्र में, आय पर, श्रम शक्ति पर, सम्पति पर, सामुदायिक संसाधनों पर नियंत्रण कर पाना उनका सबलीकरण है, और यही सशक्तिकरण का उद्देश्य है।

सशक्तिकरण एक लक्ष्य है और संपोषित विकास की आवश्यक दशा भी है। स्त्रियों का सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व दक्षता में अभिवृद्धि, कार्य क्षेत्र और अन्यत्र उनके साथ किये जा रहे बुरे व्यवहार की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति की आदि वे कार्य हैं जिनकी पूर्णता द्वारा सशक्तिकरण का वास्तविक लक्ष्य पाना संभव है।

1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र से प्रारंभ ये प्रयास 2001 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में हमारे सामने आए हैं। महिला सम्मेलन, विचार गोष्ठियों, भाषणों, राष्ट्रीय सेमीनार आदि के द्वारा जारी प्रावधानों से जागृत्ति लाई जा रही है किन्तु यह विचारणीय है कि 1920 में असहयोग आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने वाली महिलाएं, एक जुटता से शराब बन्दी जैसे कार्य को सफल बनाने वाली महिलाएं जिन्होनें जेलों में अत्याचार भी सहे, वे अशक्त, अबला, कमजोर कैसे बन गईं ?

10 अप्रैल 1930 के 'यंग इण्डिया' में गांधीजी ने लिखा "नारी को अबला कहना अधर्म है। यह महापाप है जो नारी के विरुद्ध पुरुष द्वारा किया जा सकता है, नारी को किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। उसके पास विशाल शक्ति है, वह किसी से कम नहीं।"

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में 1930 की यह पंक्तियां आज भी हमारा मार्गदर्शन में कर रही है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य मे स्त्रियों ने अपने सामूहिक प्रयास द्वारा कार्य को सफलता तक पहुंचाया। नारी की नैतिक शक्ति और चरित्र की पवित्रता बड़ी से बड़ी भौतिक शाक्ति को परास्त करने की सामर्थ्य रखती हैं।

जनसंख्या का गणित और विविध क्षेत्रों में महिलाओं की समग्र भूमिका उन्हें बराबरी की हकदार बनाती है किन्तु यह विडम्बनापूर्ण है कि समाज में उसे आज भी दोयम दर्जा प्राप्त है। स्त्रियां दोहरी मानसिकता की जकड़न में छटपटा रही हैं। जिस सामाजिक वातावरण में स्त्री अपना जीवन शिशु, कन्यारूप, पत्नी, मां के रूप में व्यतीत करती है वह उसे साथ-साथ गमन कर रही प्रतिकूल दशाएं प्रदान करता है। वे उन प्रतिकूलताओं में कैद हैं, जहां स्त्री शक्ति स्वरूपा भी है और अबला भी, सहचरी भी है और दासी भी। लिंग केन्द्रीयता समाज की व्यवस्था का अंग है जिसमें नारी शरीर एक वस्तु बन जाता है। वस्तु जिसका उपयोग, उपभोग किया जा सकता है दूसरी ओर नारी देवी तुल्य है यह प्रश्न आज भी कायम है नारी वस्तु है अथवा व्यक्ति? स्त्री की अनुपस्थिति में परिवार निर्माण नहीं हो सकता है फिर भी कन्या भ्रूण हत्या होती हैं? सामाजिक बिन्दु पर विचार करें तो स्त्री-पुरुष अनुपात निरन्तर ह्रास की ओर है। भारतीय शास्त्रीय पौराणिक, धार्मिक ग्रंथों में नारी का दिव्यात्मक, सकारात्मक रूप प्रकट किया गया वहीं यथार्थ के धरातल पर वह सत्ता व शक्ति से वंचित हैं। राजनीतिक मंच पर देखे तो भारत में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त है और 73वें संशोधन द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व होने से संसद तक उनका प्रवेश भी संभव हुआ है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण द्वारा उनकी सहभागिता का मार्ग सुनिश्चित किया गया है। परम्पराओं और रूढ़ियों से शासित समाज में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने, सरपंच से जिला प्रमुख तक और सांसद से मुख्यमंत्री के पद लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। भारतीय समाज में विद्यमान गैर बराबरी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें एकाएक उखाड़ पाना संभव नहीं है। स्त्री पुरुष के प्राणिशास्त्रीय विभेदों को सामाजिक असमानता में परिवर्तित

करने की प्रक्रिया केवल पुरुष प्रधान समाज की राजनैतिक जोड़-तोड़ का परिणाम है।

स्त्रियां परम्पराओं और रूढ़ियों के दौर से उपजे तनाव से मुक्ति चाहती हैं, इसके लिए न केवल योग्यता की जरूरत है बल्कि सामूहिक प्रयास और जागरूकता भी प्रारम्भिक आवश्यकताएं हैं।

महिला सशक्तिकरण के सहायक घटक :

- **महिलाओं की सकारात्मक सहभागिता :** पुरुष प्रधान समाज में कार्य क्षेत्र का आन्तरिक (स्त्रियों के लिए) और बाह्य (पुरुषों के लिए) विभाजन हो। नए परिदृश्य में जबकि उन्हें अवसर मिला है उनकी सकारात्मक भूमिका अपेक्षित है। वे अन्तर्निहित क्षमता को पहचानें उसे अभिव्यक्ति प्रदान करें। सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में स्त्रियां पदार्पण कर चुकी हैं। सामाजिक अभिजन, राजनितिक अभिजन के रूप में वे अन्य महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित कर सकती हैं।
- **स्त्री शक्ति को जानना :** सुविख्यात महिलाओं – जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होल्कर, कण्णगी तथा रानी गैंदिल्यु के नाम पर दिए जाने वाला स्त्री शक्ति पुरस्कार इस तथ्य के द्योतक हैं कि इतिहास के पन्नों से लिए यह नाम वर्तमान में भी इसी भूमि पर कार्य कर रहे हैं, स्त्री शक्ति अब भी विद्यमान है उसे पहचानने और कार्य में परिणित करने की आवश्यकता है। 1999 की कण्णगी स्त्री शक्ति पुरस्कार प्राप्त केरल के के.वी. राबिया इसका उदाहरण हैं। इनके "चलनाम", संगठन द्वारा साक्षरता अभियान चलाकर महिलाओं को निरक्षरता के अंधकार से बाहर लाने का प्रयास किया। खेतिहार मजदूरों को सगंठित कर उन्नत तरीकों का इस्तेमाल कर सामूहिक खेती के प्रयासों के लिए चिन्न पिल्लई ने जीजाबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया। उनके द्वारा प्रारंभ "कालनजियम्स" उल्लेखनीय है। साक्षरता अभियान और महिला सबलीकरण हेतु कार्य कर रही कमला बाई ने अहिल्या बाई होल्कर स्त्री शक्ति पुरस्कार प्राप्त किया। स्वैच्छिक संगठन पी.ए.पी.एन. के माध्यम से किंकरी देवी ने मजदूरी और तनख्वाह प्राप्त लोगों की एक लम्बी लड़ाई जीती। गैंदिल्यु पुरस्कार प्राप्त लीलाताई ने बनवासी कल्याण आश्रम खोला जहां व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी।

  स्त्री शक्ति पुरस्कारों का उल्लेख इस दृष्टि से आवश्यक है कि महिलाएं अपनी मानसिकता बदलने का प्रयास करें। अकेले क्या कर सकते हैं? इतने सारे पुरूषों के मध्य कार्य करना संभव नही अथवा परिवार की सार-संभाल ही हमारा प्राथमिक कर्तव्य है जैसे वाक्यांश उन्हे पंगु बनाते हैं। महिलाओं के कार्य क्षेत्र के विविध आयाम हो सकते हैं।
- **समन्वयात्मक दृष्टिकोण :** स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं। सामाजिक धरातल पर पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुष मुखिया रहते हैं। परिवार में उनके आपसी समन्वय से ही परिवार कायम रहता है। यही समन्वय समाज में दिखाई दे इसके लिए आवश्वयक है कि पुरुष भी स्वस्थ मानसिकता से महिलाओं की प्रगति में इसका प्रारंभ अपने घर से करें।
- **सामाजिक मूल्यों का रूपान्तरण :** भारतीय सामाजिक व्यवस्था परम्परा शासित है। परिवार का पितृसत्तात्मक, स्वरूप परिवार तक सीमित नही है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र तक विस्तृत दिखाई देता है। बाह्य संसार में स्त्रियों की सहभागिता एक व्यक्ति के रूप में प्राथमिक हो। सामाजिक यथार्थ के प्रत्येक क्षेत्र में संस्तरण (ऊपर-नीचे का क्रम) नए रूप ग्रहण कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में स्त्रियों की शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता शासक वर्ग में प्रतिनिधित्व आवश्यक है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के प्रयत्न्न प्रभावी होंगे।
- **योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन :** सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास तभी सार्थक हो सकेंगे जबकि योजनाएं पूर्ण निष्ठा से क्रियान्वित की जाएं। महिला कल्याण के प्रयास महिलाओं के सहयोग बिना अधूरे रहेंगे। समाज में दबाव समूह विद्यमान हैं, जिन्हें पहचानने की जरूरत है। इन योजनाओं को बाधाओं, दुराग्रहों, निजी स्वार्थों से मुक्त किया जा सकता है यदि योजना का क्रियान्वन एक मात्र लक्ष्य हो।
- **स्त्री स्वयं पहल करें :** भारतीय महिलाओं के जीवन पर गरीबी, निरक्षता पारिवारिक अधीनस्थता, परम्पराओं के पालन में घुटती सांसे और दोयम दर्जे की स्वीकारता, स्वयं को विलीन करके भी कभी कभी पूर्व निर्मित हुए विवेकपूर्वक रास्ते खोजना होगा।

जीवन की धुरी होते भी हाशिये पर भी जी रही स्त्री को यह स्वीकार करना होगा कि टूटना आवश्यक है, परम्परागत चहार-दिवारी का वर्षों से चली आ रही किन्तु आज मूल्यहीन हो चुकी अनेकानेक वर्जनाओं के टूटने मे ही सृजन छिपा हुआ है। स्त्रियां मुक्ति चाहती हैं किन्तु इस तनाव की दासता से पूर्ण मुक्ति एकाएक संभव नहीं। सम्मिलित प्रयास द्वारा ही मुक्ति के मार्ग, खोजने होंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ संकल्प करने होंगे।

- सशक्त होने के लिए एकजुट होना आवश्यक है, स्त्रियां अपने को सगंठित करने का संकल्प लें।
- राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलने पर सत्ता के गलियारों तक आपसी जुड़ाव द्वारा एक आवाज में अभिव्यक्ति करें, अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
- महिलाएं यह समझें कि वे महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं। पति, सहयोगी अथवा अन्य किसी पर निर्भरता का त्याग कर स्वयं कार्य करने की पहल करें। नियुक्ति विभाग के अनुरूप दक्षता प्राप्ति का प्रयास करें। आत्मविश्वाश से कार्य करें।
- महिला कल्याण योजनाओं की पूर्णता पर ध्यान केन्द्रित करें।
- पुरुष अपना सहयोग प्रदान करें। वे स्त्रियों को लेकर दोहरी मानसिकता से बचें। सशक्तिकरण की यह अवधि उनके आत्मावलोकन की अवधि भी है।

समय की आवश्यकता है कि महिलाएं स्वयं अपने सपने बुनना सीखें, उन्हें साकार करना जारी रखें। ❑

(लेखिका समाजशास्त्र की व्याख्याता हैं)

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

समाजशास्त्रीय अध्ययन

डा. रमेश एच. मकवाणा

वैदिक युग में भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति, संपत्ति व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त थे। पुरुषों के समान स्वतंत्रता और शील तथा सम्मान की रक्षा करना एक महान कर्तव्य माना जाता था। वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। मध्ययुग में पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाज में स्त्री-पुरुष में असमानता स्वीकृत थी। लिंगभेद के आधार पर स्त्री-पुरुष की भूमिका निर्णित थी और स्त्रियों की स्थिति कमरे की चारदीवारी के अन्दर थी। यह युग स्त्रियों की स्थिति की दृष्टि से एक कलंक का युग माना जाता है। अंग्रेजों के समय में शिक्षा सुधार के प्रयास, पश्चिमी उदारमतवाद, मानवतावाद और लोकतंत्र, स्वतंत्रता-समानता की वजह एवं स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को दिये अधिकार, हक, शिक्षा, व्यवसाय जैसे आधुनिक कारकों के प्रभाव से महिलाओं के स्थान और भूमिका में बदलाव आया है।

महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में उचित भागीदारी देने के लिए भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा देश भर की पंचायतों व जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया जो भारतीय स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की ओर एक सराहनीय कदम है। इससे महिलाओं के राजनीतिक दायित्व को पूर्ण करेगा। इसमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न होगी और वह निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में व क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभायेगा और सामाजिक विकास में तथा एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना करने में अर्थपूर्ण कार्य करेगा। इतना ही नहीं भारत और विश्व में 1974 'महिला वर्ष' के रूप में और 1975-1985 से 'महिला दशक' के रूप में मनाया और भारत में 2001 का वर्ष 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मनाया गया था। विश्व की राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की स्थिति पर एक नजर डालें तो रूस जैसे विशाल सम्पन्न एवं विकसित देश में कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 53 है। वहां की 47 प्रतिशत महिलाएं रोजगार में लगी हैं और 50 प्रतिशत महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए वर्ष 1993 में 'वूमन ऑफ एशिया' नामक राजनीतिक संगठन बनाया गया, जिसकी 21 सदस्याओं ने वहां के संसदीय चुनाव में विजय प्राप्त की। जापान में प्रबन्धकीय पदों पर महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस्लामी देश ईरान की संसद में वर्तमान में 13 महिला शामिल हैं और कई अन्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिनप्रति दिन बढ़ रहा है।

महिलाओं का राजनीतिक विकास क्या है? इसकी जानकारी के लिए हमें प्रसिद्ध विचारक लूसियन पाई ने जो अवधारणा विकसित की है, उसके अनुसार राजनीतिक विकास को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इस क्रम में हमें महिलाओं की दृष्टि से तीन बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना है–

1. समानता के लिए संवेदनशीलता.
2. राज्य और समाज व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता एवं
3. राज्य व्यवस्था की इकाइयों से महिलाओं का संबंध।

इन आधारों अथवा बातों पर किया जाने वाला प्रत्येक विश्लेषण महिलाओं के राजनीतिक विकास के स्तर को असंतोषजनक स्थिति में बताता है। अतः भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से महिलाओं का विकास तभी सम्भव है, जब सम्पूर्ण देश की महिलाएं देश के समग्र विकास की प्रक्रिया में भाग लें।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1994 में बीजिंग में हुए विश्व महिला सम्मेलन से पहले जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की संसदों में महिलाओं की औसत संख्या पुरुषों की तुलना में मात्र 10 प्रतिशत थी और मंत्री स्तर की स्थिति तो और भी दयनीय बताई गई थी, इसमें तो महिलाओं का औसत 6 प्रतिशत ही था। राजनीतिक विकास के मुख्य रूप से चार पक्ष हैं –

1. राजनीतिक जागरूकता,
2. राजनीति में भागीदारी,
3. राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना, एवं
4. नेतृत्व प्राप्त कर निर्णयों को प्रभावित करना तथा दिशा देना।

भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला समय था जब स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं लिए आरक्षित किए गए। इन संविधान संशोधनों से पंचायत की सत्ता संरचना में और निर्णय की प्रक्रिया में महिलाएं भागीदार हुई। इतना ही नहीं इस से महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी और वह अपनी शक्ति का सामाजिक विकास में तथा राजनैतिक कार्यकलापों में लगा सकेंगी और एक सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगी। इससे कई रचनात्मक परिणाम सामने आयेंगे। राजनीति में भागीदारी से महिलाओं में जागृति उत्पन्न हुई और वह निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी से उनमें आत्मविश्वास और

स्वाभिमान, समानता एवं स्वायत्तता के अधिकार का अहसास हुआ और वह नीति निर्धारण व क्रियान्वयन में अपनी प्रभावी व रचनात्मक भूमिका निर्वहन करेगी। समाज विकास के नये माडल पर पुनः विचार किया। ये सब महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

समाजशास्त्री एच. हर्नेस ने महिलाओं की आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में तीन तर्क दिये हैं। वे विषय की गंभीरता तथा महत्ता को समेटे हुए हैं। उनके अनुसार,

- प्रजातंत्रीय सिद्धान्त के अनुसार महिलाओं को आनुपातिक प्रतिनिधित्व देकर न्याय की अवधारणा को पुष्ट किया जाए।
- वर्ग, जाति, लिंग, धर्म आदि विभाजनों से पर महिलाएं एक हित समूह हैं, जिनके अपने निश्चित सामान्य हित हैं जो बहुरूपी पितृसत्तात्मक व्यवस्था से उपजते हैं और उनकी सुरक्षा का निर्धारण महिलाएं ही कर सकती हैं।
- महिलाएं समाज के लिए संसाधन अथवा सम्पदा स्वरूप हैं अर्थात महिलाओं की विशिष्ट प्रतिभा ऐसी बहुमूल्य अन्तः शक्ति है जिसका उनकी प्रभावी राजनीतिक सहभागिता द्वारा उपयोग किया जा सकता है। घोषणाओं की अपेक्षा सामाजिक तथा वैयक्तिक सोच तथा समझ को बदलने की समाजव्यापी दीर्घकालीन प्रक्रिया एवं प्रयासों द्वारा ही निदान की ओर अग्रसर हो सकता है, किन्तु प्रजातंत्र शासन की ऐसी विधा है जो मानवीय स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के सिद्धान्त को आत्मसात करने की सम्पूर्ण संभावनाओं के युक्त हैं। ऐसे समाजों में सामाजिक परिवर्तन का प्रश्न राजनीति से विलग्न नहीं हो सकता। 'राजनीतिक हल अध्यादेश जारी कर देने मात्र से भले ही सामाजिक जीवन में स्वीकृत न होता हो किन्तु एक प्रक्रिया का आरंभ अवश्य कर देता है जो अन्ततः उसे समाजीकरण की और ले जाती है।' विशेषकर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महिलाओं को राजनैतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए, लोकतंत्र की सफलता में निर्वाचनों में, मताधिकार से समय, राजनैतिक संस्कृति के विकास के लिए अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बोध करने में, राजनैतिक चेतना का विकास करने में और राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को घोषणा और प्ररणा देने में राजनैतिक सहभागिता महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। साथ में महिलाओं का राजनैतिक सशक्तीकरण करने में प्रमुख कार्य करेंगी।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- पंचायत व्यवस्था में सहभागी ज्यादातर महिलाएं निरक्षर थीं कई महिलाओं की (38 प्रतिशत) पंचायत में पहले सदस्यता थी या उनके पति या कुटुम्ब के अन्य सदस्य थे। 37 प्रतिशत महिलाएं पहली बार पंचायत व्यवस्था में सहयोगी हुईं और वह अपने पति या परिवार के आग्रह से आईं।
- 37 प्रतिशत महिलाओं को पंचायत में अपनी भूमिका के बारे में जानकारी थी उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण, नई सड़कों का निर्माण, बिजली, गृहउद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में प्रशिक्षण देने का, शिक्षा का प्रसार-प्रचार, कृषि सुधार के लिए सिंचाई व्यवस्था, संशोधन बीज आदि विकास के कार्य किये।
- अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पंचायत व्यवस्था में कार्य करने में निम्न परिवार, निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थान की वजह से लघुताग्रंथि का अहसास है। इससे कई महिलाएं अपने कार्य में संकोच, भय और कम आत्मविश्वास रखती हैं।
- 32 प्रतिशत महिलाओं के परंपरागत सामाजिक स्थान में बदलाव आया है। कुछ महिलाओं के साथ चर्चा करने से पता चला कि अब उनके विचारों की परिवार में स्वीकृति होती है और उन्हें महिला संगठन एवं स्थानिक समुदाय मान और प्रतिष्ठा देते हैं।
- 22 प्रतिशत राजनीतिक दल के सहकार से सहभागी महिलाओं को पंचायत व्यवस्था में कार्य करने में बड़ी कठिनाई होती है। चुनाव के समय उनको दल का प्रचार और विकास का कार्य करना पड़ता है। जिससे वह अपना कार्य सक्रिय रूप से नही कर पातीं।
- एकल परिवार में से आई महिलाओं को कार्य करने में सरलता मालूम हुई। युवा और अविवाहित महिलाओं को कार्य करने में चरित्र का प्रश्न बाधक है। 21 प्रतिशत महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है इसलिए उनकी भूमिका प्रभावकारी नही है उनका पूरा कार्य और आम सभाओं को सम्बोधन उनके पति या परिवार के अन्य प्रशिक्षित सदस्य करते हैं।
- अध्ययन में पता चला कि पंचायत व्यवस्था के भूमिका संकुल में ज्यादातर संख्या पुरुष सदस्यों की है। 29 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि इसमें से कई पुरुषों का सहकार सामान्य। वे महिला नेतृत्व को मानसिक स्तर पर स्वीकृत नहीं करते और महिलाओं के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं और पंचायत में अपने हित के विरुद्ध निर्णय लेने में बाधक बनते हैं। इसलिए पंचायत व्यवस्था में कार्य करने में महिलाओं को कई पुरुष सदस्यों का व्यवहार सहकारपूर्ण नहीं दिखाई दिया। कुछ महिलाओं का कहना था कि पंचायत व्यवस्था में संलग्न अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, पदाधिकारियों का उनके प्रति बर्ताव अच्छा नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कई बार सरल प्रश्न की प्रस्तुति को अधिकारी हंसी-मज़ाक में लेते हैं और संतोषप्रद उत्तर नहीं देते। इससे अनपढ़ महिलाओं में संकोच और भय बढ़ता है और कार्य करने का उत्साह कम हो जाता है।

सुझाव

- ज्यादातर महिला अनपढ़ हैं। जिससे उनको पंचायत का लेखापत्र, नियम पढ़ने में या लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए महिला नेताओं को शिक्षा देनी अति आवश्यक है। साथ ही राजनैतिक प्रक्रिया में महिलाओं का प्रवेश पहली बार हुआ है। इसलिए उनको पंचायत के कार्यों और उनसे संबंधित प्रशिक्षण शिविर चलाने चाहिए। साथ ही साथ उनके राजनीतिक अधिकार क्या हैं। सामाजिक दायित्व कौन कौन से हैं इस बारे में जागरूक करने के लिए महिला प्रशिक्षण, चर्चासभा, महिला सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए। इस क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका प्रमुख एवं महत्वपूर्ण रहेगी।
- पारिवारिक उत्तरदायित्वों में सिर्फ महिलाओं की भूमिका प्रमुख है। हमारी सामाजिक

संरचना एवं परंपराएं भी उसकी समर्थक हैं जिससे महिलाओं को पंचायत के कार्यों के लिए कम वक्त मिलता है। इसलिए पारिवारिक उत्तरदायित्वों में महिलाओं की भूमिका के साथ पति का सहकार एवं भागीदारी भी इतनी ही जरूरी है, जिससे महिलाओं को पंचायत के कार्य करने में पूरा वक्त मिल सके।

- राजनैतिक माहौल में अपराधीकरण, आतंकवाद, काला-धन, चरित्र लांछन जैसे दुर्गुण हैं, जिनसे महिलाएं सार्वजनिक रूप से अलग रहती हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय बना रहता है। इसलिए राजनेताओं और राजनैतिक दलों द्वारा इस दूषित वातावरण में परिवर्तन लाना जरूरी है, जिससे महिलाएं राजनीति में अपना योगदान दे सकें।
- राजनैतिक माहौल में सहभागी महिलाओं के प्रति पुरुष प्रधान की रूढ़िवादी सोच-समझ बदलनी चाहिए। उसको भी पुरुषों जैसा ही मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी चाहिए। परिवार और समाज में स्त्री-पुरुष दोनों एक-दूसरे के सहयोग से अपने दायित्वों का निर्वाह करें, यह भावना विकसित करनी आवश्यक है।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता राजकीय सहभागिता एवं सक्रियता का प्रमुख आधार है। इसलिए महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ानी चाहिए। महिला नेताओं को हर मास कुछ वेतन देना चाहिए। जिससे उनको पंचायत से संबंधित प्रकार्य या अन्य कार्य करने में आर्थिक बाधा न आए। साथ ही ग्राम पंचायतों के पास वित्तीय स्रोत होना जरूरी हैं। यद्यपि अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों का व्यय केन्द्र या राज्य सरकारें वहन करती हैं फिर भी ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ तथा बहुमुखी होनी चाहिए कि कोई भी पंचायत स्वयं की नीतियों, कार्यक्रम तथा योजनाओं को वित्तपोषित कर सके। ग्रामजनों द्वारा दिया गया कर जब उन्हीं के लिए विकास कार्यो में प्रयुक्त होगा तो स्वतः ही जन साधारण पंचायत को कर देना स्वीकारेगा। इससे पंचायत को वित्तीय स्रोत मिल जाएगा जिससे ग्राम विकास करने में आर्थिक सहायता रहेगी।
- आज का युग प्रतियोगिता का युग है। महिलाओं को मात्र कानूनी अधिकार दिए जाने से वे समान अधिकार का उपयोग नहीं कर सकतीं। आवश्यकता इस बात की है कि समाज में सामाजिक परिवर्तन हो, समाज का नज़रिया बदलना होगा एवं महिलाओं को अपने मन में हीनभावना का अन्त करना होगा। महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की जाये। इस सम्बन्ध में शिक्षित एवं जागृत महिलाएं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का संचालन करें, बुद्धिजीवी वर्ग, दार्शनिक एवं देश के नेता इस समस्या की तह तक जाकर उसका निराकण करें।
- विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाये एवं प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए राहतकोष की स्थापना की जानी चाहिए एवं उन्हें दिशा निर्देश देने हेतु हर स्तर पर महिला आयोग एवं सलाहकार बोर्ड स्थापित किये जायें। समय-समय पर महिला सम्मेलन आयोजित किए जायें जिनमें ग्रामीण महिलाओं को अधिक संख्या में आमंत्रित किया जाये ताकि वे अपने सीमित क्षेत्र से बाहर निकलकर अपना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास कर सकें।
- कुछ जटिल प्रश्नों के निराकण के लिए समुदाय के सभी लोगों एवं समूहों को महिला नेता के साथ रहना चाहिए जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिले और विकास का अच्छा कार्य करने वाले नेता को पुरस्कार, सामाजिक मान-प्रतिष्ठा देनी चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में उसको विशेष कार्य करने की प्रेरणा मिल सके।
- कई सालों के बाद महिलाएं पहली बार सार्वजनिक जीवन में आई हैं। इसलिए उनमें भय, संकोच एवं ज्यादा घबराहट है उनमें साहस और त्याग की भावना का विकास करना होगा। साथ ही साथ उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की भी आवश्यकता है।
- कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि दूरदर्शिता, पारिश्रमशीलता, मृदुवाणी, भाषण क्षमता संयम, चतुरता, सामाजिक कार्यों में भाग लेना आदि महिलाओं में नेतृत्वशक्ति विकसित करने के लिए आवश्यक है इसके लिए शिविरों, चर्चा सभा और ओरियन्टेशन कोर्स आदि कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। ❑

(लेखक सरदार पटेल वि. वि., वल्लभ विद्यानगर, (गुजरात) में समाजशास्त्र के व्याख्याता हैं)

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन गृहस्थियों के लिए मजदूरी रोजगार गारंटीपूर्ण पात्रता के रूप में सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी प्रयास है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक प्रहस्थी जिसका वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी के लिए तैयार है, को कम से कम 100 दिन गारंटीपूर्ण मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रावधान करना है।

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

महिला सशक्तिकरण और आरक्षण

प्रकाश नारायण नाटाणी

भारत में महिलाओं को कानूनन वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को प्राप्त हैं। पर व्यवहार में अनेक विसंगतियां है जिन्होंने महिलाओं की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। मिसाल के तौर पर, परिवार के अन्दर ही लड़कियों को अपने भाइयों की तरह शिक्षा, खेल-कूद, खाने-पीने तक की सुविधा नहीं मिलती। शादी के मामले में ज्यादा से ज्यादा लड़का दिखाकर उसकी मरजी का पता लगाने की रस्म पूरी कर ली जाती है। बाद में लड़की की जिन्दगी दूभर हो जाए और उसकी जान चली जाए तब मां-बाप भले रोते रहें, उससे पहले कुछ नहीं होता। नाबालिग लड़कियों की शादियां गैर कानूनी होने के बावजूद आज भी अनेक स्थानों पर खुलेआम हो रही हैं। इस मामले में राजस्थान तो बाल विवाह के लिए प्रसिद्ध ही है।

सार्वजनिक जीवन में लड़कियों का प्रवेश साधारणतः वर्जित है क्योंकि बड़ों की निगाह में वहां चाल-चलन बिगड़ने का डर रहता है। लड़की कुंवारी हुई तो उसके लिए लड़का तलाश करना रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर लगता है। नौकरियों के मामले में पहले के मुकाबले अब काफी छूट देखी जाती है, इसलिए भी कि नौकरीशुदा लड़की की शादी ज्यादा आसान हो गई है। पर, कमाऊ लड़कियों की कठिनाइयां घर-बाहर दोनों जगह बढ़ गई हैं। यही सब विचार कर समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया ने पिछड़े वर्ग में महिला को भी शामिल किया था। किन्तु, स्वयं पिछड़े वर्ग के नेताओं ने अपने वर्गीकरण में महिलाओं को अलग से स्थान नहीं दिया।

पूरी दुनिया में निगाह दौड़ाने पर यह देखा गया कि पुरुषों से किसी प्रकार कम न होने पर भी महिलाओं के साथ लगभग सभी जगह भेदभाव होता चला आया है।

जो आंकड़े यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एकत्र किए हैं उनके अनुसार कुल आबादी में आधी होते हुए भी महिलाएं दो तिहाई काम करती हैं, पर उनके काम का सिर्फ एक तिहाई दर्ज हो पाता है। संसार में जितनी कुल संपत्ति है, उसका सिर्फ दसवां हिस्सा उनके नाम है। एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के विवरण से पता चलता है कि ग्रामीण अंचल में यह अन्तर और अधिक है। इसका कारण यह है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महिला को दूसरे दरजे का नागरिक माना जाता है। विकासशील देशों में महिलाओं की हालत और भी शोचनीय रही है।

इस परिस्थिति का और अधिक क्रूर स्वरूप हुआ लड़की को पैदा होने के बाद उसे समाप्त कर देना या पैदा ही न होने देना। यह केवल गरीब घरों की बात नहीं है। एक मामला इन दिनों उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है जिसके अनुसार स्त्री जब भी गर्भवती होगी, वह लड़का ही पैदा करेगी, लड़की नहीं। इस डाक्टरी प्रक्रिया (एरिक्सनटेकनीक) पर कई लाख रुपये खर्च होते हैं। जाहिर है कि यह काम पैसे वाले ही कर सकते हैं। सामान्य आमदनी वाले के बस की बात नहीं है। गरीब आदमी लड़की की जिम्मेदारी से बचने के लिए उसे जान से मार नहीं पाता तो इधर-उधर डाल आता है या अनाथालय में लड़कियों की संख्या बढ़ा देता है। कहते हैं, कि यह एरिक्सन टेकनीक हिन्दुस्तान के अनेक शहरों में धड़ल्ले से अपनाई जा रही है।

घर का कर्ताधर्ता मर्द माना जाता है। इसलिए लड़का ही परिवार का भविष्य है। दहेज पर चाहे जितना प्रतिबंध हो, लड़के को दहेज मिलेगा ही, चाहे वह किसी कामकाज से लगा हो अथवा न लगा हो। कानूनन दहेज लेना अपराध होने पर भी व्यापारी वर्ग ही नहीं, राजनेता, मंत्री, सरकारी अधिकारी, सभी लोग दहेज लेने में संकोच नहीं करते।

लडका-लड़की के भेदभाव का एक दुखद और खतरनाक परिणाम यह हुआ कि लड़कियों की संख्या कम होने लगी है। 1981 में स्त्रियों की संख्या और घटकर 927 रह गई। इससे कई सामाजिक कुरीतियां और अपराध बढ़ने की आशंका पैदा हुई। सन् 2001 की जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार यह असंतुलन कुछ कम हुआ है। महिलाओं की संख्या अब 933 है। प्रति हजार मर्दों के मुकाबले 1058 और पांडिचेरी में 1001 स्त्रियां हैं। जहां महिलाएं 900 से भी कम है, वे हैं उत्तर प्रदेश (898), सिक्किम (936), पंजाब (874), हरियाणा (861), अंडमान और निकोबार (846), दिल्ली (821), दादरा नगर हवेली (811), चंडीगढ़ (773) और दमन दीव (709)।

जून 1992 में एक स्वस्थ संसार बनाने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई। सशक्तिकरण की परिभाषा की गई, किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता। यह भी बहुत जोर देकर कहा गया कि असली लोकतंत्र हो ही नहीं सकता जब तक शासन और विकास कार्यक्रम, दोनों में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी न हो।

सशक्तिकरण की व्याख्या की गई-समाज की वर्तमान व्यवस्था और ऐसे तौर-तरीकों को चुनौती देना जिन्होंने महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को समाज के हाशिये पर छोड़ रखा है। जब महिलाएं सत्ता की दौड़ में आगे आएंगी तो सार्वजनिक क्षेत्र में वे मर्दों को सत्ता और उनके विशेषाधिकारों को आज की तरह स्वीकार नहीं करेंगी।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद सभी देशों में महिलाओं को उचित स्थान देने के आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसका एक उपाय भारत में

यह निकला कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि अपने-आप उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। जब वे फैसला करने के मंचों पर पहुंचेगी तो वर्तमान असंतुलन दूर होने लगेगा। भारतीय संसद ने 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया।

फिर भी, सभी प्रदेशों की पंचायतों के कामकाज का विश्लेषण करने पर यह अधिकारपूर्वक कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्तर पर इस देश में पहली बार महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागा है कि वे अपने घर के बाहर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा कुछ अन्य प्रदेशों की महिला सरपंचों ने अपनी कर्मठता और हिम्मत दोनों के अनुकरणीय उदाहरण पेश किए हैं। 1991 से 2001 तक दस वर्षों में सबसे अधिक साक्षरता वृद्धि राजस्थान में हुई है। 1991 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में स्त्री-पुरुष मिलाकर 38.55 प्रतिशत साक्षर थे जो 2001 में बढ़कर 61.3 प्रतिशत हो गए, अर्थात 23 प्रतिशत अधिक व्यक्ति साक्षर हुए। इसका बहुत कुछ श्रेय पंचायतों में आई नई जागृति को दिया जाता है। गांव के अनेक काम जो वर्षों से पुरुष सरपंच नहीं कर पाए थे, उन्हें महिलाओं ने कर दिखाया है। यदि पंचायतों को पर्याप्त आर्थिक साधन सुलभ हो जाएं और निर्वाचित पंचों, सरपंचों को आवश्यक अधिकार दे दिए जाएं तो पंचायतें और भी बहुत कुछ कर सकती हैं और राज्य शासन का बोझ हल्का कर सकती हैं।

संभवतः इसलिए संसद ने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुविधापूर्वक कर दिया। दूसरी ओर जो सत्ता और सत्ता की भागीदारी के मुख्य गढ़ हैं – विधानसभा और लोकसभा उसके लिए संसद में महिलाओं के आरक्षण का विधेयक 1886 से करवटें बदलता रहा है। तेरहवीं लोकसभा की अवधि में प्रधानमंत्री ने विधेयक स्वीकार करने की उत्सुकता प्रकट की थी। साथ ही साथ इस पर सभी पार्टियों की सहमति की भी बात उठाई थी, किन्तु बात नहीं बनी।

महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए 81वें संविधान संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट लोकसभा में 9 दिसम्बर 1996 को पेश हुई थी। संयुक्त समिति में 31 सदस्य थे और इसकी अध्यक्ष थीं श्रीमती गीता मुखर्जी (कम्युनिस्ट)। इसके बाद लोकसभा भंग हो जाने पर लगभग यही विधेयक 84वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से 14 दिसम्बर 1998 को पेश किया गया। वह लोकसभा भी विधेयक पर फैसला करने से पहले भंग हो गई। इसके बाद 85वें संशोधन विधेयक के रूप में यह 23 दिसम्बर 1999 को तेरहवीं (वर्तमान) लोकसभा में लाया गया।

सबसे बड़ी अड़चन यह थी कि तेरहवीं लोकसभा में पुरुषों का प्रतिनिधित्व 90 प्रतिशत से अधिक था जो महिला आरक्षण के बाद घटकर लगभग 67 प्रतिशत रह जाएगा। कौन पुरुष सदस्य चाहेगा कि संसद में उसके प्रवेश की सम्भावनाएं और कम हो जाएं।

ऐसा नहीं है कि इस देश में योग्य और प्रबुद्ध महिलाओं की कमी हो। प्राचीन काल में ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी और मैत्रेयी के उच्चतम दार्शनिक संवादों की हम न याद करें तो भी वर्तमान युग में हमने विलक्षण प्रतिभाशाली महिलाओं के दर्शन किए हैं। यदि आरक्षण की व्यवस्था हो गई तो निश्चय ही उसके बाद की आगामी लोकसभा कहीं अधिक सार्थक ही नहीं, आकर्षक और संभवतः अनुशासनप्रिय भी हो जाए।

जो भी हो, महिला आरक्षण को लेकर जो असमंजस या दिक्कत अभी है, उसका समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। कुछ सदस्यों की राय थी कि महिलाएं अपना आरक्षण तैंतीस फीसदी से घटाकर पन्द्रह या बीस फीसदी कर देने को राजी हो जाएं तो विधेयक आसानी से पास हो सकता था। अधिक साधन सम्पन्न महिलाएं फिर भी गैर आरक्षित सीटों से लड़ सकेंगी जैसे वे अभी तक लड़ती रही हैं और जो न सिर्फ चुनाव जीती हैं, उन्होने संसद की शोभा बढ़ाई है, उसे गरिमा प्रदान की है, चाहे वे किसी पाटी की हों।

अब चौदहवीं लोकसभा से आशा की जानी चाहिए कि वह देश की आधी आबादी के इस महत्वपूर्ण विधेयक को अवश्य ही अमलीजामा पहना दे। ❑

(लेखक राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। **कुरुक्षेत्र** में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, **कुरुक्षेत्र** कमरा नं. 655/661, विंग 'ए' गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

महिला विकास : अब तक के प्रयास

हेना नक़वी

भारत में महिला विकास हेतु समय-समय पर अलग-अलग तरीके अपनाये गये। शुरुआती दौर में महिलाओं को मानव संसाधन न समझाकर कल्याण–कारी कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी मात्र माना जाता था। धीरे-धीरे जब कल्याणकारी तत्व का स्थान विकास के तत्व ने ले लिया तो महिलाओं को भी प्राप्तकर्ता या लाभार्थी के बजाय विकास कार्यक्रमों की न्यूनतम इकाई के रूप में देखा जाने लगा। हमारे देश में महिला विकास हेतु शुरुआती दौर में 'विकास में महिलाएं' और 'विकास एवं महिलाएं' नामक अभिगम अपनाए गए। लेकिन इन अभिगमों में समाज के एकतरफा विकास यानी केवल महिला की बात की गई। इस कारण समाज के समन्वित विकास के बजाय एकांगी को बल मिला। इसीलिए हाल के वर्षों में 'लिंग व विकास' नामक विकास अभिगम अपनाया गया जिसके तहत 'महिला बनाम पुरुष' के सिद्धान्त को नकार कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की बात की गयी ताकि वे जनसंख्या के दूसरे अर्द्धांश के साथ मिलकर कदम बढ़ा सकें, अलग 'कैप्स्यूल' में न जियें। 'गैड' ने संतुलित सामाजिक विकास की बात की। साथ ही विभागों, निकायों की स्थापना पर ध्यान न देकर सकारात्मक परिवर्तन की बात की परिवर्तन नारी के रवैये का, उसके प्रति दृष्टिकोण का और यथासंभव उन सामाजिक ढांचों और परिपाटियों का जिनका महिलाओं के जीवन पर और संपूर्ण समाज पर प्रत्यक्ष या महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।

नारी सशक्तिकरण मौजूदा दौर का सर्वाधिक लोकप्रिय नारा ही नहीं मौजूदा समय की मांग भी है। मगर यह नारा कुछ वर्षों के प्रयासों का परिणाम नहीं है। दरअसल यह जागरूकता दो-तीन शताब्दियों पहले से ही किसी न किसी रूप में समाज के कुछ विशिष्ट तबकों में (विशेषक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर) पैठ कर चुकी थी। आज से काफी समय पहले से ही नारी सशक्तिकरण के पूर्ववर्ती रूप-पुरुष समानता जैसे मुद्दे का महत्व समझते हुए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर इस दिशा में प्रयास होते रहे हैं। कुछ प्रयास सार्थक रहे तो कुछ गुमनामी के अंधेरे में खो गए। सार्थक प्रयासों में से पहलकदमी का वर्ष माना जाता है। वर्ष 1611ई.। इसी वर्ष अमेरिका के मेसाच्यूसेट्स राज्य में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यह अलग बात है कि यह अधिकार वर्ष 1780 में उनसे छीन लिया गया। मगर पहली बार वोट देने के अधिकार की प्राप्ति को निःसंदेह समानता की ओर पहला कदम तो माना ही जा सकता है। 8 मार्च 1857 को अमेरिका में सिलाई व वस्त्रोद्योग की महिला मज़दूरों ने पुरुषों के समान वेतन व दस घंटों की निश्चित कार्यविधि की मांग करते हुए हड़ताल कर दी। लंबे संघर्ष के बाद उन्हे सफलता मिली। इस सफलता की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। तब से आठ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस सफलता के बाद इस दिशा में एक दूसरी बड़ी सफलता मिली सन् 1936 ई. में जब नोबल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी तीन महिलाओं के साथ मंत्री बनीं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तब से इस क्षेत्र में प्रयास अनेक देशों में होते रहे मगर सत्तरवें दशक से इन प्रयासों को एक दिशा मिली, जब संयक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और 1975-85 के दशक को महिला दशक घोषित किया।

भारत में इस दिशा में सार्थक प्रयासों का वर्ष माना जाता है, वर्ष 1974 क्योंकि इसी वर्ष भारतीय महिलाओं की स्थिति के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी सदस्य थीं – इला भट्ट, मृणाल पाण्डे, वीणा मजूमदार व फुल्किन गुहा। इस समिति ने विभिन्न पैमानों के आधार पर देशभर में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया। समिति की रिपोर्ट वर्ष 1975 में संसद में पेश की गई। रिपोर्ट में मौजूदा निम्नलिखित तथ्यों ने बेहद चौंकाने वाली जानकारियां उजागर की।

- निरंतर घटता लिंग अनुपात (प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)
- जीवन के विभिन्न क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार) में लैंगिक आधार पर बढ़ती विषमताएं।
- जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों विशेषकर निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की नगण्य भागीदारी।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की निरंतर बढ़ती दर।

इन्हीं तथ्यों पर भारत में स्त्री-पुरुषों समानता के प्रयास शुरू हुए, जिन्हें गति मिली अस्सी के दशक से – राज्य व केन्द्र स्तरों पर महिला एवं बाल विभाग नामक एक पृथक विभाग की स्थापना के साथ।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में महिला विकास हेतु प्रयासों का सिलसिला प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही शुरू हो गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यक्रमों व नीतियों के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के प्रयास किए जा रहे है। प्रथम पंचवर्षीय (1951-56) ने महिला उत्थान हेतु एक ऐसा अभिगम अपनाया जिसके माध्यम से 'महिलाओं के कल्याण' को बल मिले ताकि परिवार और समुदाय में उसकी प्रस्थिति (स्टेटस) मज़बूत बन सके। योजना ने महिलाओं की स्थिति सुधारने जैसे जटिल कार्यों के लिए विशेष संगठनों का महत्व भी पहचाना और ऐसी प्राइवेट एजेंसियों को इस कार्य में सहयोग

देने की बात भी सामने रखी। संगठनों/संस्थानों को प्रोत्साहन देने व उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए वर्ष 1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की विशेष तौर से स्थापना की गई

दूसरी से लेकर पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं ने महिलाओं के प्रति 'कल्याणकारी' अभिगम को अपनाये रखा। यही नहीं समाज के दूसरे उपेक्षित तबकों जैसे – विकलांग, वृद्ध आदि के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों से इस अभिगम को जोड़ दिया गया। दूसरी योजनाओं के दौरान महिलाओं हेतु सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम तथा चौथी योजना के दौरान कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास योजनाएं शुरु की गईं। चौथी योजना के दौरान ही संसद में "महिलाओं की स्थिति" पर गठित समिति की रिपोर्ट पेश की गई इस रिपोर्ट में संसद में महिलाओं की बेहतर स्थिति हेतु रणनीति तय करने के लिए लम्बी-चौड़ी बहस या लक्षित समूह न समझकर विकास के लिए नितान्त आवश्यक तत्व समझा जाने लगा। वर्ष 1976 में समाज कल्याण मंत्रालय में तहत एक महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के विकास हेतु रणनीति तय करने के लिए रोज़गार, प्रौढ़ शिक्षा, कृषि व ग्रामीण विकास पर चार कार्यदल तैयार किए गए।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला विकास के क्षेत्र में 'कल्याण से विकास की ओर' की अवधारणा विकसित हुई जिसने विकास के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता पर बल दिया। इस योजना ने महिला विकास हेतु तीन अत्यावश्यक क्षेत्रों – स्वास्थ्य, शिक्षा व रोज़गार की पहचान की। इस पहचान के अनुसार कृषि व संबंधिकत क्षेत्रों (डेयरी, पोल्ट्री, लघु व कुटीर उद्योग, पशुपालन आदि) ने महिलाओं हेतु रोज़गार योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया। वर्ष 1982 में नौर्वियन डेवलपमेंट एजेंसी (नोराड) के सहयोग से महिलाओं हेतु रोज़गार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सातवीं योजना ने शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से महिला रोज़गार पर बल दिया। इसी दौरान दो नई योजनाएं सपोर्ट टू ट्रेनिंग एण्ड एम्प्लॉयमेंट (स्टेप) व निर्धन व ग्रामीण महिलाओं हेतु जागरूकता निर्माण कार्यक्रम (ए.जी.पी) शुरू की गई। इसी योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु वर्ष 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। महिलाओं के साथ-साथ अब बालिकाओं व युवा लड़कियों पर भी ध्यान दिया जाना निश्चित हुआ ताकि पत्नी व मां बनने के पहले उनका समुचित शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास हो सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-1995) के दौरान महिलाओं हेतु विशेष विकास योजनाएं लागू करने व दूसरी विकास योजनाएं लागू करने व दूसरी विकास योजनाओं हेतु विशेष विकास योजनाएं लागू करने व दूसरी विकास योजनाएं लागू करने व दूसरी विकास योजनाओं का लाभ महिलाओं तक समान रूप से पहुंचने की रणनीति तय की गई। इसी अवधि के दौरान महिला समृद्धि योजना व इंदिरा महिला योजना लागू की गई। इस योजना के दौरान महिला विकास हेतु कुछ ऐसे भी कदम उठाये गए जो महिला विकास के इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के विकास के इतिहास में मील का पत्थर माने जा सकते हैं। यह ऐतिहासिक कार्य इस प्रकार थे :

- महिलाओं हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन
- राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना
- संविधान का तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संशोधन जिसके द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों व नगर निकायों के चुनावों में सभी श्रेणियों में सभी स्तरों पर एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया।

नवीं योजना के आते-आते भारत में नारी सशक्तिकरण की अवधारणा विकसित हो चुकी थी। नारियों के सशक्तिकरण हेतु निम्नांकित पैमाने निर्धारित किए गए।

- नेतृत्व विकास
- निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी (परिवास से लेकर सामुदायिक स्तर तक)
- मुखरता
- गतिशीलता (घर की चारदीवारी से बाहर निकल सकने की क्षमता के संदर्भ में)
- संगठन
- संसाधनों विशेषकर आर्थिक सांसाधनों तक पहुंच
- सेवा प्रदाय संस्थानों (बैंक, डाकघर, अस्पताल) तक पहुंच व सेवा प्राप्ति
- प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता विकास

महिला सशक्तिकरण के दूरगामी लक्ष्य को नवीं पंचवर्षीय योजना के नौ प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया गया। महिलाओं को जब पुरुषों के 'भागीदार' के तौर पर उभारने की बात की गयी। इसी उद्देश्यों के तहत वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त महिलाओं से जुड़े सभी क्षेत्रों में विद्यमान संसाधन, बुनियादी संरचनाओं/सुविधाओं/सेवाओं को एक दिशा में निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा गया जिसके तहत केन्द्र व राज्य सरकारों को आदेश दिया गया कि किसी भी कार्यक्रम या योजना का कम से कम तीस प्रतिशत हिस्सा महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों तक पहुंचे तथा इस पक्रिया का समुचित मॉनीटरिंग भी हो। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया। वर्ष 2001-02 के दौरान भारतीय नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। 'स्वयंसिद्धा' व 'स्वाधार' जैसे नारी सशक्तिकरण कार्यक्रमों की उद्घोषणा के रूप में।

स्वयंसिद्धा एक ऐसा समेकित कार्य है, जिसकी रणनीति महिला स्वयं-सहायता समूहों के 'नेटवर्क' पर आधारित है। कार्यक्रम का उद्देश्य केन्द्र-स्तरीय व राज्य-स्तरीय महिला विकास कार्यक्रमों को प्रखण्ड स्तर तक पहुंचा कर उनके लाभों का आधारभूत स्तर तक प्रसार करना है। शुरुआती दौर के लिए इस कार्यक्रम के तहत देशभर में 650 प्रखंड चुने गए हैं। स्वाधार कार्यक्रम संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास पर आधारित है। कार्यक्रम के तहत परित्यक्त महिलाएं, विधवाश्रमों में रह रही निराश्रित महिलाएं, प्राकृतिक आपदा में जिन्दा बच गईं निराश्रित महिलाएं, आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित महिलाओं आदि को केन्द्रित किया गया है। कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आश्रय-स्थल का निर्माण, चिकित्सकीय देखरेख, परामर्श आदि का प्रावधान है।

वर्ष 2001-02 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) की तैयारी का वर्ष था। इसी वर्ष तीन विशेष कार्यबल (क) महिला सशक्तिकरण (ख) बाल विकास (ग) देश की जनसंख्या विशेषतया दुर्बल वर्गों की पोषण-स्थिति में सुधार गठित किए गए। दलों ने रिपोर्ट पेश करने के लिए विशेष कार्यपद्धतियां विकसित

कीं। महिला सशक्तिकरण कार्यदल ने महिला सशक्तिकरण को क्रमशः आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण में वर्गीकृत हुए निम्नलिखित पर बल दिया।

- बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमतावर्द्धन जैसे सामाजिक लाभ हासिल करने हेतु विद्यमान रणनीतियों (तरीकों) में परिवर्तन
- सार्वजनिक संसाधनों का लाभ महिलाओं को तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्रों में व्याप्त विषमताओं में कमी।
- विकास व सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं की बतौर 'भागीदार' पहचान।
- सक्षम महिला नेतृत्व की पहचान (विशेषकर पंचायती राज व्यवस्था में)

केन्द्र की मौजूदा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के अतिरिक्त महिला समाख्या, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की राष्ट्रीय महिला कोष जैसे कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया है।

विभिन्न अभिगमों ने अलग-अलग रणनीतियां अपनाकर विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त लैंगिक विषमताओं की खाई बहुत हद तक पाटने के प्रयास किए। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले को अलग ढंग से हल करने की कोशिश की गई तो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे तरीकों से। समय बदला, तरीके बदले कुछ हद तक उद्देश्य नहीं बदला। यानी महिलाओं की प्रगति। कल इसे 'कल्याण' में माध्यम से हासिल करने के प्रयास किए जा रहे थे तो आज 'सशक्तिकरण' में जरिए। लेकिन अभी रास्ता दुर्गम है। संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रयासों से इस लक्ष्य को पा लेना असंभव नहीं। ❑

(लेखिका पी.टी.आई. में संवाददाता हैं)

पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं के लिए 190 करोड़ रुपये की मंजूरी

शहरी रोजगार और निर्धनता उपशमन मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 65 करोड़ रुपये की लगभग पूरी राशि जारी कर दी है। इन 190 करोड़ रुपये की लागत से ये 10 परियोजनाओं सिक्किम समेत उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत एकमुश्त बजट के तहत मंजूर की गई हैं।

बांस से चटाई बनाने वाले 8 उत्पादन केन्द्रों का विकास मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय और असम में दो–दो केन्द्र।

- बेघर हुए फेरी वालों के लिए 8.432 करोड़ रुपये की लागत से कैलाशहर में सुपर बाजार का निर्माण।
- त्रिपुरा के रानीर बाजार में 5.372 करोड़ रुपये से सुपर बाजार का निर्माण
  बेघर हुए फेरीवालों के लिए न्यू में 7.085 करोड़ रुपये से सुपर बाजार का निर्माण।
  मोटर स्टैंड, सोनामुरा नगर पंचायत
- सिक्किम चरण–II में शहरी क्षेत्रों के लिए 2.607 करोड़ रुपये/स्वच्छता परियोजना।
- पूर्व सिक्किम के लोअर लिंगडिंग में 3.165 करोड़ रुपये से झुग्गी–झोपड़ियों के पुनर्वास केन्द्र का निर्माण।

चरण–II

- सिक्किम की राजधानी गंगटोक (भाग I, II) के पुराने बूचड़खाने में 24.908 करोड़ रुपये से सब्जीमंडी तथा पार्किंग कंपलैक्स का निर्माण।
- असम की राजधानी गुवाहाटी (प्लाटलैंड 9945 वर्गमीटर) में बोरसाजल में 20.715 करोड़ रुपये से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए चार मंजिला आरसीसी भवन का निर्माण।
- असम की राजधानी गुवाहाटी में (प्लाटलैंड 12435 वर्गमीटर) बोरसाजल में 21.230 करोड़ रुपये से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए चार मंजिला आरसीसी भवन का निर्माण।
- मिजोरम के कोलासिब में 5.750 करोड़ रुपये के शॉपिंग सेंटर का निर्माण
- आईजोल शहर में 23.939 करोड़ रुपये से शहरी और निर्धनता उपशमन कार्यक्रम
- उत्तर मिजोरम में 10.294 करोड़ रुपये से शहरी निर्धनता उपशमन कार्यक्रम
- दक्षिण मिजोरम में 10.666 करोड़ रुपये से शहरी निर्धनता उपशमन कार्यक्रम
- शॉपिंग और मल्टी कंपलैक्स बैगजिंग का 11.579 करोड़ रुपये का निर्माण
- जिरीबाम में 16.060 करोड़ रुपये से मार्किट कंपलैक्स का निर्माण
- आधारभूत/ढांचागत विकास और निम्न लागत गृहों का निर्माण

अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, सीपा, तवांग, पासीघाट, रोविंग और डेपोरिज़ो में सफाई कर्मचारियों और निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए निर्माण कार्य।

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

महिला सशक्तिकरण

प्रतापमल देवपुरा

आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को स्वयं की ताकत के बारे में जागृत किया जाए। जिससे वे सामाजिक विकास की प्रर्वतक बन सकें। महिलाएं जब तक अपनी शक्ति, क्षमता व आत्मविश्वास को जागृत नहीं करेंगी तब तक बाह्य कारक उन्हें सशक्त नहीं बना सकते हैं। परिवार की अधूरी नारी को जागरूक बनाकर समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्त समाज से ही देश मजबूत होता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहां-जहां स्त्रियों के श्रम संघर्ष और सहकारी प्रयत्न से उनका सबलीकरण हुआ है वहां समाज में अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य है सामाजिक सेवाओं के समान अवसर, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन का अधिकार आदि। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में एक तिहाई पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। परिणामस्वरूप पूरे देश में 11 लाख महिलाएं पंचायतों के काम-काज में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन गई हैं। इसका राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब महिलाएं अपने आप को एक सशक्त भूमिका में प्रस्तुत करेंगी। सशक्तिकरण बाहर से थोपा नहीं जा सकता वह तो स्वयं के भीतर से उत्पन्न होना चाहिए।

सार्थक शिक्षा का प्रबन्ध

शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता तथा अन्याय से लड़ने की नैतिक शक्ति पैदा होती है। वे अपने प्रति हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव को पहचान कर उसका प्रतिकार करने योग्य बन सकती हैं। शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने पर ही महिलाएं कानून द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। जब हम चाहते हैं कि महिलाएं राष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदार बनें तब उनका शिक्षित होना एवं जागरूक होना आवश्यक है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का शिक्षा में पिछड़ापन सर्वविदित है। यदि लड़कियां किसी प्रकार विद्यालय में प्रवेश लेती भी हैं तब भी उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है।

वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में हर सौ बालिकाएं जिनका कि पहली कक्षा में दाखिला होता है, उनमें से चालीस पांचवीं कक्षा तक, अठारह आठवीं कक्षा तक, नौ दसवीं कक्षा तक पहुंच पाती हैं, तथा सिर्फ एक बारहवीं कक्षा तक पहुंच पाती हैं। आज प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक उच्च प्राथमिक शाला है तब क्या कारण है कि गांव की लड़कियां आठवीं कक्षा तक की शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाती हैं।

प्रत्येक परिवार के लिए यह आवश्यक हो कि सभी लड़कियां आठवीं तक की शिक्षा तो अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। लड़कियों के लिए आठवीं तक की शिक्षा निःशुल्क है। ऐसी हालत में भी लड़कियों को छोटे-छोटे घरेलू काम-काज में लगाए रखना जीवनभर के लिए उन्हें अशिक्षित छोड़ देता है। उन परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो बालिकाओं को शिक्षित करने में सहयोग नहीं देते हैं। माता-पिता, अभिभावकों को समझा बुझाकर, दण्ड करके, बाध्य किया जाए जिससे बालिका शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो सके। दलित और पिछड़े वर्गों की बालिकाओं में शिक्षा के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है।

निर्णय लेने की क्षमता का विकास

महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक है कि उनका चहुंमुखी विकास किया जाय। कानूनों के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाया जाय। इसके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई है। अब जब महिला जनप्रतिनिधियों को पुरुष प्रधान राजनैतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए खड़ा कर दिया गया है तब उनकी भूमिका को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए खुद को तैयार रखना है। साथ ही स्थानीय लोग सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं सभी मिलकर उन्हें सहयोग प्रदान करें। महिलाओं को भी छोटे-छोटे समूह बनाकर विभिन्न विषयों, मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा व घर के कामकाज के साथ ही वे बैठकों में भाग लेने, योजना बनाने, क्रियान्वित करने, निर्णय लेने एवं उन्हें लागू कराने में सक्षम बनेंगी।

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता

महिलाओं को सबल बनाने में उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। यद्यपि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार किया है परन्तु अशिक्षा, परम्परावादी दृष्टिकोण एवं जागरूकता की कमी के कारण आज भी मातृ-मृत्युदर 677 प्रति लाख है। इसको कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करना होगा। प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक उपस्वास्थ्य केन्द्र है। पंचायतें यह देखें कि उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, बच्चों के जन्म देने, उनकी देख-रेख करने आदि की समस्त सुविधाओं का विस्तार

हो। वहां बच्चों के टीकाकरण एवं उनके स्वास्थ्य की देखभाल का प्रबन्ध रहे। यदि रोगी को अस्पताल में भर्ती रखा जाना है तो उसके लिए समस्त व्यवस्थाएं केन्द्र पर विकसित की जाएं। परिवार में महिला एवं बालिका की बीमारी के समय लम्बे समय तक उपचार की जरूरत क्यों नहीं समझी जाती है? टोने-टोटके की शरण लेने की प्रथाओं के कारण स्वास्थ्य संबंधित अनेक परेशानियां बनी रहती हैं। गांवों में भी महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु विशेष प्रबन्ध करें।

अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

हमारे संविधान से लेकर सामाजिक रीति-रिवाजों में भी महिला एवं बालिकाओं को अनेक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की जानकारियां नहीं होने से महिलाएं अनेक लाभों से वंचित रह जाती हैं। अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की जानकारी करवाई जानी है। उन्हें समाज में पुरुषों के साथ मिलकर ही कार्य करना होता है। समाज में पुरुष और महिलाएं दोनों ही मिलकर परिवार रूपी गाड़ी को चलाते हैं। समाज में ऐसी व्यवस्था को विकसित करें जिससे कानूनी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की ठीक से जानकारी हो सके। विचार-विमर्श, सभा, सम्मेलनों व साहित्य के माध्यम से इन जानकारियों को निरन्तर बढ़ाने के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। सभी स्तरों पर इस प्रकार की जानकारियां बढ़ाने के लिए उपाय करते रहें।

सामाजिक कुरीतियां समाप्त करना

समाज में अनगिनत कुरीतियां फैली हुई हैं। इन कुरीतियों में बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, मृत्यु भोज, विवाह समारोह पर अत्यधिक व्यय, नशाखोरी, पुत्र को प्राथमिकता, भ्रूण हत्या आदि सम्मिलित हैं। प्रत्येक रीति-रिवाज, प्रथा, धारणा, मान्यता पर सामाजिक बहस करें जो उचित और व्यावहारिक हो उन्हें रखें। समाज के कुछ वर्गों में अभी भी लड़कियों के जन्म को अशुभ मानने की रूढ़िगत परम्परा विद्यमान है। इस तरह नारी की उपेक्षा उसके जन्म से ही प्रारम्भ हो जाती है। उपेक्षा के फलस्वरूप ही ग्रामीण महिलाओं को लाभकारी व्यवसायों में काम करने की इजाजत नहीं दी जाती है। फलस्वरूप उन्हें रोजमर्रा के घरेलू कार्यों में कार्यरत रहना पड़ता है। पंचायतें इन मामलों में प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। गलत मान्यताओं को छोड़कर उपयोगी बातों पर विचार आरम्भ कर सकती हैं। महिलाओं को इतना सबल अवश्य बनाया जाए कि वे अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकें। आवश्यकता होने पर सामाजिक एवं कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं का विकास किया जाए कि वे महिलाओं पर अत्याचारों एवं शोषण पर सुनवाई करके उन्हें न्याय दिला सकें। जन-चेतना जागृत कर कुरीतियों की समाप्ति में कर सकें।

कौशल विकास से क्षमता बढ़ाना

लड़कियों के घरेलू काम-काज करने पर तो विशेष ध्यान दिया जाता है परन्तु बाहर के काम-काज सीखने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि उन्हें बाहर के काम-काज करने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो उनमें वे कार्य करने के कौशल किस प्रकार विकसित होंगे? क्रय-विक्रय करना, बैंक व कार्यालयों के काम, बैठकों में भाग लेना, समूह गठन करना, उद्योग धंधों का संचालन करने जैसे अनेक कार्य हो सकते हैं। यदि महिलाएं इन कार्यों को करेंगी तो उनके कौशल का विकास होगा एवं अपनी क्षमताओं को पहचान कर वे अपने एवं परिवार के विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बन सकेंगी। अपने आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास एवं संवेदनशीलता को बढ़ाकर समता एवं समानता का हक हासिल करें। महिलाओं को इस प्रकार की दक्षता या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी मिल सकें। गांवों में पंचायतों द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवनों में प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं।

उनमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि मशीनें लगा सकते हैं। उन्नत कृषि एवं डेयरी की जानकारियां कराई जा सकती हैं। इस काम को सिखाने के लिए स्थानीय अथवा बाहर के प्रशिक्षकों को बुलाकर थोड़े-थोड़े समय के बाद समूह में कार्य सिखाया जाए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि वे ठीक तरह से काम सीख जाएं एवं उसे रोजगार के रूप में अपना लें।

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता

सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रता की है। परिवार में अधिक श्रम महिलाओं को ही करना पड़ता है। परन्तु उनका श्रम पूर्णतः अवैतनिक रहता है। सुबह से रात तक घर और खेती के कार्यों में जूझती महिलाओं के श्रम का अधिकांश फल पूरे परिवार को मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन हो ताकि उनके श्रम का सही प्रतिफल उन्हें मिले। इसके लिए उन्हें शिक्षित-प्रशिक्षित तो होना ही पड़ेगा।

आठवीं एवं दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए। लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण लेने पर वे अपना रोजगार कर सकेंगी। परिवार की आय में वृद्धि होगी। इस दिशा में स्वयं-सहायता समूह अधिक कारगर हो सकते हैं। छोटी-छोटी बचत को इकट्ठा करके पूंजी निर्माण करें।

उस पूंजी में से व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाएं जिससे गांव में उत्पादित होने वाली प्रत्येक सामग्री एवं उपज का उन्हें पूरा-पूरा लाभ मिल सके इसके लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दें। ग्रामीण महिलाओं को लाभदायक रोजगार प्रदान करने और पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक अर्जित करने में आड़े आने वाले अवरोधों से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। रोजगार का सृजन करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को बनाते समय गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली ग्रामीण भूमिहीन महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा खोले गए रोजगार के नवीन अवसरों के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

स्व-रोजगार के लिए स्वयं-सहायता समूह

समूह बनाने की योजना : स्थानीय स्तर पर जागरूक लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, राजकीय

अभिकरणों आदि के द्वारा लोगों से अनौपचारिक सम्पर्क कर बातचीत करते हैं। जिससे उनके परिवार, व्यवसाय, ऋण-ग्रस्तता, सामाजिक कुरीतियों, सरकारी योजनाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि विषयों पर स्थानीय महिलाओं को जागरूक किया जा सकता है। जब कुछ लोगों में यह जागृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे तो उनकी औपचारिक बैठक आयोजित कर समूह बनाएं। समूह में लगभग समान विचार एवं आर्थिक स्थिति वाले 10 से 25 लोगों को ही सदस्य बनाया जाना चाहिए। जब समूह तैयार हो जाए तो उसे अधिक सक्रिय बनाने के लिए चुनाव करना चाहिए। इसमें किसी शिक्षित व्यक्ति का चुना जाना ठीक रहेगा।

समूह प्रबन्धन : समूह के सदस्यों से अल्प बचत की एक निश्चित राशि उनकी सुविधानुसार तय कर एकत्रित की जाए। एकत्रित राशि समूह के विश्वास-पात्र शिक्षित व्यक्ति अथवा कोषाध्यक्ष के पास जमा कराई जाए। समूह का नाम, प्रतिमाह हिस्सा राशि जमा कराने की तारीख, समय पर न जमा कराने पर पैनल्टी, लोन, ब्याज, मासिक किस्त आदि तमाम बातों को समूह की सहमति से निश्चित कर लिया जाना चाहिए। समूह को सुदृढ बनाने के लिए अधिक से अधिक बातों पर विचार करना चाहिए।

प्रबन्धकीय समिति का कार्यकाल, प्रत्येक पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण करना, आकस्मिक घटना के लिए राशि रिजर्व रखना, झगड़ा करने वाले सदस्य को हटाना, सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में सदस्य को नामित करना ऐसे अनेक मुद्दों पर विचार करके समूह के नियम लिखित रूप में तैयार कर लेने चाहिए जिससे बाद में किसी प्रकार का विवाद पैदा न हो। समूह का अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा, आकस्मिक स्थिति में मीटिंग बुलाएगा, सदस्यों को प्रोत्साहित कर सभी का सहयोग लेगा और उन्हें आवश्यक जानकारी देगा।

सचिव समूह की मीटिंग बुलाकर उसमें लिए गए निर्णयों को लिखित रूप से अंकित करेगा। समूह के लिए आवश्यक रिकार्ड तैयार कर सुरक्षित रखेगा। कोषाध्यक्ष का काम धनराशि एकत्रित करना, रिकार्ड में लिखना, रसीद देना, ऋण का प्रबन्ध करना, खर्चों का हिसाब रखना एवं सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना और हिसाब का प्रमाणीकरण कराना होगा।

समूह का बैंक में लेन–देन : समूह के सदस्यों में कुछ अर्से तक नियमित लेन-देन चलता रहे जिसका हिसाब-किताब रखा जाए फिर समूह के निर्णयानुसार बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। बचत खाता समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाए। इस खाते में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से ही रुपया निकाला जा सकेगा। समूह के कामकाज के आधार पर बीपीएल परिवार की महिलाओं को बैंक पच्चीस हजार रुपये रिवाल्विंग फंड के रुपये भी उपलब्ध कराता है। इस राशि का उपयोग भी समूह के सदस्य ऋण के लिए कर सकते हैं। जिससे उनका समूह आपसी विश्वास के साथ मजबूत बन सके और ऋण की वापसी नियमित हो सके। इससे जरूरतमंद को ऋण देने में सुविधा रहेगी।

स्वयं–सहायता समूह से महिला सशक्तिकरणः स्वयं-सहायता समूह निर्माण का कार्य पिछले कुछ वर्षों से स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ किया गया। जहां पर भी ईमानदारी से प्रयत्न किये गए हैं वहां इन प्रयासों को बहुत अधिक सफलता मिली है। कुछ परिणाम तो ऐसे निकले जिनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक प्रभाव महत्वपूर्ण हैं। विशेषरूप से इन तीनों क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के अभियान में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

सामाजिक क्षेत्र- समूह के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है जिससे वे अपने मन की बात अपने साथियों के साथ बांटकर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। समूह को नई बातें सीखने, नए स्थानों पर जाने, नए लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता है जिससे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। शोषण के खिलाफ लड़ाई करने की हिम्मत आती है। दहेज, बाल-विवाह, शराब, मृत्युभोज, आदि कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत बढ़ती है।

आर्थिक क्षेत्रः छोटी-छोटी बचत से पूंजी निर्माण होता है जिसे आवश्यकता के समय काम में लिया जा सकता है। सामूहिक रूप से काम करने की भावना मजबूत होने से आर्थिक गतिविधियों का कुशलता से संचालन किया जाना संभव होता है। सदस्यों द्वारा कम ब्याज पर संकटकालीन ऋण व्यवस्था कर लेने से परिवार में सम्मान बढ़ता है। उत्पादक गतिविधियों में सम्मिलित होने पर आय में वृद्धि होने से जीवन में सुधार आता है। बचत करना, बैंक से लेन-देन करना, ऋण लेना, ऋण चुकाना एवं लेखा-जोखा रखने से आर्थिक स्वावलंबन बढ़ता है।

राजनैतिक क्षेत्रः समूह में कार्य करने से लोगों में पहचान बनती है। नेतृत्व गुणों का विकास होने से चुनाव लड़ने की हिम्मत आती है। उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व करने, अपनी मांगों को रखने, उन्हें मनवाने की ताकत बढ़ती है। गरीब लोगों के लिए बनने वाली योजनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदानकर समूह के लागों की मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी के अवसर तो हैं लेकिन समान अवसर प्राप्त करने हेतु उन्हें अभी संघर्षों की लम्बी यात्रा करनी होगी। वस्तुतः महिलाओं द्वारा शासन में भाग लेने से व्यवस्थाओं में मितव्ययता, सुशासन, ईमानदारी, भ्रष्टाचार उन्मूलन, निष्ठा, लगन, उत्तरदायित्व आदि मूल्यों का आना संभव है। प्रायः देखा गया है कि विकास की प्राथमिकता के बारे में महिलाएं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए टिकाऊ विकास, वन संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, शौचालय तथा स्नानघर की उचित व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, कुटीर उद्योगों आदि के मसलों को अधिक महत्व देती हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने हेतु गैर सरकारी एवं सरकारी संगठनों, महिला समूहों आदि को एक साथ कार्य करना होगा। आने वाले वर्षों में एक बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी।

महिलाओं को अधिक पद प्राप्त होने और उनकी सशक्त भूमिका बनने पर विकास की कई विसंगतियां दूर करने में मदद मिल सकती है। विकास की एक बेहतर समझ सामने आ सकती है। ❑

(लेखक नागरिकता संस्थान, विद्याभवन सोसायटी, उदयपुर में प्रशिक्षण अधिकारी हैं)

महिला शिक्षा के अनसुलझे पहलू

डा. चन्द्रपाल

मनुष्य की मानसिक शक्ति के विस्तार हेतु शिक्षा एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्त्री हो या पुरुष किसी को शिक्षा से वंचित रखना उसकी मानसिक क्षमता विकसित होने से रोक देना है। पूर्ण व सुचारू शिक्षा न मिलने से महिला बाहर के दायित्वपूर्ण कार्यों का भार उठाने में असमर्थ होती है। शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान, कौशल, जीवन मूल्य और दृष्टिकोण हासिल करती हैं, उससे वह जीवन में मनचाही गुणवत्ता ला सकती है। बाहर के दायित्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह और अपने बच्चों का पथ प्रदर्शन प्रभावशाली ढंग से कर सकती है। एक पुरानी कहावत है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यदि परिवार में महिला शिक्षित होती है तो पुरुष उससे प्रभावित होगा ही और स्वाभाविक है कि इससे बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होंगे ही । चूंकि बच्चे किसी भी राष्ट्र के भावी जीवन की आधारशिला होते हैं। इसलिए यदि कोई राष्ट्र महिला शिक्षा पर ध्यान दे रहा है तो वह बच्चों के भावी जीवन को सुधार रहा है।

"वर्तमान सामाजिक ढांचे में महिलाओं पर भारी बोझ है। वे घर चलाती हैं और नई पीढ़ी तैयार करना उनकी खास जिम्मेदारी है। इसके साथ ही वे प्रायः अन्य कामों में भी हाथ बंटाती हैं। अशिक्षित महिला बेबसी अपने माता-पिता, पति और बच्चों पर निर्भर हो जाती है। वह स्वयं अपने जीवन को बोझ समझने लगती है। शिक्षा स्वाभिमान की भावना जगाती है और कार्यक्षेत्र की सीमा का विस्तार करती है। वह काम कर सकती है, व्यवसाय में उल्लेखनीय स्थान बना सकती है और अपनी प्रतिभा से ख्याति प्राप्त कर सकती है, यदि वह घर पर रहना चुनती है तो वह अपने बच्चों का प्रभावशाली ढंग से पथ पदर्शन कर सकती है और अपने परिवार की विभिन्न प्रकार से सहायता करने में और सक्षम हो सकती है।

आज हमारा देश विश्व के सभी देशों के साथ विकास की दिशा में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाता जा रहा है। इस कार्य में देश का प्रत्येक नागरिक बढ़-चढ़कर योगदान दे रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के 57 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिला शिक्षा देश की प्राथमिक समस्याओं में शामिल नहीं है। वैसे तो सरकार ने एक विधेयक पारित करके 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का संकल्प लिया था लेकिन अभी उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई है।

आज भी देश में लगभग 30 करोड़ लोग निरक्षर हैं और इसमें भी अधिकतर हिस्सा महिलाओं का है। विश्वभर में प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों का तीन बटा पांच भाग लड़कियों का है। भारत में स्कूल जाने वाली आयु की 3 करोड़ बालिकाएं पढ़ने नहीं जा रही हैं। चिन्ताजनक बात तो यह है कि स्कूल जाने वाली बालिकाओं की भी पढ़ाई विभिन्न कारणों से पांचवीं कक्षा तक पहुंचने से पहले ही छुड़वा दी जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय (1951) महिलाओं में साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी जो सन् 2001 में बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो गई है। कहने को तो साक्षरता दर में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है परन्तु क्या महिलाओं की शिक्षा में वास्तव में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो

तालिका

वर्ष	महिला साक्षरता (प्रतिशत में)	पुरुष साक्षरता (प्रतिशत में)	सकल साक्षरता (प्रतिशत में)	महिला साक्षरता में दशाब्दि वृद्धि	साक्षरता दर में पुरुष–स्त्री अंतर
1951	8.86	27.16	18.33	—	8.30
1961	15.34	40.40	28.31	6.48	25.06
1971	21.97	45.95	34.45	6.63	23.98
1981	29.29	56.50	43.67	7.88	26.65
1991	39.29	64.13	52.21	9.44	24.84
2001	54.16	75.85	65.38	14.87	20.69

यह स्थिति और भी बदतर है। आज गांव की पहली कक्षा में पढ़ने वाली 100 बालिकाएं पांचवी कक्षा में पहुंचते-पहुंचते मात्र 40 रह जाती है। आठवीं कक्षा तक 18, दसवीं कक्षा तक 8 और हायर सेकेण्डरी में इनकी संख्या 1 या 2 रह जाती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में उच्च शिक्षा का प्रतिशत 1 या 2 प्रतिशत रह जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानव संघ की रिपोर्ट के अनुसार 174 देशों के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में भारत जिम्बाव्वे, पापुआ न्युगिनी म्यांमार और इराक जैसे कम विकसित देशों से भी पिछड़ा है।

महिला शिक्षा में बाधाएं

पिछले 56 वर्षों में भारत में महिला शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है किन्तु अभी भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में साक्षरता का स्तर काफी निम्न है। इसके लिए अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी रहे हैं, जो बालिकाओं एवं महिलाओं तक शिक्षा के प्रकाश को पहुंचने देने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं–

- लड़कियों पर अनेक पाबंदियां लगाई जाती हैं। उन्हें उपदेश दिए जाते हैं, कि लड़कियों को शान्त, सौम्य, सहनशील, आज्ञाकारी, शर्मीली तथा विनीत होना चाहिए। उन्हें भड़काने वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यही नहीं लड़कियों को परिवार से निकलकर पूछताछ करने पर भी आपत्ति की जाती है। बड़ी हो जाने पर उन्हें पर्दे में रहने को बाध्य भी होना पड़ता है। (विशेषकर कुछ मुस्लिम परिवारों में और कुछ अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, पुरातनपंथी हिन्दू परिवारों में) इन बंदिशों के चलते ही दो चार कक्षा पढ़ने के बाद ही लड़कियां बस्ते को विदा कर घर बैठ जाती हैं।
- माता-पिता का लड़कियों को पढ़ाई के प्रति उदासीनता वाला दृष्टिकोण पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की गिनती को बढ़ा देता है। लड़कियों की पढ़ाई के प्रति उदासीनता के पीछे कुछ तर्क छिपे रहते हैं। एक तर्क तो माता पिता यह देते हैं कि यदि लड़कियों को अधिक पढ़ाएं तो उनकी शादी के लिए अधिकार शिक्षित लड़के की खोज करनी पड़ेगी। परिणामस्वरूप समान शैक्षिक लड़के के माता पिता अपने लड़के की शिक्षा के बदले अधिक दहेज की मांग करेंगे, क्योंकि उन्होंने लड़के की पढ़ाई पर अधिक धन खर्च किया है। दूसरे तर्क वे यह देते हैं कि लड़की विवाह के बाद घर छोड़ देगी और प्राप्त की गई शिक्षा तथा कौशल उसके साथ चला गाएगा। उस पर लगाई गई लागतं बेकार जाएगी। तर्क यह भी दिया जाता है कि क्या होगा लड़की को पढ़ा लिखाकर, आखिर करना तो उसे चूल्हा चौका ही है और चूल्हे चौके का ज्ञान तो वह घर पर ही रहकर कर लेगी। लड़की के प्रति शिक्षा के मामले में एक उदासीनता यदि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर न भी झलके तो माध्यमिक या उच्च शिक्षा के स्तर पर पहुंचते पहुंचते तो अवश्य झलक जाती है।
- कुछ परिवारों में लड़कियों को एक आर्थिक परिसम्पत्ति के रूप में देखा जाता है उनके लिए लड़कियों को स्कूल भेजना आर्थिक पक्ष को प्रभावित करने के समान होता है। इससे उनके परम्परागत जीवनयापन के और श्रम विभाजन के तरीकों में विस्थापन पैदा होता है। गरीबी में कम आयु में ही लड़कियों को श्रम साध्य कार्यों में लगा देना आम बात है, क्योंकि गरीब परिवारों के सोपान में, रोटी की व्यवस्था करना प्राथमिक लक्ष्य होता है और शिक्षा प्राप्त करना द्वितीयक। ऐसे में मां-बाप सोचते हैं कि यदि लड़की शिक्षा प्राप्त करने चली गई तो मजदूरी जो वह कमाकर लाएगी उससे हाथ धोना पड़ेगा और रोटी की व्यवस्था में व्यवधान पैदा होगा।
- परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति भी मझधार में पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश करती है। भले ही शिक्षा निःशुल्क हो, क्योंकि लड़कियों को विद्यालय द्वारा स्वीकृत ड्रैस तो चाहिए ही और वह ड्रैस निरन्तर साफ होती रहनी चाहिए ही। उस पर भी उनके लिए महंगी किताबें तथा कापियां आदि भी चाहिए। यदि स्कूल तथा कॉलेज दूर हो तो यातायात खर्च भी चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि जहां दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करना ही कठिन हो वहां इन अतिरिक्त खर्चों की पूर्ति कैसे होगी। यह स्थिति उस समय और भी चिंतनीय हो जाती है जब परिवार में स्कूल जाने वाली आयु के बच्चों को संख्या अधिकार हो। अधिक दूरी के स्कूलों तथा कॉलेज में लड़कियों का जाना आर्थिक दृष्टि से तो अव्यवहारिक होता ही है सुरक्षात्मक दृष्टि से भी लड़कियों का दूर के स्कूल तथा कॉलेज में जाना संभव नहीं हो पाता। दूरी पर यदि स्कूलों में छात्रावास हो तो भी माता पिता वहां लड़की को रखना असुरक्षित समझते हैं।
- शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं का क्रूर व्यवहार (बेंत से पिटाई, सार्वजनिक रूप से यातना देना) कभी–कभी लड़कियों को स्कूल तथा कॉलेज छोड़ने को विवश कर देता है। क्रूर व्यवहार से उनके मन में डर बैठ जाता है। स्कूल दंड स्थान जैसा लगता है। कुछ अभिभावक लड़कियों द्वारा घर पर की जाने वाली बाल शरारतों से मुक्ति पाने के लिए शिक्षकों शिक्षिकाओं तथा आचार्यों से लड़की की ढेर सारी शिकायतें करते हैं जिसका भाव यही होता है कि वे लड़की को कस कर रखें उसे डराएं धमकाएं, डांट-फटकार लगाएं। मानो कि स्कूल कोई जेल हो या पुलिस स्टेशन। ऐसे में कभी-कभी स्कूल में कड़े प्रतिबन्ध लगा दिए जाते हैं, क्रूर व्यवहार किया जाता है। दूसरी तरफ अभिभावक स्कूल जाने का दबाव डालते हैं। स्कूल में अधिक समय वह वहां रहे, दो पाटों के बीच पिसने वाला वह परिवेश लड़की की पढ़ाई में व्यवधान नहीं बनेगा तो क्या बनेगा।
- लड़कियों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए इसको मां-बाप ही तय करते हैं। मां-बाप चाहते हैं कि लड़की डॉक्टर, इंजीनियर, सी.ए. बने पर लड़की है कि उसकी रुचि, रूझान, क्षमता इस तरह की पढ़ाई में है ही नहीं। ऐसे में मां-बाप के दबाव तथा अतिशय तनाव के कारण लड़कियों की पढ़ाई से अरुचि पैदा हो जाती है।
- शिक्षा के किसी भी स्तर पर लड़कियों को अनुत्तीर्णता का फल चखना पड़े तो शिक्षा का सरकता हुआ पहिया जाम ही समझो। भाई-बहन की घर पर देखभाल करना

घरेलू कार्य में माता की मदद करना, भुखमरी तथा कुपोषण की शिकार रहने के कारण लड़की का बार-बार बीमार पड़ना, इस स्थिति तक पहुंचा देता है। ऐसे में वे समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पातीं, गृह कार्य नहीं कर पातीं, परीक्षा की समय से तैयारी नहीं कर पाती। यह परिवेश शिक्षा के सरकते हुए पहिए में ब्रेक लगाने का काम करता है।

- कहीं स्कूल नीले आकाश के नीचे खुले मैदान में चलते हैं कहीं बैठने और पढ़ने के लिए बैंच, टाट, ब्लैक बोर्ड, शौचालय, पीने के पानी, खेल के मैदान, प्रयोगशाला जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होतीं। कभी स्कूल में एक ही शिक्षिका होती है, कहीं शिक्षक शिक्षिकाओं में लगन का अभाव, कहीं प्रबन्ध व्यवस्था की कमी, कहीं स्कूलों में सामूहिक नकल तो कहीं ट्यूशन की बढ़ती प्रवृत्ति। ऐसे में मां-बाप सोचते हैं कि हम लड़कियों को क्यों स्कूल भेजें। घर पर रहेगी तो काम करेगी। लड़कियों के लिए भी स्कूल में कोई आकर्षण नहीं होता। ऐसे में यदि स्कूल की सुविधाएं नजदीक में ही क्यों न हो वे स्कूल की सुविधा के दायरे से बाहर ही रहेंगी।
- विवाह के बाद लडकियां अक्सर स्कूल का मुंह नहीं देख पातीं। ऐसे में यदि उनका विवाह कम उम्र में हो जाए तो वे शीघ्र ही बस्ते को विदा कर देती हैं। एक ओर लड़की की विदाई हो रही होती है तो दूसरी ओर बस्ते की।

महिला शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक विकास हेतु सुझाव

वर्तमान में सबसे ज्वलन्त समस्या यही है कि महिला शिक्षा का उन्नयन तथा गुणात्मक विकास कैसे किया जाए। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय अपेक्षित हैं :

- बाल विवाह जैसी परम्पराएं समाप्त होनी चाहिए। जिन राज्यों में लड़कियों के विवाह की औसत आयु कम है उन राज्यों में आंध्र प्रदेश सरकार की बालिका संरक्षण योजना की तरह की योजनाएं चलानी चाहिए ताकि बाल विवाह पर अंकुश लगे तथा लड़कियों की पढ़ाई जारी रहे, जिससे वे जल्दी बस्ते को विदा न करें।
- औपचारिक शिक्षा स्तर पर विद्यालयों का परिवेश ऐसे निर्मित करना होगा जिससे लड़कियां स्कूल में अच्छा महसूस करें। शिक्षकों को अपने क्रूर व्यवहारों पर अंकुश लगाना होगा। दंड के तरीके बदलने होंगे।
- दूर शिक्षा का एक व्यापक नेटवर्क विकसित करना होगा ताकि लड़कियां घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकें हालांकि सुदूरवर्ती शिक्षा औपचारिक शिक्षा का पूरी तरह से स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह उनके बहुमूल्य अनुपूरक के रूप में तो कार्य कर सकती है।
- संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में जहां महिलाएं काम करती हैं वहां शिशु सदनों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि लड़कियों को स्कूल छोड़कर अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए घर पर न रुकना पड़े।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों के शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया जाए ताकि कम दूरी पर लड़कियों को शिक्षा सुलभ हो सके। इस बारे में सुनिश्चित होना आवश्यक है कि उनमें पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं हों। यदि स्कूलों तथा कॉलेजों में पर्याप्त संख्या में अच्छे शिक्षक हैं और बेहतर शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है या अन्य बुनियादी सुविधाएं होंगी तो स्वतः ही आकर्षण बढ़ेगा।
- जो लड़कियां औपचारिक स्कूलों में न जाने की स्थिति में हो उनकी पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। सांयकालीन, रात्रिकालीन तथा अवकाशकालीन विद्यालय इसमें सहायक हो सकते हैं।
- लड़कियों के लिए महिला छात्रावासों का निर्माण किया जाए जिनका प्रबंध एवं संचालन कुशलतापूर्वक किया जाए ताकि अभिभावकों की छात्रावासों के प्रति विश्वसनीयता बढ़े।
- जो अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं उन पर से शिक्षा का बोझ पूरी तरह से खत्म करना आवश्यक है। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे जिनसे वे लड़कियों को मजदूरी पर भेजने कि लिए विवश न हों।
- दोपहर के भोजन की चलने वाली योजना को अधिक प्रभावी तथा कारगर बनाना होगा। यह योजना उन लड़कियों को अधिक आकर्षित करेगी जिनके परिवारों में रोटी की व्यवस्था करना प्राथमिक लक्ष्य होता है, क्योंकि लड़कियों को कम से कम दिन में भोजन का आश्वासन तो मिल ही जाता है तथा इससे भूख और कुपोषण पर भी नियंत्रण लगता है, लेकिन इस बारे में सुनिश्चित होना आवश्यक है कि लड़कियां पूरे समय स्कूलों में रहें और शिक्षण के समय में कोई कटौती न हो।
- सरकार को संसाधनों की सीमितता को देखते हुए निजी स्कूलों का विस्तार किया जाए, लेकिन फीस वृद्धि पर कुछ अंकुश रखा जाना आवश्यक है। बस्ते के बोझ को हल्का करने के भी कुछ उपाय खोजने होंगे।
- माता–पिताओं को लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण समाप्त करना होगा। परिवार का यह दृष्टिकोण कि लड़कियों को अधिक न पढ़ाया जाए न्यायोचित नहीं है। परिवारों में अभी बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियों का प्रचलन है। इसको समाप्त करना होगा। माताओं द्वारा घर की पूरी जिम्मेदारी लड़कियों पर डाल देना उचित नहीं है। माता-पिता को अपने परिवार का आकार अपनी आमदनी के अनुसार रखना चाहिए जिससे वे आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी पुत्रियों की शिक्षा की अवहेलना जानबूझकर करने के लिए विवश न हों।
- सरकार द्वारा महिला शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयत्नों के साथ-साथ यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि स्वैच्छिक संस्थाएं, स्वयं सेवी संस्थाएं, समाज सेवी आदि इन प्रयासों में सक्रिय सहयोग दें।

आशा है कि उक्त सुझावों से महिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का सिलसिला मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप में उत्तरोत्तर निखरेगा एवं महिला शिक्षा को सही दिशा मिलेगी। ❑

(लेखक शा.के.पी. (पी.जी.) कालेज, देवास, मध्य प्रदेश से सम्बद्ध हैं)

पंचायती राजः महिलाओं की भूमिका

एम.एल. अग्रवाल और मयंक मोहन

भारत एक ग्राम प्रधान लोकतान्त्रिक देश है। लोकतन्त्र की निम्नतम इकाई ग्राम पंचायत होती है तथा स्थानीय स्वशासन में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। सन् 1959 में गठित बलवंतराय मेहता की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ, परन्तु पंचायती राज की प्रारम्भिक अवस्था पूर्णतः असफल सिद्ध हुई क्योंकि इसका मुख्य कारण सत्ता का पिछड़े वर्गों के स्थान पर गांव के उच्च एवं विशेष वर्गों के हाथों में चले जाना था। वास्तव में उस समय स्थिति ऐसी थी कि जिन वर्गों के उत्थान के लिये ग्राम पंचायती राज की व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी, उन्हीं वर्गों को पंचायती राज के प्रबन्ध कार्य से दूर रखा गया। इनमें से एक वर्ग महिलाओं का भी था। कालान्तर में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके उपयुक्त अर्थों में पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को भागीदार बनाने का निश्चय किया गया। अप्रैल 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई।

सन् 1959 में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तभी से यह अनुभव किया जा रहा था कि देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता किन्तु उस समय ग्रामों की राजनीतिक दशा कुछ इस प्रकार की थी कि कुछ विशेष वर्गों के हाथों में पंचायती राज व्यवस्था सिमट कर रह गई। यह विशेष वर्ग पिछड़ी जाति के व्यक्तियों तथा महिलाओं के नेतृत्व में किसी भी दशा में कार्य करने को तैयार नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि किसी महिला के ग्राम पचायत की प्रधान बनने की स्थिति में समस्त ग्रामीण पुरुष के अहम को चोट लगती थी। इसके अतिरिक्त भी ऐसी अनेक कठिनाइयां महिलाओं के सामने उपस्थित थीं जो कि उन्हें ग्राम पंचायत के साथ जोड़ने में बाधक थीं, जैसे – महिलाओं का अनपढ़ होना, महिलाओं में जागरूकता का अभाव, उनमें घरेलू जिम्मेदारियों के निर्वाह की प्राथमिकता का होना, महिलाओं में निर्णय लेने की अभ्यस्तता का अभाव होना, महिलाओं के द्वारा अपनी महत्वकांक्षाओं के दमन की प्रवृत्ति और पुरुष वर्ग द्वारा महिलाओं के नेतृत्व के लिए मानसिक रूप से तैयार न होना।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता क्यों है और यदि उनकी भागीदारी आवश्यक है तो उन्हें उनका यह अधिकार किस प्रकार दिया जा सकता है। इस संदर्भ में यहां यह उल्लेख करना अनावश्यक न होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था का आधार मुख्यतः महिलाएं ही होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उन महिलाओं से बेहतर भला कौन जान सकता है जो कि घर में चूल्हा जलाने के लिये ईंधन की व्यवस्था स्वयं जंगल से लकड़ी लाकर करती हैं, कोसों दूर पैदल चलकर पानी लाती हैं तथा दोपहर के समय विश्राम करने के स्थान पर कताई-बुनाई का कार्य करती हैं। इसी प्रकार अनेक ऐसी सामाजिक समस्यायें हैं जिनका समाधान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने ग्रामीण परिवेश की कठिनाइयों को स्वयं देखा एवं भोगा हो। यद्यपि अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को कानूनी दांव-पेंच की जानकारी नहीं होती, लेकिन वे जानती हैं कि सीमित साधनों में आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है तथा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से किस प्रकार निपटा जा सकता है। परन्तु भारत में जब ग्राम पंचायती राज का प्रारम्भ हुआ तो उसके पदाधिकारी ने व्यक्ति बन बैठे जिनका ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से शायद ही कभी साक्षात्कार हुआ हो और जिन्हें इन समस्याओं की जानकारी थी उन्होंने भी अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर कार्य किये । फलतः प्रारम्भिक पंचायती राज के सभी कार्यक्रम निष्फल होते चले गये । अतः पंचायती राज की निरन्तर असफलता एवं पुरुष समाज की उस पर निरंकुश दावेदारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पास किया ताकि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके तथा उनकी सच्ची भागीदारी से ग्राम स्वराज का सपना साकार हो सके।

संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था के परिणामस्वरूप, इस समय लगभग 10 लाख स्त्रियों त्रि-स्तरीय ढांचे में अध्यक्ष और सदस्य पदों पर कार्यरत् हैं। यह एक बड़ी संख्या है और निश्चित ही इससे अभी तक ठहरी ग्रामीण-व्यवस्था में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है। महिलाओं का यह राजनीतिक सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के विकास के लिए आवश्यक है अपितु यह उनकी सदियों से दबाई गई रचनात्मक क्षमता को भी समाज के सम्मुख उजागर करता है।

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका को लेकर पूर्व में काफी सर्वेक्षण किये जा चुके हैं जिनका बुनियादी निष्कर्ष यह है कि महिलाओं की राजनीतिक कार्यक्षमता के विषय में जो भ्रांतियां समाज में व्याप्त थीं उन्हें महिला पंचायत अध्यक्षों ने अपनी कार्य कुशलता एवं कार्य शैली के आधार पर दूर कर दिया है। इससे पुरुष वर्ग उनकी महत्ता समझने लगा

है और प्रारम्भ में महिलाओं को जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था अब वह कम होने लगा है।

निर्वाचित महिलाएं अन्य महिलाओं तथा किशोरियों के लिये आदर्श बन गई हैं। अब अधिकांश ग्रामीण महिलाएं अपनी समस्याओं को समुचित निर्वाचित महिला पंचायत अध्यक्षों एवं सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करती हैं तथा महिला पंचायत अध्यक्ष अपने राजनीतिक अधिकारों तथा अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर उन समस्याओं का समुचित समाधान प्रस्तुत कर रही हैं। ये पंचायत अध्यक्ष ग्रामीण समस्याओं पर तो नियन्त्रण कर ही रही हैं, इसके साथ ही इन्होंने कई क्षेत्रों में सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी अपना अभियान चला रखा है। पंचायतों के माध्यम से अनेक महिलाएं, जैसे– फातिमा बी (आन्ध्र प्रदेश), सविता बेन (गुजरात), सुधा पटेल (गुजरात), गुड़या बाई (मध्य प्रदेश), आदि ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिन्होंने पंचायतों का नेतृत्व सम्हालने के पश्चात् ग्रामीण विकास के अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों को आगे बढ़ाया है। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही उ.प्र. में सम्पन्न हुए पंचायत चुनावों में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने चुनाव में विजयी घोषित होकर अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया था जिसका ग्रामीण विकास, विशेषकर महिला और बाल विकास कार्यक्रमों पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है।

वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति परिवर्तित हो रही है। वे अपना पक्ष पूरी निर्भीकता तथा निष्पक्षता से बैठकों में रखने लगी हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से उन्हें जो नया परिवेश मिल रहा है, वह उनके लिये प्रगति तथा विकास के नये आयाम तो स्थापित कर ही रहा है तथा इसके साथ ही पुरूष समाज के वर्चस्व पर भी अंकुश लगा कर उन्हें यह समझाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है कि भारत की ग्रामीण महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं हैं तथा ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को किसी भी रूप में अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

महिलाओं ने अवसर प्राप्त करते ही घर की चारदिवारी से बाहर निकलकर अपने आप को कुशल प्रशासक के रूप में नेतृत्व करने की अपनी क्षमता को सिद्ध करने का सफल प्रयास किया है। इसका सशक्त उदाहरण राजस्थान का बाड़मेर जिला है। 73 वे संविधान संशोधन से पूर्व बाड़मेर जिले में जितनी बार भी पंचायत चुनाव हुए, कोई भी महिला सरपंच के पद पर निर्वाचित नहीं हुई थी, परन्तु वर्ष 1995 में नए अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात इस जिले में चुनाव कराये गए जिसमें इस जिले की 380 ग्राम पंचायतों में से 129 (33.94 प्रतिशत) महिला सरपंच चुनी गईं। इसी प्रकार इन 380 ग्राम पंचायतों में 4,170 वार्ड पंच चुने गए जिनमें लगभग 1,390 महिलाएं थीं।

इसी प्रकार भारत में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायतों के चुनाव कराये। इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के 1,44,735 प्रतिनिधि चुने गये, जिसमें से 48,993 स्त्रियां थीं। इसी प्रकार पिछड़ी जातियों के 82.504 प्रतिनिधि चुने गये जिनमें से 26,735 स्त्रियां थीं इसके अतिरिक्त सामान्य वर्ग से 61,993 स्त्रियां निर्वाचित होकर आईं। यह स्त्रियों की मुक्ति और सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था, जो कि समग्र विकास की एक अनिवार्य शर्त हैं।

73 वां संशोधन पास हुए अभी तक एक दशक ही पूर्ण हुआ है किन्तु वर्षों से घर की चारदिवारी के अन्दर बंद महिलाओं ने बाहर समाज में आकर एक कुशल प्रशासक के रूप में जिस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है, वह निःसंदेह ग्रामीण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का शंखनाद है। ❑

(लेखक देवनागरी कालेज, मेरठ के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय में रीडर तथा दूसरे लेखक डी.एन. कालेज, मेरठ में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/ चाहती हूं/ चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

....

पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग,

पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

महिला कल्याण एवं विकास
स्वास्थ्य कार्यक्रम और नीतियां

डा. इन्दु पाठक

व्यक्ति की सामाजिक सक्षमता और विकास के संदर्भ में उसका स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण सूचक माना गया है। इस सूचक के परिप्रेक्ष्य में यदि औसत भारतीय महिला की स्थिति और क्षमताओं की जांच की जाय तो अनुकूल तथा आशावादी तस्वीर नहीं उभरती। वास्तविकता तो यह है कि लैंगिक विभेद आज भी हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का यर्थाथ बना हुआ है जिसका सीधा प्रभाव स्त्री-पुरुषों की स्वास्थ्य स्थिति तथा स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में दिखाई देता है। महिला स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चर्चा प्रायः उसकी मातृत्व क्षमता, संतान जन्म तथा संतति नियंत्रण जैसे विषयों पर ही केंद्रित होकर रह जाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला स्वास्थ्य को एकांगी दृष्णिकोण से न देखा जाए तथा महिलाओं हेतु एक समन्वित स्वास्थ्य नीति का निर्माण हो।

भारत सरकार के योजना आयोग ने भी महिला स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानते हुए, महिलाओं के विकास के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र निर्धारित किए हैं :

(1) शिक्षा (2) स्वास्थ्य (3) कल्याण

महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति में शारीरिक और मानसिक के साथ-साथ उनकी सामाजिक दशाएं भी सम्मिलित मानी जाती हैं। महिला स्वास्थ्य पर उनकी जैविक-शारीरिक समस्याओं के अलावा, उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के बारे में संबंधित समाज के मानक तथा धारणाओं का प्रभाव भी पड़ता है। इन सामाजिक मानकों और धारणाओं का महिलाओं की प्रसूतिकालीन देखभाल सेवाओं, साथ ही निरोधक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था तथा उपयोग पर भी प्रभाव पड़ता है।

भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति संबंधी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है :

"महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाले सांस्कृतिक मानदण्ड हैं विवाह के प्रति दृष्टिकोण, विवाह की आयु, जनन क्षमता की दर और बच्चे का लिंग, पारिवारिक संगठन की अभिरचना, परिवार में महिला का स्थान और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिलाा की अपेक्षित भूमिका।"

इन सभी कारणों का महिला स्वास्थ्य के संदर्भ में विशेष महत्व है। साथ ही कम आयु में विवाह का सांस्कृतिक आग्रह, उच्च जनन क्षमता, माता व गृहणी की भूमिका का आदर्शीकरण आदि ऐसे कारक हैं जो महिला स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। प्रायः देखा गया है महिलाएं पहले संपूर्ण परिवार को भोजन कराती हैं और सबके बाद वे स्वयं भोजन करती हैं। और उसके बाद वे स्वयं भोजन करती हैं। यही कारण है कि गरीब परिवारों में भोजन की अपर्याप्तता के चलते महिलाएं कुपोषण से अधिक प्रभावित होती हैं। सेवा भाव की इस प्रक्रिया का आरोपण लड़कियों में छोटी उम्र से ही प्रारंभ कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रजोधर्म आरंभ होने पर कतिपय पारंपरिक मान्यताओं के चलते स्त्री को अनेकों वर्जनाओं व प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है और इन्हीं कारणों से महिलाओं का स्वास्थ्य उपेक्षित भी होता है।

यह समझना आवश्यक है कि महिलाओं की अच्छी या बुरी स्थिति से केवल महिला ही प्रभावित नहीं होती बल्कि महिला स्वास्थ्य समाज की सम्पूर्ण स्वास्थ्य के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं के स्वस्थ न होने का प्रत्यक्ष परिणाम कमजोर शिशुओं का जन्म तथा उच्च शिशु मृत्यु दर के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न अध्ययनों से विदित होता है कि औसत भारतीय महिला की स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं :

- प्रसूतिकाओं और नवजात शिशुओं की अपेक्षाकृत उच्च मृत्यु दर,
- प्रसूतिकाओं की बड़ी संख्या में रोगग्रस्तता,
- जन्म के समय जीवन की संभावनाओं में कमी,
- कुपोषण,
- मानसिक विकृति,
- अन्य स्त्रियोचित रोग,

बच्चों को जन्म देना व उनका पालनपोषण करना आजतक भी महिलाओं का ही मुख्य कार्य समझा जाता है। अधिकांश जनसमुदाय अपर्याप्त आवास व अस्वच्छ वातावरण में जीवनयापन कर रहे हैं तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी उन्हें ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं हैं। यही कारण है कि प्रसूति अवस्था आज भी कई स्थानों पर एक विशेष समस्या बन जाती है। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी इस चर्चा को निम्न बिन्दुओं पर केंद्रित किया गया है।

- महिला स्वास्थ्य संबंधी जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां
- स्वास्थ्य नीति व कार्यक्रम-महिलाओं के संदर्भ में।

महिला स्वास्थ्य संबंधी जनसांख्यिकी प्रवृत्तियां

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि के पश्चात स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ

है। लिंगानुपात का निरंतर महिलाओं के विपरीत होना, कम आयुवर्ग में स्त्रियों की अपेक्षाकृत उच्च मृत्युदर, उच्च प्रसवकालीन मृत्युदर आदि प्रमाणित जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां हैं। यद्यपि अनेकों सामाजिक-सांस्कृतिक कारण इन प्रवृत्तियों के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं परंतु महिलाओं के स्वास्थ्य को पर्याप्त महत्व न मिलना भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। 1901 से 2001 तक के जनगणना आंकड़ों से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि पिछली सदी में प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या हमेशा कम रही है। ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में लिंगानुपात महिलाओं के विपरीत रहा है। 1901 की जनगणना में प्रति हजार पुरुषों में जहां 972 स्त्रियां थीं वहीं 2001 तक यह संख्या घटकर केवल 933 रह गयी। पंजाब (874) सिक्किम (875) उ.प्र. (898) अण्डमान-निकोबार (846) आदि राज्यों में लिंगानुपात का 900 से कम होगा ध्यान देने योग्य है। लड़कियों के प्रति दिखाई जाने वाली उपेक्षा व उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का भाव भी कहीं न कहीं इस स्थिति का कारण है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती हुई उपलब्धता तथा उन्नत होती आर्थिक स्थिति के कारण, मृत्युदर में यद्यपि निरंतर कमी आ रही है, परंतु आज तक भी कम आयुवर्ग (0-4 व 5-9) में स्त्रियों की मृत्युदर अपेक्षाकृत अधिक है। यहां उल्लेखनीय होगा कि कुल मिलाकर शिशु मृत्यु-दर तथा प्रजननशील आयु वर्ग की महिलाओं की मृत्युदर में कमी आयी है। परंतु प्रसवकालीन मृत्यु दर आज भी एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। 1998 के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 407 रही। कुछ राज्य जैसे उ.प्र. (707) राजस्थान (670) मध्य प्रदेश (498) बिहार (452) आदि में प्रसवकालीन मृत्युदर राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि गर्भपात व मृत बच्चों का जन्म देना प्रसूतिकाल में महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। निम्न आय वर्ग की महिलाओं में यह स्थिति अधिक देखी गयी है। इसके अतिरिक्त गर्भधारण की स्थिति में रक्तस्राव तथा गर्भ में बच्चे का ठीक स्थिति में न होना भी महिलाओं की मृत्यु का कारण बनता है। प्रसवकाल से पूर्व महिलाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण कुपोषण, उनमें लोहे व रक्त की कमी होना है। बार-बार गर्भधान व संतान को जन्म देना भी महिलाओं की मृत्यु का कारण बनता है। नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे II, 1989-99 के नमूना सर्वेक्षण में पाया गया कि 51.8 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि शिक्षिका की तुलना में अशिक्षित, नगरीय की तुलना में ग्रामीण तथा कार्योजित की तुलना में गृहणियों में रक्ताल्पता की प्रवृति किंचित अधिक है। रजिस्ट्रार जनरल इण्डिया की रिपोर्ट (1997) के आंकडों के अनुसार आज तक भी मात्र 25.4 प्रतिशत महिलाएं अपनी संतानों को चिकित्सालयों, नर्सिंगहोम या स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता से जन्म दे पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। 59.6 प्रतिशत की नगरीय की तुलना में मात्र 17.8 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को उक्त सुविधा प्राप्त है। आज भी 49.2 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं घर पर ही अप्रशिक्षित दाईयों की सहायता से अपनी संतान को जन्म देकर स्वयं व बच्चे के जीवन के लिए जोखिम उठाती हैं। उपर्युक्त सभी आंकड़ों के आधार पर इस तथ्य को बल मिलता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम

स्वतंत्र भारत में नियोजित विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ ही, सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य का क्षेत्र भी योजनाबद्ध विकास की इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा। स्वास्थ्य नियोजन के प्रारंभिक वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य नीति प्रजननशीलता को कम कर जन्म-दर नियन्त्रित करने संबंधी मुद्दे प्राय उनकी प्रजननशीलता, मातृत्व, जन्मदर नियंत्रण में उनकी भूमिका आदि पर ही केंद्रित रहे हैं। यह देखा गया कि स्वास्थ्य नियोजन के क्षेत्र में किये गये प्रयासों का लाभ पुरुष वर्ग को अधिक हुआ। (अग्निहोत्री 2001, बाटलीवाला 1982, सदानन्दन 2001) यही कारण है कि महिला स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समन्वित स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता आज भी बनी हुई है।

स्वास्थ्य संबंधी प्रारंभिक योजनाएं आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण, संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रारंभ आदि पर केन्द्रित थी। (नवीं योजना प्लान 1997-2002) परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रजननशीलता को नियंत्रित करना था तथा इस संदर्भ में राज्य द्वारा किये गये प्रयासों से निश्चय ही जन्मदर में कमी भी आयी। (राव 2002) परंतु महिला स्वास्थ्य को केवल उनकी प्रजनन दर नियंत्रण के संदर्भ में ही मुख्यतः देखा जाना उचित नहीं था। स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम जैसे – परिवार नियोजन, स्वास्थ्य व परिवार कार्यक्रम, समन्वित मातृ व बाल स्वास्थ्य योजना, चाइल्ड सरवाइवल एण्ड सेफ मदरहुड आदि में महिलाओं की प्रजननक्षमता को ही मुख्य लक्ष्य बनाया गया है। सारणी-1 में प्रदर्शित सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों के विश्लेषण से भी यही तथ्य स्पष्ट होता है।

स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य परेशानियों जैसे – गठिया, जोड़ों की सूजन, श्वास व पाचन संबंधी समस्याएं, कुपोषण तथा तनाव व डिप्रैशन जैसी मानसिक अवस्था महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक पायी जाती है। महिलाओं के प्रति किये जाने वाले हिंसात्मक व्यवहार से उत्पन्न शारीरिक व मानसिक कष्ट का भी उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं हेतु आवश्यक समन्वित स्वास्थ्य नीति में इन सभी पक्षों पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। अनेकों शोध निष्कर्षों में महिला स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी स्पष्ट हुए हैं जैसे–

- पोषण के संदर्भ में पायी जाने वाली लैंगिक विषमता– जिसके कारण महिलाओं व लड़कियों के एक बड़े वर्ग को बचपन से ही पर्याप्त पोषण से वंचित रहना पड़ता है।
- उच्च महिला मृत्यु दर– इसी कारण हमारी जनसंख्या का लैंगिक अनुपात निरंतर महिलाओं के विपरीत बना हुआ है।
- बीमारी में उचित देखभाल न होना व चिकित्सकीय सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता।

महिला स्वास्थ्य के संदर्भ में उक्त सभी बातों को ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

नैनीताल

सारिणी संख्या–1

सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम

क्र. सं.	सार्वजनिक कार्यक्रम / रिपोर्ट	नीति वरीयता क्षेत्र	महिलाओं संबंधी मुद्दे
1.	स्वास्थ्य सर्वेक्षण व विकास कमेटी (भोरे कमेटी) रिपोर्ट (1946)	सुव्यवस्थित व बहुआयामी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण पर विशेष बल, मातृ स्वास्थ्य के महत्व पर बल	सभी कार्यक्रमों में (नवीं योजना दृष्टिकोण को छोड़कर) मातृत्व व सन्तान जन्म संबंधी समस्याओं क अतिरिक्त महिलो स्वास्थ्य के अन्य पक्षों पर विशेष ध्यान नहीं
2.	मातृ व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (1946)	प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात देखभाल	
3.	परिवार नियोजन कार्यक्रम (1952)	प्रजनन दर में कमी	
4.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (1975)	टीकाकरण प्री–स्कूल बच्चों के लिए पूरक भोजन की व्यवस्था तथा स्वास्थ्य परीक्षण	
5.	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण कार्यक्रम (1979)	प्रजनन दर नियन्त्रण नीति का मातृ व बाल स्वास्थ्य से समन्वय तथा पोषण	
6.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (1983)	टीके द्वारा नियन्त्रित होने वाली बीमारियों के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण की व्यवस्था	
7.	चाइल्ड सरवाइवल व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम (1992)	प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान तथा प्रसव पश्चात महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण संबंधी शिक्षा आदि।	
8.	नेशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम (1972)	गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आइरन व फौलिक एसिड टैबलेट का वितरण	
9.	नवीं योजना (1997–2002) में स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण	सुरक्षित मातृत्व, वैध गर्भपात सुविधा कमजोर/असहाय वर्ग (स्पष्टतः परिभाषित नहीं) के लिए प्रभावी पोषण व्यवस्था आर.टी.आई. व एस.टी.डी. की रोकथाम व उपचार, स्त्रियोचित समस्याओं की रोकथाम व उपचार, वक्ष व सर्विक्स कैन्सर की रोकथाम	

स्रोत – नवीं योजना डाक्यूमैंट (भारत सरकार 2000)

निर्धनता के चलते पोषण की कमी तथा चिकित्सकीय सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता का प्रभाव सबसे पहले लड़कियों व महिलाओं पर ही पड़ता है। दूसरी ओर निरंतर बढ़ती हुई स्वास्थ्य सेवाओं के उपरांत भी उच्च महिला मृत्यु दर व विषय लैंगिक अनुपात बना हुआ है जिसके लिए अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक कारक भी उत्तरदायी है। महिला स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा मिलकर महिला स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आज स्थिति यह है कि न सिर्फ विकसित देशों की महिलाएं बल्कि दक्षिण एशियाई विकासशील देशों की महिलाएं भी स्वास्थ्य के संदर्भ में हमसे बेहतर स्थिति में हैं।

सारणी-2 के आंकड़ों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। महिला जनसंख्या, जन्म के समय जीवन की संभावना, वयस्क महिला मृत्युदर, बालिका मृत्यु दर, शिशु मृत्युदर आदि से संबंधित तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट है कि उक्त सभी मामलों में हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर स्थिति में हैं। संपूर्ण स्थिति के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित होगा।

- समाज में व्याप्त लैंगिक विषमताओं को देखते हुए, लैंगिक रूप से संवेदनशील स्वास्थ्य नीति को बनाना उपयोगी होगा।
- स्वास्थ्य संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों का लक्ष्य मुख्यतः प्रजननशील आयुवर्ग को महिलाएं ही दिखाई देती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कन्या शिशु, बालिका (जिसे आगे चलकर मातृत्व दायित्व का निर्वाह करना है) तथा वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाए। महिलाओं के संपूर्ण जीवनचक्र को ध्यान में रखकर बनाई गई स्वास्थ्यनीति ही महिला स्वास्थ्य के संदर्भ में सफल हो सकती है।
- शैशवस्था में बालिकाओं में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पुत्री संतान की उपेक्षा, पुत्र संतान को वरीयता एवं, पोषण संबंधी लैंगिक विभेद को माना जा सकता है। इस प्रकार के महिला सामाजिक मूल्यों को नकार कर इस स्थिति से बचा जा सकता है।
- किशोरावस्था व युवावस्था में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का प्रमुख कारण लड़कियों की उपेक्षा, अपर्याप्त पोषण, जल्दी विवाह, उनके प्रति किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार, स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति अज्ञानता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता आदि हैं। महिलाओं का शैक्षिक स्तर बढ़ाकर तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करके इन कारणों को दूर किया जा सकता है।
- 30-40 आयुवर्ग की महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का प्रमुख कारण संतान के पालन पोषण का दायित्व, विविध भूमिका

सारणी संख्या–2

भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति : कुछ अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएं

क्र. सं.	जनसांख्यिकीय, मातृ स्वास्थ्य, तथा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी सूचक	विभिन्न देश			कम आय वाले देश	विश्व
		भारत	श्रीलंका	चीन		
1.	महिला जनसंख्या (कुल का प्रतिशत) 1988	48.4	49.1	48.4	49.0	49.6
2.	व्यस्क मृत्यु दर (महिला) प्रति हजार 1998	204.0	97.0	135.0	208.0	163.0
3.	बाल मृत्यु दर (बालिका) प्रति हजार 1998	42.0	9.0	11.0	48.0	41.0
4.	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार सजीव जन्मों में) 1998	70.0	16.0	31.0	68.0	54.0
5.	5 वर्ष तक के बालकों में मृत्यु दर 1998	83.0	18.0	36.0	92.0	75.0
6.	रक्ताल्पता की प्रवृत्ति 1985–99 (गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत	88.0	39.0	52.0	62.0	55.0
7.	प्रसव कार्य हेतु कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता (कुल का प्रतिशत) 1996–98	35.0	–	–	35.0	52.0
8.	जन्म के समय कम भार वाले शिशु (कुल जन्मों का प्रतिशत) 1992–98	33.0	18.0	6.0	21.0	17.0
9.	मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति एक लाख सजीव जन्मों में 1990–98	410.0	60.0	65.0	–	–
10.	प्रति हजार व्यक्तियों में फिजीशियन की संख्या 1990–1998	0.4	0.2	2.0	1.0	15.0
11.	प्रति हजार व्यक्तियों में अस्पताल में विस्तरों की संख्या 1990–1998	0.8	2.7	2.9	1.8	3.3

स्रोत–वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट (2000 : 33–110)

के साथ-साथ निर्वाह का भार तथा घरेलू हिंसा आदि देखे गये हैं। इस आयुवर्ग की महिलाओं के दायित्वों में परिवार के अन्य सदस्यों की भागीदारी से उनकी स्वास्थ्य दशाओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

- प्रौढ़ावस्था व बृद्धावस्था में महिलाएं प्रायः पाचन, श्वास जैसी शारीरिक बीमारियों तथा अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से ग्रस्त रहती हैं। इसका मुख्य कारण भी स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, उन तक पहुंच न हो पाना तथा इस प्रकार की समस्याओं के प्रति अपर्याप्त समझ का होना है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा महिलाओं की इस प्रकार की समस्याओं के प्रति समझ उत्पन्न कर इन्हें समाप्त किया जा सकता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में दो प्रकार के उपाय किये जाने की आवश्यकता है। (1) तात्कालिक उपाय (2) दूरगामी उपाय। तात्कालिक उपायों में, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि, उन तक महिलाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना तथा समय-समय पर महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण को शामिल किया जा सकता है।

परंतु महिला स्वास्थ्य के संदर्भ में दूरगामी उपायों को अपनाये बिना हम तात्कालिक उपायों का लाभ भी नहीं उठा सकते। महिलाओं की संपूर्ण सामाजिक प्रास्थिति को उन्नत करना तथा पारम्परिक सामाजिक मूल्यों को महिलाओं के पक्ष में करने हेतु गहन व स्थायी उपायों का अपनाना, आदि महिला स्वास्थ्य संबंधी दूरगामी उपायों का अंग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं की आर्थिक स्थिति उत्पन्न करना, उन्हें आर्थिक उपार्जन हेतु सक्षम बनाना, उनके शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाना आदि भी ऐसे दूरगामी उपाय हो सकते हैं जो महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य के स्तर को भी ऊंचा उठायेंगे। इससे न सिर्फ एक स्वस्थ महिला समाज का निर्माण होगा बल्कि महिला समाज का निर्माण होगा बल्कि महिला कल्याण व विकास के लक्ष्यों को भी सफलता से प्राप्त किया जा सकेगा। ❑

(लेखिका कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल में रीडर हैं)

ग्रामीण महिलाएं और आर्थिक विकास

डा. शारदानन्द सिंह

किसी भी विपरीत परिस्थिति का प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर दोहरा पड़ता है। स्वभाव और अभाव से भी विपरीत परिस्थिति का निर्माण होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। गांव में उत्पादित विभिन्न उत्पादों में महिलाओं का कठिन श्रम लगा होता है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, जिनमें खेत से बाजार तक सिर्फ महिलाओं का ही योगदान होता है। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम का प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर परोक्ष रूप से अब देखने को मिल रहा है। पहले महिला उत्थान का दायित्व केन्द्र एवं राज्य सरकारों के हाथों में था। अब आर्थिक नीतियों में बदलाव के कारण निजी क्षेत्र तथा स्वयंसेवी संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। विदेशी निवेश के कारण विदेशी प्रभाव ने भी महिलाओं को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद का दुष्प्रभाव भी महिलाओं के पारिवारिक जीवन में आया है।

कई वर्षों से जारी आर्थिक विकास का प्रभाव महानगर के रास्ते धीरे–धीरे ग्रामीण महिलाओं पर भी परिलक्षित होने लगा है। महानगरों एवं नगरों में विभिन्न प्रकार के महिला संगठन आर्थिक सुधार जागरूकता कार्य में लगे हैं। फिर भी महिलाओं की सभी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से गांव की महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास जागा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जनसभा, साहित्य, संस्कृति एवं मीडिया की अब भूमिका तेजी से बदल रही है। सभी को उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद प्रभावित कर रहा है। हमेशा से शिक्षा और ग्रामीण महिलाओं का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध रहा है। शिक्षा को महिला सशक्तिकरण का आधार माना गया है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता काफी कम है। गांव में बालिका शिक्षा हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन कम होता है। विद्यालयों में भौतिक व्यवस्था का घोर अभाव है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में माता–पिता बालिकाओं को दूर भेजकर पढ़ाना नहीं चाहते। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का भी अभाव है। ग्रामीण बालिका अनेक परेशानियों के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। फलतः वयस्क साक्षरता शिक्षा में महिलाओं की ही भीड़ केन्द्रों पर मिलती है। इन्हीं सब कारणों से भारत सरकार ने 30 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले जिलों में त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम चलाया है। गांव से जो महिलाएं शहरों में काम की खोज में आईं हैं वे निरक्षर होती हैं और अधिकांशतः ऐसी महिलाओं के माता–पिता और पति भी निरक्षर होते हैं। सिर्फ सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों द्वारा हम ग्रामीण निरक्षरता को दूर नहीं कर सकते हैं। अन्य व्यवसायों की तरह ही निजी क्षेत्र को शिक्षा में भी निवेश करना चाहिए।

पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार नहीं कम हुआ क्यों? क्योंकि महिलाएं शिक्षित नहीं हैं। परदे के पीछे से पुरुष ही पंचायती राज व्यवस्था म अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। निरक्षर जनप्रतिनिधि द्वारा कैसे होगा महिला समाज का उत्थान? शिक्षा के अभाव में महिलाओं का आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता। पंचायत में महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार की सरकारी एवं गैर–सरकारी योजनाएं हैं। लेकिन योजनाओं का वास्तविक लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से अभी भी ग्रामीण महिलाएं मौत का शिकार बन रही हैं। महिला स्वयं–सहायता समूह, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। अशिक्षा के कारण सभी कार्यक्रम धराशायी हो जाते हैं। खेती और पशु पालन से सम्बन्धित सभी कार्यों में महिलाओं का योगदान है और यही उनके उत्पीड़न का महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक आपदाओं और मनुष्यजनित विपदाओं दोनों ही स्थितियों का महिलाओं को ही सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास तभी हो सकता है जबकि स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योग द्वारा ही वस्तुओं/उत्पादों का निर्माण हो। स्थानीय बाजार का नगरों एवं महानगरों से सम्पर्क–सूत्र हो। शिक्षा और आमदनी का रोजगार साथ–साथ चलना चाहिए तभी महिलाओं का विकास संभव है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति होने के कारण निजी क्षेत्र का रुझान शहरी क्षेत्रों की ओर अधिक रहता है। निजी क्षेत्र चाहे तो ग्रामीण महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्री को भी अपने बाजार में उतार कर, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकता है। उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक विकास में सहायक बना सकता है। सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना ग्रामीण महिलाओं के लिए 18वीं सदी में जीने को बाध्य करेगा। ❑

(लेखक राज्य साधन केन्द्र–दीपायतन पटना से सम्बद्ध हैं)

युवा महिलाओं में एड्स का बढ़ता प्रकोप

डा. सूर्य भान सिंह

युवा महिलाओं में एच.आई.वी./एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों के कारण एड्स के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर तरह के संक्रमण में एच.आई.वी. (एड्स) सबसे घातक बीमारी है इसलिए युवा महिलाओं को एड्स की शिक्षा देने तथा इससे बचाव का तरीका अपनाने और स्वास्थ्य की सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। युवा महिलाओं में एच.आई.वी. संक्रमित होने का खतरा अधिक है क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एच.आई.वी. से संक्रमित होने का जोखिम ढाई गुना अधिक होता है। उनमें इस जोखिम के मुख्य कारणों में एड्स के बारे में जानकारी का अभाव, एच.आई.वी. रोकथाम सेवाओं तक उनकी पहुंच न होना, यौन सम्पर्क के दौरान सुरक्षा के उपाय और महिलाओं में नियंत्रित एच.आई.वी. रोकथाम पद्धतियों का अभाव आदि शामिल है। एड्स के बारे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सन् 2000 के अंत तक विश्व में 3.6 करोड़ लोग एच.आई.वी. से संक्रमित थे जिनमें से करीब 47 प्रतिशत महिलाएं थीं। यही वजह है कि एच.आई.वी. संक्रमित महिलाओं को न केवल समाज में बल्कि एड्स के खिलाफ संघर्ष में बहुमूल्य योगदान देना होगा।

एड्स का पूरा नाम 'एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियेन्सी सिण्ड्रोम' है। जिसका अर्थ है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का अंत हो जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को संक्रमण एवं बीमारियों से बचाती है। इस तरह के वायरस से फैलने वाला संक्रमण रोग प्रतिरोधक क्षमता का अंत कर देता है। 1981 में सर्वप्रथम कैलीफोर्निया में एड्स के संक्रमण पाए गये थे। इस प्राणघातक रोग की खोज सर्व प्रथम अमेरिका के डा. माइकल गोलफेव ने की थी। 1984 में एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के एड्स वायरस एशोसियेटेड टीटी वायरस को बाद में इसका नाम 'ह्यूमन इम्यूनो वायरस' (एच.आई.वी.) रखा गया। एड्स संक्रमण का मुख्य कारण एड्स से ग्रसित स्त्री–पुरुषों के शारीरिक संबंध स्थापित करने पर, एड्स संक्रमित व्यक्ति का रक्त अन्य व्यक्तियों को चढ़ाने पर तथा एड्स आपरेशन में प्रयोग किये जाने वाले औजारों से, इंजेक्शन लेने वाली सुइयों तथा इससे नशीली दवा लेने वालों को एड्स से अधिक खतरा रहता है। यह बीमारी संक्रमित माता द्वारा गर्भस्थ शिशुओं में भी फैलती है।

भारत जैसे विशाल देश में एड्स जैसी महामारी की गिरफ्त में आने से पहले हमें अपना तंत्र ठीक कर लेना चाहिए। 1981 में पहला एड्स रोगी पाए जाने के बाद पूरी दुनिया में अब तक लगभग दो करोड़ लोग इसका शिकार हो चुके हैं तथा लगभग 4 करोड़ लोग एच.आई.वी. के कीटाणु से संक्रमित हैं। वर्ष 2003 में लगभग 48 लाख नए रोगियों में आधे से ज्यादा 15 से 24 वर्ष के आयु के युवा हैं। इसी वर्ष पूरी दुनिया में लगभग 7 लाख बच्चे एच.आई.वी. से संक्रमित हुए हैं। अब तक पूरी दुनिया में डेढ़ करोड़ बच्चे अपने माता–पिता को खो चुके हैं जिसमें 90 प्रतिशत एच.आई.वी. पीड़ितों की आयु 15 से 49 वर्ष के बीच है। दक्षिण अफ्रीका में लगभग ढाई करोड़ लोग एच.आई.वी. से पीड़ित हैं तथा 65 लाख एड्स रोगी दक्षिण एशिया में हैं जिसमें अकेले भारत में 51 लाख एड्स पीड़ित बताए जाते हैं। इनमें 31 लाख ग्रामीण तथा 20 लाख शहरी क्षेत्रों में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 6 स्थानों पर हाईरिस्क जोन, उत्तर प्रदेश में कानपुर, कर्नाटक में बेल्लारी, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, बिहार में किशन गंज, राजस्थान में उदयपुर तथा मिजोरम में अलबल है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष चार एच.आई.वी. संक्रमित लोगों में एक एशिया का है तथा प्रत्येक सात एच.आई.वी. संक्रमित लोगों में से एक भारतीय है। वर्ष 2006 तक अनुमान है कि सर्वाधिक एच.आई.वी. संक्रमित भारत में होंगे। भारत में गरीब महिलाएं एड्स के बारे में लगभग अनजान हैं। वर्ष 2010 तक भारत में लगभग ढाई करोड़ लोग एच.आई.वी. से पीड़ित होंगे जिसमें युवा महिलाओं की संख्या अधिक होगी।

भारतीय महिलाओं में एड्स फैलने का मुख्य कारण जानकारी का अभाव है। भारत में एच.आई.वी. संक्रमण के 75 प्रतिशत मामले इतरलिंगी यौन सम्पर्क से हुए हैं और इनमें से एक तिहाई महिलाएं हैं। व्यावसायिक महिला सेक्स वर्कर को इस रूप में देखा जाता है कि वह अनैतिक सम्बंधों से पुरुषों में एच.आई.वी. संक्रमण का संचार करती हैं। महिलाओं को समाज से परित्याग, उपेक्षा, बेसहारा होने तथा समाज व परिवार से बहिष्कार जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि जब किसी महिला को एड्स का पता चलता है तो उसे ग्लानि, चिंता, अपराध बोध, आघात, आत्म सम्मान की क्षति से जूझना पड़ता है। इससे मनोवैज्ञानिक दबाव महिलाओं को अन्य नशीली दवाओं के इस्तेमाल के प्रति दुष्प्रेरित करता है।

विश्व मानव रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत में प्रत्येक 5000 एड्स पीड़ित रोगियों पर एक ही प्रशिक्षित चिकित्सक है तथा एंटी रिट्रो वायरल थैरेपी के देश में कुल 25 प्रतिशत शिक्षक ही हैं। निजी चिकित्सा के मामले में विकसित देशों सहित दुनिया के मात्र 17 ऐसे देश हैं जहां भारत से ज्यादा धन निजी चिकित्सा के क्षेत्र में खर्च किया जाता है। हमारे देश को भी एड्स के फैलाव और उपचार का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एड्स के विस्तार की भयावहता ने विश्व के सारे देशों की नींद उड़ा दी है। भारत एड्स के अलावा अन्य बीमारियों की चपेट में पहले से ही है। देश में लगभग 5 करोड़ हृदय रोगी, 6 करोड़ मधुमेह, 5 करोड़ के बीच

अस्थमा तथा हेपेटाइटिस–बी से पीड़ित हैं जाहिर है कि भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं पर पहले से ही दबाव अधिक हैं। ऐसे में एड्स जैसी महामारी से लड़ने के लिए वह कितना तैयार हो पाएगा। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इस रोग की रोकथाम के लिए अब तक न तो कोई टीका और न ही कोई उपचार विकसित किया जा सका है। ऐसे में एड्स के विस्तार को एड्स की जानकारी के आधार पर ही रोका जा सकता है।

भारत में रक्तदान के मामले में एच.आई. वी. टेस्ट बाध्यकारी होना चाहिए। एक बार उपयोग की जाने वाली सुई का पुनः उपयोग न हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। एड्स फैलने के 4 प्रमुख कारकों की जानकारी हर हालत में आम आदमी तथा विशेषरूप से महिलाओं को होनी चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाना अति आवश्यक है। सर्वाधिक विस्तार की सम्भावना वाले 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम में जागरूकता प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाई जानी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या एड्स से पीड़ित महिला की सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा की है। सरकारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम उन महिलाओं की अनदेखी कर रहा है जिसकी आने वाले वर्षों में सर्वाधिक प्रभावित समूहों में गणना होगी। विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग को एड्स के प्रति अपने दृष्टिकोण में नया रूप देना होगा। एड्स को स्वास्थ्य सेवाओं के समूचे परिदृश्य पर ध्यान देना होगा ताकि महिलाओं की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं तक हो और वे इसका इस्तेमाल एड्स के बचाव में कर सकें। चिकित्सा उपायों के जरिए एड्स को रोकने के उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। इन उपायों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार शामिल है ताकि सुरक्षित रक्त बैंक, उपकरणों को समुचित विसंक्रमित किया जा सके।

एड्स एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी गम्भीर चुनौती केवल वैज्ञानिकों, चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए है सम्पूर्ण मानव जाति के लिए है। इस परीक्षा की कठिन घड़ी में हमारा एक ही सच्चा हितैषी है – 'हमारा अपना संयमी जीवन' इसी के बल पर हम एड्स की चुनौती का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए 'एड्स का ज्ञान बचाए जान' की जानकारी अधिक सहायक है। विश्व में एच. आई.वी. ग्रसित व्यक्तियों में से लगभग 12 प्रतिशत भारत में पाए गये हैं। यदि समय रहते इस बीमारी की रोकथाम नहीं की गई तो यह बीमारी एक महामारी का रूप ले सकती है। इसके लिए एड्स के विषय में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता है। जानकारी ही एड्स का एकमात्र इलाज है विशेष रूप से युवा महिलाओं को एड्स के प्रति जानकारी देकर एड्स जैसी भयानक बीमारी से लोगों को बचाया जा सकता है। ❑

(लेखक एम.एम.पी.जी. कालेज, कालाकांकर, प्रतापगढ़ में रीडर एवं विभागाध्यक्ष हैं)

एड्स के खतरे से मुकाबला

सृजता साहा साहू

विश्वभर में चार करोड़ से ज्यादा लोग एड्स से पीड़ित हैं और इनमें से आधे या उससे अधिक 25 वर्ष की आयु से कम हैं। अफ्रीका में मृत्यु की प्रमुख वजह और विश्व में मृत्यु की चौथी वजह एड्स है। कुछ अफ्रीकी देशों में, संक्रमण दर युवकों की अपेक्षाकृत युवतियों में पांच गुना ज्यादा है। भारत भी कोई अपवाद नहीं है। वास्तव में यह दुखद तथ्य है कि भारत में 51 लाख लोग एचआईवी पॉजिटिव वायरस से ग्रस्त हैं और इनमें लगभग 38 प्रतिशत महिलाएं हैं। यद्यपि यह देश की कुल आबादी का एक प्रतिशत से भी कम है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विश्व में भारत एचआईवी/एड्स पीड़ितों के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। विश्व में चार करोड़ में से 10 प्रतिशत और–पैसेफिक क्षेत्र के 74 लाख पीडितों में से 60 प्रतिशत पीड़ित भारत में हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संठन (नैको) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 में कुल एड्स पीडितों की संख्या 91,080 है। दर्ज एड्स मामले के संक्रमणात्मक अध्ययन के अनुसार इस रोग से यौन रूप से सक्रिय आयु वर्ग के लोग ज्यादा पीड़ित हैं। एचआईवी संक्रमण (87.7 प्रतिशत) से ग्रस्त ज्यादातर लोग 15 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। एड्स संक्रमण का प्रमुख कारण विषमलिंगी संपर्क (85.7 प्रतिशत) है। इसके बाद इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाइयों का सेवन (आईडीयू), खून चढ़ाना और अन्य कारण है। एड्स मामलों के सर्वेक्षण से पता चला है कि न केवल सेक्स वर्कर्स, इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाएं लेने वालों और असुरक्षित यौन संपर्क करने वालों के अलावा आम महिलाएं और बच्चे भी एड्स से पीड़ित हैं। वर्ष 2004 में 22 प्रतिशत ऐसी एचआईवी पीड़ित महिलाएं हैं जिनका संपर्क एक पुरुष तक सीमित है। इनमें से कई ने यह संक्रमण अपने बच्चों तक को दे दिया। देश में छह राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड में एचआईवी व्यापकता ज्यादा है।

भारत सरकार ने इस भयानक बीमारी से लड़ने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय एड्स रोकथाम कार्यक्रम फेज–2 (1999–04) के लिए वित्तीय बजट 1,425 करोड़ से बढ़ाकर 1941 करोड़ रुपये कर दिया है। नेको ने एड्स, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता से भी इस क्षेत्र में अतिरिक्त आर्थिक स्रोत एकत्रित किया है। इसके अलावा, बिल और मेलिन्डा गेट्स फांउडेशन ने भी बीस करोड़ अमरीकी डालर देने का वायदा किया है।

सरकार एचआईवी और एड्स मरीजों के मानव अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित तथ्यों पर एक अध्यादेश लायेगी। यह कानून नेको की पहल पर बनाया जा रहा है। नेको को उम्मीद है कि यह कानून इस बीमारी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार कर सकेगा।

(लेखिका पत्र सूचना कार्यालय, कोलकाता में सूचना सहायक हैं)

ब्यूटी पार्लर : एक उभरता व्यवसाय

अनिता वर्मा

सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता। सौन्दर्य निखारने के व्यवसाय ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाया है। आज आधुनिकता और फैशन के दौर में इसकी अहमियत बढ़ती जा रही है। इस व्यवसाय को आप स्वरोजगार के रूप में आरंभ कर सकते हैं। यदि आप लोगों की सौन्दर्य संबंधित जरूरतों को समझने और उनको पूरा करने में सक्षम हैं तो इससे न सिर्फ अपना व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं बल्कि अच्छी आय और शोहरत भी हासिल कर सकते हैं।

प्रशिक्षण संस्थान : आज पूरे भारत में विभिन्न संस्थानों में संबंधित कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में ब्यूटिशीयन के अंतर्गत आने वाले पर्सनल ग्रूमिंग से संबंधित कोर्स से लेकर व्यावसायिक स्तर के कोर्सों का आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मेकअप, हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग, बॉडी केयर, मसाजिंग, नेल आर्ट, टेटू आदि सभी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के पश्चात् व्यक्ति अपना एक अच्छा ब्यूटीपार्लर खोल सकता है। प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थानों में विशेषज्ञों को बुलाने की व्यवस्था की जाती है। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति आगे चलकर ब्यूटी पार्लर को ही अपना व्यवसाय चुनते हैं। इसके साथ ही कोई सामान्य व्यक्ति इन संस्थानों से आर्थिक स्थिति के कारण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाता तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार तथा कुछ गैर-सरकारी संस्थान भी कम लागत पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। समाज कल्याण विभाग, जन शिक्षण संस्थान, पालिटेक्निक्स तथा प्राइवेट ब्यूटी पार्लर से भी इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है, यहां से आप पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना भविष्य संवार सकते हैं। अतः इस व्यवसाय को आप तीन तरीके से संचालित कर सकते हैं :

● स्वयं का पार्लर खोलकर, ● घर के एक हिस्से को ब्यूटी पार्लर का रूप देकर, और ● मोबाइल ब्यूटी पार्लर यानी ग्राहक के घर जाकर सेवाएं देना।

व्यवसाय की शुरुआत : एक मध्यम स्तर का ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कम से कम पच्चीस हजार रुपये की आवश्यकता होती है। इससे अच्छे, टिकाऊ किस्म के उपकरणों में निवेश करना अति आवश्यक है क्योंकि काम की गुणवत्ता इन्ही पर निर्भर करती है। पार्लर की शुरुआत किराए की दुकान लेकर उसको पार्लर का रूप देकर आरंभ कर सकते हैं और यदि दुकान लेने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप घर के ही किसी कमरे को ब्यूटी पार्लर का रूप देकर आरंभ कर सकते हैं। समय की बढ़ती मांग और जरूरत के कारण यह घर-घर में खुलने लगे हैं। अधिकतर पार्लर अब घरों में संचालित किए जा रहे हैं, इसका एक और लाभ यह हुआ है कि महिलाएं अपने घर में ही किसी कमरे में इसको चला रही हैं, इससे वे अपने परिवार और व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं। मोबाइल ब्यूटी पार्लर में यह सुविधा है कि वे ग्राहक के घर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। वे छुट्टियों के दिन लोगों के घरों में, लड़कियों के हॉस्टल्स में जाकर सेवाएं प्रदान करती हैं।

उपयोगी उपकरण : एक ब्यूटी पार्लर खोलने में उससे संबंधित सभी उपकरण जैसे – अच्छे आइने, आरामदायक कुर्सी, हेयर ड्रायर्स, अच्छी रोशनी व हवादार कमरे का प्रबंध होना चाहिए। इस व्यवसाय में ग्राहकों पर अच्छी गुणवत्ता वाले सौन्दर्य प्रसाधनों का ही उपयोग करना चाहिए। अन्यथा आज के समय में साठ प्रतिशत बिमारी त्वचा संबंधी हो रही हैं। अतः कंघी, ब्रश, रोलर्स, स्टीम ब्लोअर, स्प्रेयर, तौलिए, गाऊन इत्यादि को साफ-सुथरा व देखने में आकर्षक होने चाहिए। बदलते तौर तरीके और लोगों की पसंद के साथ नए उपकरणों तथा सौन्दर्य प्रसाधनों की जानकारी इन व्यवसाय के लिए बेहद जरूरी है। अतः इसके लिए आप को बदलते ट्रेन्ड के अनुसार कैटलॉग, नई मैगजीन, कटिंग से सम्बन्धित पोस्टर, मॉडल्स् के हेयर स्टाइल वाले पोस्टर्स आदि से अपने पार्लर को आधुनिक रूप दे सकते हैं।

पार्लर की साज–सज्जा : किसी भी ब्यूटी पार्लर की साज-सज्जा विशिष्ट प्रकार की होनी चाहिए। जैसे पार्लर के दरवाजे, पर्दे, शो केस आदि को खूबसूरती से सजाएं। जिस प्रकार फोटो स्टूडियो में अपने खीचे हुए अच्छे फोटोग्राफ को अपने शो केस में रखते हैं ताकि आने वाले ग्राहक उनको देखें, उसी प्रकार अपने द्वारा मेकअप किए ग्राहकों की तस्वीरों को भी लगा सकते हैं। हल्की म्यूजिक की व्यवस्था पार्लर की जान होती है क्योंकि ग्राहक फ्री होकर वहां आता है और रिलेक्स महसूस करना चाहता है। अतः आन्तरिक सज्जा के साथ-साथ बाहरी साज-सज्जा से भी अच्छे परिणाम सामने आते हैं।

अनुभवी विशेषज्ञ : इस क्षेत्र में कई तरह के विशेषज्ञों का आगमन हुआ है जैसे – केश विन्यास विशेषज्ञ, त्वजा विशेषज्ञ, कॉस्मेटिक विशेषज्ञ, विवाह विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ, बाल विशेषज्ञ आदि। विवाह विशेषज्ञ के लिए निर्धारित समय सीमा में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए साथ ही भिन्न-भिन्न मौकों पर अलग-अलग तरह के मेकअप की जानकारी होनी चाहिए। फेशियल, मैनीक्योर, पैडीक्योर, मेकअप, हेयर स्टाइल, साड़ी-लहंगों को भांति-भांति पहनाने के तरीकों की जानकारी, मेहदीं कला तथा आधुनिकता में चार चांद लगाते 'टैटू' की जानकारी, रोज के बदलते कट्स व ट्रंड्स की जानकारी होनी चाहिए तथा अलग-अलग लोगों की जरूरतों की समझ हो ताकि आप उनकी अपेक्षा के अनुरूप सेवा प्रदान कर सकें।

प्रचार–प्रसार : किसी भी व्यवसाय को आरम्भ करने के पहले उनका प्रचार-प्रसार करना आवश्यक है जिससे लोगों को आपके व्यवसाय, स्थान व सेवाओं की जानकारी हो। प्रचार-प्रसार हेतु आप अपने आस-पास के क्षेत्रों में पर्चे बटवां दें तथा छोटे-छोटे बोर्ड तथा बैनर आदि भी टंगवां दें। स्थानीय केबल चैनल पर भी अपने व्यवसाय का विज्ञापन अपनी क्षमता अनुसार प्रसारित करवा सकते हैं।

ब्यूटी पार्लर आज के दौर में सबसे चमकता हुआ कैरियर है। यदि आप दिल व मन लगाकर इस क्षेत्र में उतरते हैं तो अपने व्यवसाय के साथ-साथ दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

जल संकट और राष्ट्रीय जल नीति

हरप्रीत कौर

जल में मिश्रित विषाक्त कीटाणु एवं जहरीले रसायन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्ध पेय जल की मात्रा में निरंतर कमी आज विश्व की भयावह समस्याओं में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण पर मानवीय वर्चस्व ने एक ओर अतिवृष्टि तथा बाढ़ जैसी समस्याओं को जन्म दिया है तथा दूसरी ओर धरातल पर उपलब्ध जल के रूप में परिवर्तन करके जीवनोपयोगी पेय में कमी ला दी है। वर्तमान में इस समस्या से न केवल विकासशील देश ही जूझ रहे हैं, बल्कि इसकी भयावहता से विकसित देश भी चिंतित होने लगे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि तृतीय विश्व के देशों में घरेलू कचरे के निष्तारण ने जल को विषाक्त बनाया है तथा विकसित विश्व में रेडियोधर्मी तत्वों तथा औद्योगिक रसायनों से खतरा उत्पन्न हुआ है।

जल संकट के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण इन उत्तरदायी कारकों में स्थानीय भू-क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों की अव्यवस्था है। इस गम्भीर समस्या से निजात पाने हेतु सरकारी और गैर–सरकारी संगठन, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्षों से प्रयासरत हैं। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांकेतिक कदम वर्ष 2003 को 'अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष' के रूप में प्रतिष्ठित करना संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्घोषणा है।

जल उपलब्धता

पृथ्वी की सतह पर 70 प्रतिशत भाग जलीय है, जो महासागरों, सागरों, एवं अन्य जलीय स्रोतों के रूप में अवस्थित है। इसका 3 प्रतिशत भाग ही मृदु जल है। शेष 97 प्रतिशत खारे (लवणीय) जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3 प्रतिशत मृदु जल का दो-तिहाई हिस्सा हिमखंड, हिमनद व अन्य अनुपलब्ध स्रोतों के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व का मात्र एक प्रतिशत ही ऐसा जल है जो पेय जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका वर्षा और अन्य विधियों से नवीनीकरण होता रहता है। आज दुनिया के सामने पेयजल संकट एक विकराल समस्या के रूप में खड़ा है। इस समस्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व में हर तीसरा प्यासा भारतीय है। एक ओर जनसंख्या वृद्धि के कारण पेयजल की मांग में वृद्धि हुई है तो दूसरी ओर लोगों की बदलती जीवन शैली ने जल की मांग को बढ़ाया है। जल की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारक 'पर्यावरणीय प्रदूषण' भी है जिससे आज विश्व के देश पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं।

धरातल पर मृदु जल की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या दबाव के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्धता में निरंतर कमी आई है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 12-14 अरब घनमीटर जल मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति औसत मात्रा में कमी आ रही है। 1989 ई. में मानव उपयोग के लिए प्रति व्यक्ति 7000 घन मी. पेयजल उपलब्ध था जो कि सन 2000 में घटकर 7,800 घन मी. हो गया। यदि जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो 2025 तक अनुमानतः 5100 घन मी. हो जाएगा।

राष्ट्रीय जल संसाधन आयोग के अनुमान के आधार पर जल की नीची-ऊंची मांग के परिदृश्य में भारत में जल की कुल आवश्यकता सन् 2010 में 700 घन किमी. सन् 2025 में 850 घन किमी. तथा 2050 में 1200 घन किमी. होगी।

केवल सिंचाई कार्य के लिए सन् 2050 तक न्यूनतम 625 घन किमी. जल की आवश्यकता होगी। इसके सापेक्ष देश के चिन्हित 24 जलाशयों में अनुमानतः कुल 2000 घन किमी. जल संसाधन है। भू-आकृतिक, जलीय एवं अन्य बाधाओं के कारण इस जलराशि से मात्र 35 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जाता है। सन् 2050 तक घरेलू कार्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 111 घन किमी. तथा शहरी क्षेत्रों में 90 घन किमी. जल की आवश्याकता होने का आकलन है। इसी प्रकार, औद्योगिक कार्यों हेतु 80 घन किमी. तथा ऊर्जा-उत्पादन हेतु 65-70 घन किमी. जल की आवश्यकता होती है।

एक समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप को जल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक समृद्धशाली क्षेत्र समझा जाता था, परंतु आज उसके सबसे बड़े भाग भारत में जल सर्वाधिक ज्वलंत समस्याओं में से एक है।

एक अनुमान के अनुसार, देश के प्रमुख 10 बड़े नगरों में कुल पेयजल की मांग 14,000 करोड़ लीटर के आस-पास है परंतु इन्हें केवल 10,000 करोड़ लीटर ही उपलब्ध है। भारत में तीव्र नगरीकरण से तालाबों व झीलों जैसे परंपरागत जल स्रोत सूख गये हैं। बंगलौर में 262 जलाशयों में 181 का सूख जाना, द. दिल्ली क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर 200 मी. से नीचे चले जाना, चेन्नई व आस पास के क्षेत्रों में प्रति वर्ष 3 से 5 मी. भूमिगत जल स्तर में कमी आदि इस समस्या की गंभीरता की ओर संकेत करता है। जल संसाधन आयोग के अनुसार, अनुमानतः 2025 तक गंगा जैसी 11 प्रमुख नदियों में बेसिन में पानी की कमी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे 90 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।

पिछले दशकों में भारत में राज्य सरकारों व नगरपालिकाओं ने पेयजल आपूर्ति के स्रोत के वास्तविक मामले की ओर ध्यान देने की अपेक्षा जल शोधन संयंत्रों की स्थापना और घरों तक पाईप-लाइन बिछाने पर ज्यादा ध्यान दिया है।

जल संकट एवं प्रदूषण विश्व परिप्रेक्ष्य

जब जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक स्वरूप में परिवर्तन इस स्तर तक आ जाये कि उसके रंग व स्वाद में विकृति के साथ दुर्गंध उत्पन्न होने लगे तो वह जल की श्रेणी में आ जाता है।

विभिन्न स्रोतों के जल की गुणवत्ता का मापन उनमें घुले आक्सीजन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसे जैव रासायनिक आक्सीजन की मांग (बीओडी) कहते हैं। यह आक्सीजन उस मात्रा का द्योतक है जिसका सूक्ष्म जीवाणु, जल में मिले अपशिष्ट पदार्थों को कार्बनडाईआक्साइड तथा जल में परिणत करने में उपयोग होता है।

1976 में यूएनईपी की शाखा जीईएमएस ने 59 देशों में 450 केंद्रों पर जल प्रदूषण की गुणवत्ता सम्बंधी आंकड़े लेने शुरू किए थे, परंतु उसके अभी तक व्यवस्थित नहीं हुए।

अब तक उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर 1970 ई. तक मिसीसिप्पी नदी का बीओडी प्रति लीटर 2.4 किग्रा., राइन में 6.1 किग्रा., इसी प्रकार भारत में, गोमती नदी का बीओडी 1.6 किग्रा., है। गंगा जो सर्वाधिक पवित्र नदी थी अब उसकी गणना विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में की जाने लगी है। कानपुर के नीचे इसके जल का बीओडी 1.8 किग्रा. प्रति लीटर है।

इसी प्रकार, चीन की 78 बड़ी नदियों में से 54 मल प्रवाह व औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित हैं। मलेशिया की 40 बड़ी नदियां तेल, नारियल, रबर परिष्करण के अपशिष्ट, मल-प्रवाह, औद्योगिक अपशिष्ट से बुरी तरह से प्रदूषित हैं। बैंकाक के निकट चायोफ्रामा इतनी प्रदूषित है कि इसके जल में अब आक्सीजन का नितांत अभाव हो गया है जिससे इसकी स्वयं शुद्धि की करने की क्षमता समाप्त हो गई है। यही नदी थाइलैण्ड के लिए कभी मछली प्रोटीन प्राप्ति का साधन थी किंतु अब भारी धातुओं, क्लोरोकॉर्बन, तेल, कचरे, टिन धुलाई के कारण विषाक्त एवं निर्जीव होकर गंदे नाले के रूप में बह रही है। रोम की टीबर नदी में प्रतिदिन 2 लाख गैलन मल प्रवाह रिकार्ड किया गया है जो इंग्लैण्ड की सभी नदियों में प्रवाहित कचरे की कुल मात्रा से अधिक है। न सिर्फ टीबर नदी बल्कि इसके मुहाने पर स्थित समुद्री तट पर भी स्नान करना वर्जित है।

इसी प्रकार, भूमध्य सागर की तटवर्ती जनसंख्या द्वारा प्रतिवर्ष 10 अरब टन घरेलू एवं औद्योगिक मल तथा अपशिष्ट डाले जाते हैं। इससे इसके तटवर्ती क्षेत्र अधिक प्रदूषित हैं। इसके अतिरिक्त इसमें चलने वाली पेट्रोवाही पोतों से निःसृत पेट्रोल के कारण इसका जल अति प्रदूषित हो गया है। यूएनईपी के महासचिव, तोल्बा के अनुसार भूमध्यसागर के जल से लोग भयग्रस्त हो गए हैं कि ये मरणासन्न है जो कभी मानव के विकास में समुद्र के लाभकारी प्रभाव का प्रतीक था, वही अब विनाशकारी प्रभाव का प्रतीक बन गया है। भूमध्य सागर को प्रदूषण से बचाने के लिए यूएनईपी की महत्वाकांक्षी योजना बनायी गई है जिसके अंतर्गत मेड-पोल अर्थात् भूमध्यसागर के प्रदूषण स्तर का लेखा-जोखा किया जा रहा है।

भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	प्रति व्यक्ति (मी.^{3})
1951	361	5177
1991	846	2209
2001	1027	1820
2025	1394	1341 (अनु.)
2050	1640	1140 (अनु.)

इसके अतिरिक्त नीले पानी की झीलों के प्रदूषण की स्थिति भी कम भयावह नहीं है। नार्वे, स्वीडन, फीनलैंड की 20,000 झीलों का जल अम्लवृष्टि से बुरी तरह प्रभावित है। जापान की सबसे बड़ी झील 'बीवा-जो' 25 लाख वर्ष पुरानी है तथा 1 करोड़ 3 लाख लोगों के पेयजल का स्रोत है, पिछले 3 दशकों से अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। इन्हीं में, सुपीरियर झील जिसके किनारे पर स्थित लौह व सिल्वर कारखानों से पिछले 50 वर्षों से प्रतिदिन 67,000 टन का लौह-धातु धुलाई से निकला गंदा स्राव झील के पानी में मिल रहा है जिससे अनेक पर्यावरण सम्बंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

प्रदूषण की समस्या मात्र जल तक सीमित नहीं है, इससे भूमिगत जल भी बुरी तरह प्रभावित है। डेनमार्क में कृषि उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से पिछले 30 वर्षों में भूमिगत जल में नाइट्रेट का स्तर 5 मिलीग्रा. प्रति ली. से बढ़कर 14 मिलीग्राम प्रति ली. हो गया है यद्‌ि जल में नाइट्रेट का अंश 45 मिलीग्राम प्रति ली. हो जाए तो पानी पीने योग्य नहीं रहता है।

अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में पेयजल की समस्या कितनी भयंकर हो सकती है। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में औरतें रात-भर जागती हुई कतार लगाये बैठी रहती हैं ताकि सुबह तक कुंओं में स्राव से एकत्र जल को प्राप्त कर सकें।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारतीय जनमानस की अवधारणा है कि हमें पेय जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतएव इसके संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देना नहीं चाहिए। देश में कुल स्वच्छ जल की मात्रा 19 अरब घन मी. है, जिसका 86 प्रतिशत नदियों, झीलों व सरोवरों में उपलब्ध है। परंतु कुल उपलब्ध जल का लगभग 70 प्रतिशत में कमोवेश प्रदूषकों का मिश्रण हो गया है।

प्रतिदिन 48 प्रथम श्रेणी के नगर तथा 70 द्वितीय श्रेणी के नगर गंगा नदी में गंदे जल को छोड़ते हैं। कानपुर के 10 किमी. पहले गंगा का जल गुणात्मक दृष्टि से संतोषप्रद पाया गया है, परंतु भैंरोघाट पम्पिंग स्टेशन के पश्चात इसमें प्रदूषण तेजी से बढ़ता है। आगे के वस्त्र मिलों एवं चमड़ा शोधक कारखानों से निःसृत जल के मिलने से 10 किमी. नीचे तक अत्यंत प्रदूषित है।

गंगा में औद्योगिक स्रोतों से प्रदूषण बरौनी के बाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। बाटा जूता कारखाना, मैक्डोवल डिस्टलरी तथा तेल शोधक कारखानों से मिलने वाले दूषित जल के कारण गंगा के इस भाग में मछलियां मर जाती हैं। 1968 ई. में तेल शोधक संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट की वजह से मुंगेर के पास गंगा नदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी।

यमुना का जल दिल्ली और आगरा के समीप सर्वथा नहाने के योग्य नहीं रह गया है। चम्बल नदी से कोटा के कारखानों से

निःसृत अपद्रव्य मिल जाने से वहां जल-जीव नष्ट हो गये हैं।

गोमती नदी में लखनऊ से 65 किमी. तक कागज कारखानों व नगरीय नालों से निःसृत अपद्रव्य मिलने से प्रदूषण स्तर अत्यन्त उच्च हो गया है। अपेक्षाकृत कम जल राशि होने के कारण इस नदी का स्वतः प्रक्षालन क्षमता निम्न है। इसी प्रकार दामोदर आसनसोल से दुर्गापुर तक गोदावरी नदी राजमुद्री के निकट तथा कावेरी नदी मैदानी क्षेत्रों में अत्यंत प्रदूषित हो गयी है।

जल संसाधन धन संरक्षण

मार्च 1977 में अर्जेंटिना में आयोजित विश्व जल सम्मेलन के अनुसार यदि सम्पूर्ण विश्व में उपलब्ध जल को 1 गैलन के बराबर माना जाए तो उसमें स्वच्छ जल मात्र आधा चम्मच होगा। मात्र 0.390 प्रतिशत जल नदियों, झीलों व जलाशयों के रूप में उपलब्ध है। अतः इसके संरक्षण की आवश्यकता है। 'जल संरक्षण' का मूल तत्व पृथ्वी की सतह पर होने वाले वर्षा जल को संग्रह करके, जल से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना तथा स्वच्छ जल का निश्चित भंडार बनाये रखना है। जल संरक्षण के अंतर्गत जल चक्र के वर्षा से लेकर समुद्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना सबसे बड़ा कार्य है। चूंकि उपभोग में आने वाले जल सदैव समुद्र की ओर जाने को प्रवृत्त होते हैं, अतः इसकी गति को कम करके इसका अधिकाधिक प्रयोग करना जल संरक्षण का प्रमुख सिद्धांत है।

घने वन जल के सर्वोत्तम संचयक होते हैं। वनों को ऐसा जलाशय माना जाता है जिसमें कभी भी अवसादन होने की संभावना नहीं होती है। वर्षा का जल जब वनाच्छादित भूमि की सतह पर गिरता है, वह पत्तियों व अन्य बिखरे पदार्थों तथा मिट्टी के जैव पदार्थों से भूमि में प्रवेश करके अन्यत्र झरनों व नदियों के रूप में प्रकट होता है। अतः अधिक वर्षा वाले भागों में वन लगाने से संरक्षण होता है।

जल संरक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ाने से है। मृदा जल की अधिक मात्रा सोख सकती है तथा नम रह सकती है। जिसमें जैव-पदार्थों की मात्रा अधिक हो। इस प्रकार मृदा में जैव पदार्थों को बढ़ाना भी जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

सतह पर नदियों में प्रवाहित जल के संरक्षण के लिए कृत्रिम बांध का निर्माण आवश्यक है। बांध जल के प्रवाह को नियंत्रित करके संरक्षित करते हैं। बांध नदियों में बाढ़ को रोकने तथा प्रवाह को नियमित करने के अतिरिक्त जल के विविध रूप सुविधाएं बढ़ा देते हैं। जलाशयों के जल को सिंचाई हेतु प्रयोग बांधों की वजह से ही सम्भव हो पाता है। जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि में इनकी विशेष उपयोगिता है।

जल संरक्षण का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है, इसका अधिकाधिक उपयोग है। इसके बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई हेतु जल का उपयोग श्रेष्ठकर है। भारत में सिंचाई व जल विद्युत हेतु कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित हैं। सिंचाई एवं ऊर्जा केंद्रीय बोर्ड के अनुसार भारत में जल विकास का प्रमुख लक्ष्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है।

जल क्रांति के महत्वपूर्ण सूत्र

- जलनीति एक मंत्रालय के अंतर्गत हो।
- जल प्रबंधन स्थानीय समुदाय के पास होना चाहिए।
- जल की उपलब्धता के अनुसार ही फसल का चयन होना चाहिए।
- शहर-कस्बों की घरों की छतों पर जल का संचयन अनिवार्य है।
- शहरी क्षेत्रों में जल का वितरण का निजीकरण हो।

जल संरक्षण के लिए इसमें मिलाए जा रहे अवशिष्ट पदार्थों से भी जल को दूषित होने से बचाना है। इस हेतु कारखानों व नगरों के पनालों से निकलने वाले जल को नदी में मिलने से पहले स्वच्छ करना तथा नदी में मिलने से पूर्व क्लोरीन मिलाकर साफ करना एवं अपशिष्ट पदार्थों का उर्वरक निर्माण हेतु प्रयोग करना। दूसरा आसान तरीका है, ऐसे जल को जलकुम्भी से आच्छादित सरोवर में डालना चाहिए। नए शोधों से ज्ञात हुआ है कि जलकुम्भी जल स्वच्छ करने का माध्यम है। इस पर आधारित बायोगैस सन्यंत्र भी चलते हैं। इसके अतिरिक्त इसे चारे में मिलाकर पशुओं को भी खिलाया जा सकता है, जिससे उन्हें प्रोटीन, विटामिन व खनिज मिलेगा।

नई राष्ट्रीय जल-नीति 2002

- सभी प्रकार के जीवन प्रकारों को पोषणीय आधार पर बनाये रखने हेतु, आवश्यक पर्यावरण के रूप में वृहत्तर पारिस्थैतिकी प्रणाली के एक भाग के रूप में पहली बार जल को एक कीमती 'राष्ट्रीय परिसम्पत्ति' के रूप में चिन्हित किया गया।
- सम्पूर्ण अपवाह बेसिनों के समन्वित तथा बहुपक्षीय प्रबंधन हेतु नदी बेसिन संगठनों एवं सुविकसित सूचना प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल-संसाधनों की आयोजना, विकास एवं प्रबंधन पर विशेष बल।
- जल-आवंटन की प्राथमिकताओं का निर्धारण निम्न प्राथमिकता क्रम के अनुसार होना चाहिए। पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत, पारिस्थितिकी, कृषि उद्योग एवं उद्योग, नौकायन व अन्य उपयोग आदि।
- प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक घटकों की पहचान जैसे– पर्यावरणीय विकासात्मक घटक, भूमिगत जल, बाढ़ नियंत्रण, समुद्री क्षरण, पुनर्स्थापना, परियोजना आयोजन में अंतर्राज्यीय वितरण, सहभागिता दृष्टिकोण, निजी क्षेत्रक सहभागिता आदि।
- प्रदूषित जल-प्रबंधन में जल-स्रोतों को 'प्रदूषित करने वाली संस्थाओं से प्रदूषण की लागत की वसूली' के सिद्धांत को पालन करने जैसी व्यवस्था को अपनाया।
- विद्यमान जल-निकायों को अतिक्रमण से संरक्षित करने एवं जल गुणवत्ता में आ रहे ह्रास को रोकने के लिए कानून बनाना है।
- जल-संसाधनों के विकास एवं प्रबंध हेतु समेकित प्रयास किए जाएं ताकि जल का अनुकूल व पोषणीय उपयोग किया जा सके।
- जल के परिमाण व गुणवत्ता का एकीकरण।
- प्रत्येक राज्य सरकार अपनी अलग जलनीति घोषित करके 2 वर्ष के भीतर उसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे।
- नदी बेसिनों के लिए संगठन बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा।

राष्ट्रीय जल नीति-2002 सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान रखते हुए, उपभोग योग्य जल संसाधनों के समन्वित विकास व निकासी की दिशा में सराहनीय पहल है। आवश्यकता इस बात की है कि नदी जल उपयोग में प्रत्येक राज्य अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाएं। ❑

(लेखिका लखनऊ वि. वि. में शोध छात्रा हैं)

जल संरक्षण : महती आवश्यकता

जेठाराम

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अगर जल नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रकृति की अमूल्य सम्पदा है जल। जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे कोई भी जिन्दा नहीं रह सकते। प्रकृति में विशाल मात्रा में पाया जाने वाला जल संसाधन हमें केवल सीमित मात्रा में उपलब्ध हो रहा है क्योंकि पृथ्वी के 70.87 प्रतिशत भाग पर वितरित जल का 97.2 प्रतिशत भाग अथाह महासागरों में पड़ा है जो लवणीय होने के कारण मानवीय उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। जल की निरन्तर बढ़ती मांग एवं घटती गुणवत्ता के कारण जल संकट उद्‌भूत हुआ है। जल की महत्ता का एक प्रमाण यह है कि यह जिधर से होकर गुजरा, इसने आबादी के साथ सभ्यताओं को जन्म दिया उन्हें सजाया-संवारा और आज जब पानी की कमी हो रही है, अनेक स्थानों पर त्राहि-त्राहि मची है तो यह भी चिन्ता जग उठी है कि पानी के लिए युद्ध छिड़ सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में सभी देशों से हमारे पानी विवाद जारी हैं, साथ-साथ पानी के परस्पर सदुपयोग की तलाश भी जारी है।

जल मानव की पहली जरूरत है फिर वह चाहे स्वास्थ्य और जीवित रहने के लिए हो या फिर खाद्यान्न उत्पादन और दूसरी आर्थिक गतिविधियों के लिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में पानी को मूलभूत अधिकार के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे भावना यही है। कि जल को इतनी बुनियादी चीज माना गया है कि उसे अलग और स्पष्ट तौर पर उल्लिखित करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं की गई। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह रंगहीन, गंदहीन, स्वादहीन द्रव मानव, जीव-जंतु और पेड़ पौधों के विकास और वृद्धि की बुनियादी शर्त है। जल का विकल्प केवल जल है और इसकी किल्लत मानवता को बुरे से बुरा दिन दिखा सकती है।

पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जल है। अंतरिक्ष में भी तीन चौथाई अंश जल का है और हमारे शरीर में भी तीन चौथाई है। हमारे चारों ओर जो जल है उसमें एक है पीने के लिए, दूसरा खेती करने के लिए। गर्मियां शुरू होते ही पानी के लिए त्राहि-त्राहि शुरू हो जाती है। पानी सीमित है और उसकी एक-एक बूंद अनमोल है। देश में उपलब्ध जल का 15 प्रतिशत ही हम उपयोग करते हैं शेष 85 प्रतिशत बहकर समुद्र में चला जाता है। भारत में अल्प वर्षा और अवर्षा के कारण पेयजल की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया, साथ ही फसलें नष्ट हो जाती है और पशुओं को पिलाने व खिलाने जैसी भयंकर समस्या का पैदा होना भी स्वाभाविक ही है। देश में ऐसे क्षेत्र हैं, जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तरफ नदियों में इतना जल उफान पर रहता है कि बाढ़ की समस्याओं से जूझना पड़ता है। अधिक बरसने वाले पानी का विशाल भंडार सुलभ हो सके अथवा उसका नहरों के माध्यम से पीने, सिंचाई, बिजली उत्पादन जैसे कार्यों में उपयोजन हो सकता है।

परंपरागत जल संरक्षण की सफलता का मुख्य आधार जल का अनुशासित, विवेकपूर्ण एवं मर्यादित उपयोग एवं धरती के भू-जल दोहन करने से पहले भू-जल का पुनः भरण मुख्य चिंतन था। आज जरूरत है पारंपरिक संरचनाओं पर काम करने के लिए जल संरक्षण परंपरा के प्रति सम्मान का भाव बढ़ाने और इस ज्ञान संपदा को आत्मसात करने की। मनुष्य का जल स्रोतों के दोहन का लालच अकाल को जन्म देता है। जल को निजी संपत्ति मानकर खर्च करना नहीं रुका तो शायद हमारी भावी पीढ़ियों को पानी की जंग लड़नी पड़ सकती है। जल संरक्षण के लिए वर्षा ऋतु काल से पहले तत्काल योजनाएं बनाई जाएं और उनकी क्रियान्विति के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को व्यक्तिशः उत्तरदायी बनाया जाए। पानी के दुरुपयोग पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए। वास्तव में पानी आपसी सहयोग का माध्यम बनना चाहिए तथा जल संसाधनों का उपयोग मनुष्य को आपस में समुचित वितरण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पानी की कमी के कारण जल संसाधनों के प्रबन्धन एवं उचित वितरण पर ध्यान देने की आज महती आवश्यकता है।

हमारे देश में जल संकट के कई कारण हैं। जैसे देश की बढ़ती आबादी, शहरीकरण, औद्योगिक और कृषि में जरूरत से ज्यादा उपयोग, जल संरक्षण हेतु छोटे बांधों, तालाबों और एनीकेट्स के रखरखाव के लिए पंचायत समितियों और जिला परिषद स्तर पर बजट का प्रावधान होना चाहिए और इन कार्यों के लिए इन संस्थाओं की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। वर्षा के दिनों में घरों की छतों के पानी को भी मकानों में छोट-छोटे कुंड बनाकर जमाकर उसे घर की सफाई, नहाने धोने तथा लॉन आदि में देने के काम में लिया जाना चाहिए। जल समस्या से निबटने के लिए वर्षा जल का प्राचीन और नई दोनों विधियों से यथासंभव अधिकतम संग्रहण किया जाना चाहिए। खेती के लिए बूंद-बूंद और फव्वारा पद्धति से सिंचाई के लिए प्रोत्साहन देना अत्यावश्यक है, क्योंकि इससे पानी की बहुत बचत हो सकती है। पानी धरती की अनमोल राष्ट्रीय संपदा है। इसके असंतुलित उपयोग तथा वर्षा जल के संरक्षण के घटते प्रयासों के कारण ही नाजुक स्थिति उत्पन्न हुई। जल

(शेष भाग पृष्ठ 43 पर)

संकट के समय जल रिजर्व फंड

हरिश्चन्द्र व्यास

समुदाय यदि जल का वितरण योजनाबद्ध रूप से करे तो अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ अथवा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों की स्थिति में भी अपनी सुरक्षा कर सकता है। लेकिन इसके लिए अनुशासित जीवन होना अति आवश्यक है। वैदिक काल में समाज की यही स्थिति थी। उसे भविष्य की ओर देखकर चलना आता था। वृहद देवता सूत्र (6:137:38) के अनुसार एक बार अनावृष्टि के समय इन्द्र ने ऋषियों से पूछा "इस महान संकट के समय आप लोग किस कर्म से जीवित हैं?" ऋषियों ने उत्तर दिया, "हे राजन। गाड़ी, खेत, कृषि न बहने वाला जल (तालाब), वन समुद्र और पर्वतों से हम जीवित हैं।" यानी जीवन का संपूर्ण आधार हुए प्रकृति के वे तत्व, जिनकी हम प्रायः उपेक्षा करते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सोचें कि जल जैसा प्रकृति का स्रोत अपने रिजर्व कोटे में जरा-सी कटौती कर दे अर्थात् पानी को राशन कार्ड के हिसाब से देना शुरू कर दे तो इंसान का क्या होगा? अभी तो प्रकृति पानी मुफ्त में मुहैया करवा रही है, यदि यह कम पड़ जाए तो मनुष्य कितने दिन जीवित रह सकता है? प्रकृति के पानी जैसे तत्व पर भरोसा करें तो घोर अनावृष्टि के बीच में भी वे हमारी रक्षा कर सकते हैं। उनके पास अपाना रिजर्व फंड है। यदि संभलकर चलें तो संकट के समय वह रिजर्व फंड हमारे काम आ जाएगा पर यदि लापरवाही से उसे खर्च कर दिया जाए या लूट-खसोट की जाए तो संसार का सत्य नहीं, शमशान का सत्य ही सामने आएगा।

देश में जल के अनुचित वितरण के फलस्वरूप आज हम संकटमय स्थिति से गुजर रहे हैं। जल की ब्यर्थता रोक कर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करके ही हम अपने लिए तथा भावी पीढ़ी के लिए जल प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन-जल, इंसान, वनस्पति तथा समस्त जीव जगत के लिए जीवन का आधार है जिसका प्रकृति में जलीय-चक्र क्रम निरंतर चलता रहता है। यह हमारे पीने तथा घरेलू उपयोग के साथ-साथ सिंचाई एवं असंतुलित औद्योगीकरण के संचालन के लिए अनिवार्य अवयव समझा जाता है। लेकिन देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अधिक वर्षा होती है जबकि मरुस्थलों में केवल 20 इंच या इससे भी कम। इनके बीच का क्षेत्र है जहां वर्षा 40-80 या 60 इंच होती है। देश में कुछ क्षेत्र नियमित रूप से बाढ़ जैसी विपदाओं से घिरे रहते हैं। भारत के एक भाग में लगातार तीन वर्ष सूखा पड़ता है तो दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ से नुकसान होता है। हमारे लिए इसके प्रमुख स्रोत नदियां, झीलें, जलाशय, तालाब, झरने, कुएं एवं पाताल फोड़ कुएं आदि प्रमुख हैं। जनसंख्या विस्फोट एवं औद्योगीकरण के फलस्वरूप महासागरीय और सागरीय जल को भी विभिन्न प्रविधियों द्वारा शुद्ध करके उपयोजन हेतु हम प्रयासरत हैं। भारत जल-संसाधन की दृष्टि से समृद्धशाली राष्ट्र होते हुए भी जल की उपलब्धि असमान होने के कारण हमें जल संकट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अपशिष्ट जल का शोधन करके हम उद्योगों एवं कृषि जैसे कार्यों में उपयोग ले सकते हैं, इससे जल की कमी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जल से होने वाले नुकसान की पीड़ा अत्यधिक वेदनामय है। जल-आपूर्ति के लिए भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल-स्तर द्रुतगति से नीचे जा रहा है। लवणयुक्त जल का अन्तर्वर्धन एवं भूमि तल का अवनमन जैसी विकट समस्याएं परिलक्षित हो रही हैं। देश के नगरों और महानगरों से लेकर ग्रामीण जनमानस तक पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। ऐसी संकटमय स्थिति से बचने के लिए जल जैसे प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन पाइपों द्वारा इस प्रकार हो कि उसका अपव्यय रोका जा सके। जलाशयों एवं नहरों को पक्का बनाने से संचित जल को भूमि सोख नहीं पाएगी जिसकी मात्रा 10 से 30 प्रतिशत तक हो सकती है। हमारे लिए ये स्रोत लंबी अवधि तक सहज ही उपयोजन हेतु उपलब्ध रहेंगे। जल के वाष्पीकरण के फलस्वरूप होने वाली जल-हानि को राकने में जल-टैंकों को ढकने की व्यवस्था उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

राजस्थान तथा अन्य मरु-प्रदेशों में जहां वर्षा नाममात्र (2 से 3 से.मी. वर्षा) की होती है और कभी-कभी तो तीन-तीन वर्षों तक जल की बूंद तक नहीं पड़ती, ऐसे क्षेत्रों के लोगों के लिए कुएं ही उपलब्ध हैं। आवश्यकता के लिए ही उपयोग करने की अभिवृत्ति का विकास करने से ही यह कुएं हमें पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाते रहेंगे अन्यथा इनका जल-स्तर कम होता रहेगा और जल-आपूर्ति में भयंकर अवरोध पैदा हो जाएगा। कुओं के जल स्तर के नीचे होने प्रतिफल में अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। अधिक जल संसाधन वाले क्षेत्रों में पानी को बांध बनाकर एकत्र करने से कुओं के पानी का स्तर कम होने लगा है। जब बांध नहीं बने थे, नदियां-नाले जहां-जहां से प्रवावित होते थे वहां भूमिगत जल के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों को भी पहुंचते थे। लेकिन बांधों द्वारा जल को रोक लेने से यह क्षेत्र शुष्क हो गए। यहीं से जल संकट की स्थिति पैदा हो गई। हमने ही अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए वनों को काटकर जल संकट जैसी स्थिति को पैदा किया है। वनस्पति एवं जल को अयोन्याश्रित कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नगरीकरण व औद्योगीकर जल संकट पैदा

हरने के प्रसंग में एक-दूसरे पर दोषारोपण करते करते हैं, परंतु वस्तुस्थिति तो यही है कि दोनों ने ही जल का अत्यधिक दोहन करके जल की प्राकृतिक स्थिति को विकृत करने में अहम् भूमिका निभाई ही है। जिसके फलस्वरूप पीने के पानी का भी संकट पैदा हो गया है। भूमिगत जल के उपयोग पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जल संकट से छुटकारा मिल सके। जल संरक्षण हेतु विश्व बैंक के सहयोग से समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना तथा राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना लगभग दस वर्षों से क्रियाशील है। इन परियोजनाओं से जल संरक्षण के सम्बन्ध में अच्छी प्रगति की सम्भावना है।

अभी समय है, संभल जाएं अन्यथा पानी के अभाव में तड़प-तड़प कर मरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। यदि हमें पानी को अनावश्यक रूप से बरबाद ही करना है तो हमारा कल्याण परमात्मा भी नहीं कर सकेगा। ईश्वर की इस सृष्टि का आनन्द हम तभी उठा पाएंगे जब वैदिककालीन भारत के समान जल (वरूण) व जलाधिपति इन्द्र की हृदय से प्रार्थना करने की अभिरुचि जागृत करने का सफल प्रयास करेंगे और वरूण (जल) की सन्तुलित वितरण व्यवस्था का हर सम्भव प्रयत्न करेंगे तब हम अकाल और बाढ़ जैसी विभीषिकाओं से भी छुटकारा पाने में सफल हो सकेंगे। अन्यथा हम जल-शरणार्थी बने रहेंगे। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

(पृष्ठ 41 का शेष)

जल संरक्षण ...

संरक्षण के लिए शासकीय घोषणाओं को अमलीजामा पहनाना आवश्यक है।

विकसित देशों में जल रिसाव 7 से 15 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह 20 से 25 प्रतिशत तक है। जल संरक्षण हेतु कुछ घरेलू एवं सटीक उपाय इस प्रकार हैं :

- नल को कभी भी खुला ना छोड़ें।
- जहां तक हो सके शॉवर का इस्तेमाल ना करें इसकी जगह बाल्टी का उपयोग करें।
- पानी की टंकियों को ओवरफ्लो होने न दें।
- पाइप लाइनों में पानी के रिसाव होने पर त्वरित रोकथाम करें।
- बासी पानी फेंकने के बजाय बर्तन या कपड़े धोने के काम में लें।
- गार्डन में पाइप से पानी देने की आदत छोड़ें एवं फर्श तथा बर्तन धोने के बाद बचा पानी पेड़-पौधों में डालें।
- होली जैसे त्योहारों पर पानी का उपयोग बंद कर सूखे रंगों से होली का आनन्द लें।

इस प्रकार पानी की एक-एक बूंद को बचाए जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। पेयजल बचत के लिए घरों में पानी के टांकों का निर्माण, जल के विलासितापूर्ण उपयोग पर प्रतिबन्ध, वनों का विस्तार, बांधों और झीलों की गहराई बढ़ाने, जल बचत पर शिक्षा एवं सूचना व्यवस्था को मजबूत करना, युवा वर्ग एवं बच्चों से जल बचत की दिशा में सहयोग लेना, जनसहभागिता पर जोर, प्रेस व मीडिया का सहयोग, दृढ राजनितिक इच्छाशक्ति आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देश में जल की बढ़ती मांग एवं जल के घटते स्तर को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त सुझाव अपनाकर इन्हें क्रियान्वित करना भविष्य के संदर्भ में सटीक होगा। पानी की व्यवस्था में पानी बचाना और संभालना भी एक महत्वपूर्ण आयाम है।

"रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून
पानी गये न ऊबरे, मोती मानुष चून"

(लेखक जय नारायण व्यास वि.वि., जोधपुर में शोध छात्र हैं)

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में सहस्राब्दी लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा

ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में सहस्राब्दी लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पेयजल आपूर्ति विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। डा. सिंह ने चार लक्ष्यों वंचित/अंशतः वंचित पर्यावासों में, 2.16 लाख गुणवत्ता प्रभावित प्रयावासों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी और सतर्कता कार्यक्रम की शुरुआत और पूर्ण स्वच्छता अभियान के कारगर क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता देकर उन्हें साकार करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को साकार करने के लिए यह अत्यावश्यक है जिसे राष्ट्रीय न्यूनतम साझाा कर्यक्रम में भी शामिल किया गया है।

बैठक में इस बात का भी संकेत किया गया कि इस दिशा में 61 प्रतिशत धन लगाया जा चुका है और विभाग ने बजट राशि का अपूर्ण उपयोग किया है।

मंत्रालय द्वारा किए गए नए प्रयासों के तहत पेयजल आपूर्ति विभाग को वंचित/अंशतः वंचित और गुणवत्ता प्रभावित पर्यावासों को कार्यक्रम के दायरे में लाने के लिए अक्तूबर 2004 में 246 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी गई है जिसे राज्यों को वितरित किया गया है। यह विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इस वित्त वर्ष के दौरान समुदाय आधारित एक राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी और सतर्कता कार्यक्रम चलाने के लिए कदम उठाने जा रहा है।

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

जल निधि संरक्षण
राष्ट्रीय एवं सामाजिक दायित्व

घनश्याम वर्मा

राजस्थान के बून्दी जिले के अधिकांश भागों में भूजल स्तर में गिरावट होती जा रही है। पिछले दो दशक के आंकड़े बताते हैं कि जिले में भूमिगत जल के स्तर में भारी गिरावट आई है। सर्वाधिक गिरावट नैनवां क्षेत्र में दर्ज की गई है। कमोबेश यही स्थिति हिण्डोली, केशवराय पाटन, नैनवां तथा तालेड़ा विकास खंडों की भी है, जिनमें मानसून पूर्व जल स्तर नीचे गिरता ही जा रहा है। भूजल वैज्ञानिकों का कहना है कि भूमिगत जल स्तर में कमी आने के अनेकानेक कारण हैं। प्रतिवर्ष होने वाली बरसात में कमी आना, वर्षा जल का ठहराव नहीं होना, सिंचाई कार्यों के लिए अन्धाधुंध कुओं तथा नलकूपों की खुदाई होना, जिले के तीन चौथाई चट्टानी भाग में संग्रहित जल का खनन कार्यों के कारण खाली हो जाना, अनियंत्रित जल दोहन तथा जल संरक्षण के संसाधनों की कमी होना कतिपय प्रमुख कारण हैं।

इनके अलावा और भी अनेक कारण हैं, जिनकी वजह से हम जलनिधि को सुरक्षित एवं संरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। बढ़ती आबादी की समस्या अकेले बून्दी जिले की ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण हाडौती अंचल और पूरे प्रदेश की समस्या है। हो सकता है यह समस्या आज हमें उतना परेशान नहीं करे, परंतु हमारी भावी पीढ़ी को तो इसके दुष्परिणाम भोगने ही होंगे। तब इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की ही मानी जाएगी, जो इस वक्त जनसंख्या वृद्धि में योगदान दे रहें हैं।

बढ़ती आबादी के साथ हमारी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती जा रही है, जिससे जल उपभोग की मात्रा बढ़ना स्वाभाविक है। कुओं का पानी खीचने में मशक्कत करने की अब जरूरत ही नहीं रही। बिजली का स्विच ऑन करते ही नलकूपों से जलधारा फूट पड़ती है। अनगिनत हैंडपंप, चप्पे–चप्पे पर बोरिंग, शहरों में सार्वजनिक नलों, कार्यालयों तथा घरों में पानी का अविवेकपूर्ण उपयोग किए जाने से भी जल स्तर में गिरावट तथा जल राशि की समाप्ति के कारण हैं। गांवाई तालाबों, कुओं-बावड़ियों को हमने उपेक्षित छोड़ दिया है या कचरा पात्र बना देने से वे अब जल निधि के संग्रहण का साधन नहीं रहीं।

जिले में जल संकट के समाधान के लिए किए जा रहे शासकीय प्रयासों में बरसाती पानी को रोकना, चैक डेम बनाना, खेतों में बांध बनाना, बोरिंग की अन्धाधुंध खुदाई को रोकना, नहरी तंत्र को पक्का करना, वाटर शेडों का अधिकाधिक निर्माण करना, जलाशयों की मरम्मत, अधिकाधिक वृक्षारोपण कर जल एवं मृदा का संरक्षण करना, वनों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करना तथा वर्तमान एवं भविष्य में बनाए जाने वाले भवनों के साथ टांकों का निर्माण कराना प्रमुख कारगर उपायों में हैं।

भवनों के साथ टांका निर्माण कर जल संग्रहण करना राजस्थान में जल प्रबंधन की प्राचीन तकनीक है, जिसे राज्य के जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, सिरोही, पाली झुंझुनू एवं जयपुर आदि जिलों में दीर्घकाल से अपनाया जा रहा है। इस विधि को प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपनाने की आवश्यकता आ पड़ी है। अतः प्रत्येक निर्माणाधीन राजकीय एवं निजी भवनों के साथ अवतल या भूतल में एक टांका या टैंक का निर्माण किया जाना जरूरी है। इस योजना को भवन का आवश्यक अंग माना जाना चाहिए। जल संग्रहण की इस सुरक्षात्मक तकनीक से संग्रहित जल को पीने लायक रखा जा सकता है। यदि किसी कारणवश टांको का जल पीने लायक नहीं भी रहे तो भी कपड़े धोने, जानवरों को पिलाने, स्नान करने, तामीर कार्यों तथा पेड़-पौधों में सिंचाई के लिए तो काम में लिया ही जा सकता है।

पानी का दुरुपयोग रोकना तथा संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु अनेक प्रकार से सहयोग किया जा सकता है। हैंडपंपों तथा नलकूपों की निर्ममतापूर्वक खुदाई नहीं करना, भवनों के साथ टांको का निर्माण करना, हैंड पंपों तथा घरों के बाहर सोखता गड्डे बनाना, पशु पेयजल हेतु कुओं तथा हैंडपम्पों से समीप खेल बनाना, कम पानी में होने वाली फसलों को पैदा करना, अपने परिवार को छोटा रखना, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, सिंचाई कार्यों में फव्वारा एवं टपका सिंचाई पद्धतियों को अपनाना आदि कार्य करके हम जल संरक्षण में सहयोग कर सकते हैं।

इनके अलावा भी बहुत छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर भी हम पानी का अपव्यय रोक सकते हैं, जैसे सीधे नल के नीचे बैठकर या फव्वारे से नहाने के बजाय बाल्टी में पानी भरकर स्नान करें। नल लगातार खुला रखकर दैनिक कार्य और वस्त्रों की धुलाई नहीं करें। जानवरों की खेली में वाल्व खुला नहीं छोड़े। खराब टोंटियों को दुरुस्त रखा जाए। सरकारी तथा घरेलू सर्विस लाईनों के लीकेज को रोका जाए। प्रतिदिन प्रातः परेण्डी के पानी को व्यर्थ नहीं फेंकें। गार्डन में जरूरत से ज्यादा मात्रा में पेड़-पौधों को पानी नहीं दें। वाहनों तथा फर्श की धुलाई में अनावश्यक पानी की बर्बादी नहीं की जाए। ❑

(लेखक बूंदी (राज.) में सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी हैं)

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

पीने का पानी जुटाने के लिए घर की महिलाओं को कोसों दूर चलने की विवशता और दूषित पानी से जानलेवा बीमारियों का फैलाव, देश के कई हिस्सों में ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। पेयजल विभाग के राजीव राष्ट्रीय पेयजल मिशन की प्रगति को देखते हुए लगता है आने वाले कुछ वर्षों में ये समस्याएं काफी कम हो जाएंगी। इस अभियान के तहत अब तक 99.6 प्रतिशत बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। इस अभियान में अब केवल करीब 5000 गांव पूरे करने रह गए हैं। इस अभियान में महिलाओं को सक्रिय भागीदार बनाया गया है। जल और सफाई समितियां में एक तिहाई सदस्यता महिलाओं के लिए आरक्षित है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर बड़ा बल दिया है। इस अभियान में राष्ट्रीय महिला संघ (सेवा) तथा महिला व बाल कल्याण विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग की दृष्टि में यह देश के सबसे सफल कार्यक्रमों में एक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 3300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। केन्द्र में नई सरकार के गठन के बाद इसको और 248 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। सितम्बर् 2004 तक उपलब्ध धन का 50.55 प्रतिशत उपयोग किया जा चुका था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस कार्यक्रम में धन का शत-प्रतिशत उपयोग हो रहा है। पिछली योजना के मुकाबले इस योजना में इसके लिए 30 से 40 प्रतिशत अधिक धन दिया जा रहा है पर इसके साथ धन की मांग में भी भारी वृद्धि हुई है। विभाग के आकलन के अनुसार अगले के अनुसार 5 वर्षों में अतिरिक्त 32000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। अतिरिक्त संसाधनों की मांग के लिए विभाग ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को पत्र लिखे हैं।

इस मिशन का एक अच्छा पहलू यह है कि स्थानीय पंचायतें और महिलाओं के स्व-सहाय समूह बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यह अभियान सरकार, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यक्रताओं और गैर-सरकारी संगठनों के बीच तालमेल की सफलता का उदाहरण बताया जा रहा है। पर ऐसा नहीं कि इसमें कोई अड़चन या समस्या ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी सुलभ कराना एक बहुत बड़ा तथा भारी चुनौती का काम है। ग्रामीण इलाकों में भू-गर्भ जल पर अधिक है। ग्रामीण पेयजल की 85 प्रतिशत योजनाएं जमीन के अंदर के पानी पर निर्भर है।

किसी भी योजना या कार्यक्रम की सफलता के लिए निगरानी सावधानी और संतुलन जरूरी है। पानी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से एक संवेदनशील मुद्दा है। पानी का जीवन से सीधा संबंध है और इसे पंचतत्वों में गिना जाता है। पानी के इस्तेमाल की निगरानी जरूरी है।

पानी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बारे में केन्द्र को बनाने का कोई अधिकार नहीं है। किसान जमीन के अन्दर के पानी कर मुख्य रूप से सिंचाई के लिए अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। इससे निरंतर पानी मिलते रहने में समस्या उत्पन्न हो रही है।

भू-गर्भ जल का अंधाधुंध और अनावश्यक दोहन रोकने के लिए पेयजल की नियमित आडिट की व्यवस्था होनी चाहिए। पर ऐसा लगता है कि देश में अर्थपूर्ण उपयोग में किसी की रुचि नहीं है। इस विषय में सामाजिक चेतना जरूरी है।

जल आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखना इस अभियान की एक और चुनौती है। आपूर्ति पानी को प्रदूषित होने से बचाना पड़ता है। पानी को तभी सुरक्षित कहा जाता है जब कोई जैविक विकार, जैसे हैजा, टाइफाइड या अन्य बीमारियां पैदा करने वाले कीट, विषाणु और कोई रसायनिक विकार जैसे फ्लोराइड, लोहा, आर्सेनिक और नाइट्रेट की अधिक मात्रा तथा खारापन न हो।

जैविक प्रदूषण या विकार मानवीय गतिविधियों से भी पैदा होता है। यह मल-मूत्र, मानव जनित कचरों और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण होता है। उर्वरकों के हिसाब प्रयोग से भी पानी का जैविक प्रदूषण उत्पन्न होता है।

रासायनिक प्रदूषण धरती की परत की देन है। धरती की परत में उपस्थित रासायनिक तत्त्व किन्हीं कारणों से जब जमीन के अंदर के जल में मिलने लगते हैं तो उस जल में रासायनिक विकार पैदा हो जाते है।

वर्षों से पानी की मांग में लगातार तेजी से वृद्धि होने का कारण इसकी कमी होने लगी है। जिन गांवों में पानी की बहुत अधिक किल्लत है उनकी पहचान कर ली गई है।

पेयजल आपूर्ति अभियान में मुख्य रूप से जिन मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है उसमें हर स्थान के साथ न्याय, संसाधनो और प्रणालियों की निरंतरता, जमीन के जल स्तर में गिरावट को लेकर आधार रही समस्याओं का निदान शामिल है। अभावग्रस्त गांवों तक शीघ्रातिशीघ्र पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें राज्यों और सघं शासित क्षेत्रों को ऐसे गांवो में योजना के लिए शत-प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया। बाद में कार्यक्रम को अभियान का रूप देने का निर्णय हुआ और 1986 में पेयजल प्रबंध

(शेष भाग पृष्ठ 48 पर)

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल

एक स्वस्थ समाज के लिए शुद्ध पेयजल प्रमुख आवश्यकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और पेयजल की शुद्धता से जुड़ी समस्याओं वाले क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

राष्ट्रीय पेयजल मिशन की 1986 में स्थापना की गई थी जो पांच प्रौद्योगिकी मिशनों में से एक है। ग्रामीण भारत में शुद्ध पेयजल और आधारभूत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना और उस पर लागत कम करना इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य था। इस मिशन के माध्यम से कुछ चुनिंदा समस्याओं के किफायती और कारगर समाधान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी साधनों के इस्तेमाल और बेहतर जल और स्वच्छता प्रबंधन पर जोर दिया गया। वर्ष 1991 में इस मिशन का नाम बदल कर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन रखा गया।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को केन्द्र प्रायोजित **त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम** के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य वार धन आबंटन किया जाता है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या डी.डी.पी. डी.पी.ए.पी और एच.ए.डी.पी के अंतर्गत पहाड़ी/बंजर इलाकों का फैलाव और गुणवत्ता प्रभावित गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए राज्य सरकारें अपने हिस्से के रूप में भारत सरकार को बराबर धन देती है। ग्रामीण जनसंख्या के 99.6 प्रतिशत भाग को इसके दायरे में लाया गया है जबकि इस मिशन की शुरुआत के समय 56 प्रतिशत आवास क्षेत्र ही इसके दायरे में थे। इसके दायरे में 3,54,673 समस्या मूलक गांवों और 8,12,066 अन्य गांवों/आवास क्षेत्रों को लाया गया है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कोष का 20 प्रतिशत भाग इस क्षेत्र के सुधार/स्वजलधारा के लिए, 5 प्रतिशत भाग डी.डी.पी क्षेत्र के लिए और 5 प्रतिशत आकस्मिक जरूरतों के लिए विशेष रूप से अलग रखा जाता है। इस कार्यक्रम का शेष धन राज्यों को दिया जाता है ताकि वे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और जल संसाधनों को नवजीवन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं में उसका इस्तेमाल कर सकें। सामुदायिक भागीदारी के साथ 22 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र के 370 जिलों में 8900 से भी अधिक स्वजलधारा परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

कुछ चुनिंदा जिलों के लिए 1999 में क्षेत्र विकास परियोजना शुरू की गई और दिसम्बर 2002 में स्वजलधारा के माध्यम से पूरे देश को इसके दायरे में लाया गया। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम समुदाय आधारित और मांगो के अनुसार चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल साधनों के संदर्भ में स्वामित्व पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है।

जल जांच प्रयोगशाला

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के द्वारा जिला स्तर पर जल जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक जिले को 5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने अब तक 430 जिला प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी है जिनमें से 252 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा चुकी है। राज्य सरकारों ने 158 अतिरिक्त जल जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों को 23 मोबाइल प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

अनुसंधान और विकास

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जल आपूर्ति हेतु किफायती प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए मिशन की ओर से अनुसंधान और विकास की 135 परियोजनाएं मंजूर की गई, जिनमें से 89 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है।

राष्ट्रीय दूर-संवेदी एजेंसी 1:50000 के स्केल पर आधारित जल-भूसंरचना का मानचित्र बनाने में जुटा है। इससे भूजल क्षेत्रों, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और जल संभरण के स्थानों को दर्शाया जा सकता हैं। अब तक ऐसे 1732 मानचित्र तैयार करके उन्हें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात राज्यों को सौंप दिया गया है।

भूजल मानचित्र के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश में 82 प्रतिशत और केरल में शत-प्रतिशत सफलता संभावित है।

इस मिशन ने बिजली से वंचित सुदूर गांवों में जल ऊपर खींचने के लिए सोलर फोटो वोल्टेइक पम्पिंग प्रणाली का विकास किया है। ऐसी 325 प्रणालियों स्वीकृत की गई हैं और स्थापन के बाद 256 प्रणालियां काम कर रही हैं।

उप-मिशन परियोजनाएं

जैव-रासायनिक अशुद्धियों के कारण जल की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं के समाधान, गिनी वर्म के उन्मूलन, जल के खारापन दूर करने, फ्लूरोसिस नियंत्रण, अतिरिक्त आर्सेनिक और लौह-तत्व को हटाने, जल संरक्षण और भूजल संभरण के लिए विशेष उप मिशन परियोजनाएं शुरू की गई है। गिनी वर्म का

(शेष भाग पृष्ठ 48 पर)

सूरजकुंड मेला

जिल्ले रहमान

विगत 19 वर्षों से ग्रामीण पृष्ठभूमि और देसी कलात्मक उपलब्धियों को समर्पित सूरजकुंड मेला देशी-विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। खास तौर पर ग्रामीण भारत को साकार रूप में देखने और महसूस करने का यह सुनहरा मौका होता है। तीन सौ से भी ज्यादा पारंपरिक रूप से बनी कच्ची झोंपड़ियां। उनकी कलात्मक रूप से मिट्टी की रंग-बिरंगी पुताई और सरकंडों की छतें जैसा लुभावना माहौल गढती हैं, वह देखते ही बनता है। यहां लगे कीकर के पेड़ और उनकी हरियाली से आच्छादित समूचा परिवेश ऊंची-नीची पगडडियों भरे रास्ते और सजी-धजी दुकानें बरबरस ही समृद्ध लघु भारत का जीवंत नमूना नजर आती हैं। हस्तशिल्प कला के जितने सुंदर नमूने इस मेले में एक साथ देखने को मिल जाते हैं वैसे अन्यत्र शायद ही कहीं मिलें। इस बार एक से 20 फरवरी तक चले इस मेले के लिए थीम स्टेट नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। यही वजह है कि इस साल मेले में छत्तीसगढ़ी कला और वहां की सांस्कृतिक छाप चहुंओर देखने में आई। हाथ की कारीगरी के सुंदर और साखदार नमूनों की रौनक यहां लगातार बढ़ती जा रही है। यह इसी मेले की खूबी है जहां दुकानों के तौर पर रास्ते पर ही हस्तशिल्प कर्मियों की दुकानें सजी थीं। लकड़ी, बांस, हैंडलूम वस्त्रों, कढ़ाईदार पारंपरिक पोशाकों, कांच और मिट्टी के बर्तनों, शंख, सीपियों, लाख, मैटल, रबड़, मोती और कागज की लुगदी से बने सामानों की यहां भरमार रही। यह सामान इतने करीने से बनाए गए कि उपयोगी होने के साथ-साथ सजावटी भी खूब लगते हैं। काष्ठकला के आकर्षक नमूनों में खेल-खिलौनों के अलावा दैनिक उपयोग में आने वाले सामान की बिक्री यहां बड़े पैमाने पर होती है। यही वजह है कि पहले जहां विभिन्न कलाओं से जुड़े एक-एक दो-दो कारीगर यहां बाहरी राज्यों से आते थे, वहीं अब एक-एक कला से जुड़े दस-दस कारीगर अपनी कलात्मक उपलब्धियों के संग यहां आते हैं।

इस बार मेले के विशाल प्रवेश द्वार को छत्तीसगढ़ के कुशल कारीगरों ने बेहद खूबसूरत अंदाज में डिजाइन किया गया था। करीब 25 फुट ऊंचे और 30 फुट चौड़े इस प्रवेश द्वार को माता झूला से प्रेरित माना जा सकता है। रंगबिरंगे असंख्य फूलों के अलावा जानवरों और चिड़ियों की आकृतियों से द्वार को सुसज्जित कर मनोहारी बनाया गया। छत्तीसगढ़ में लोक आस्था की महान देवी दंतेस्वरी को शुभ प्रवेश के लिए द्वार पर शोभायमान किया गया। धोकरा से विभिन्न मनभावन जीव आकृतियों जैसे हिरन, वानर, आदिवासी महिलाओं, संगीत समूहों को छत्तीसगढ़ रंग में प्रवेश की लटकती दीवारों पर सजाकर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास वास्तव में कामयाब और थीम के हिसाब से सार्थक माना जा सकता है। यहां इस बार जुटे कलाकारों और हस्तशिल्पकारों में कम से कम 60 फीसदी तो ऐसे थे, जो पहले भी अपने बेहतर काम के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पाकर अपनी साख कायम कर चुके हैं। इनमें शिल्पकार एम मुनि रेड्डी और उनकी बहन मुनिरत्रमा भी हैं जो 'रामायण' को अपनी कला में ढालकर कई पुरस्कार पा चुके हैं। आने वाले दर्शकों के लिए मेले का एक बड़ा आकर्षण ऊंट और घोड़े की सवारी करना भी है। वैसे परिवर्तन के नाम पर इस बार चौपाल को नया रूप देने के साथ डिजाइनर कॉर्नर भी रखा गया, जहां देशभर से आए डिजाइनरों ने अपनी कला का प्रर्दशन किया। वैसे थीम स्टेट की भूमिका इस बार छत्तीसगढ़ ने बखूबी निभायी। 350 हस्तशिल्पयों ने यहां अपनी कला का प्रदर्शन किया। देखा जाए तो कार्य चाहे जो भी उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य जांचे तो अपनी कला का प्रदर्शन करने के साथ मुनाफा कमाना इसके प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा। एक हस्तशिल्पी शिवा ने बताया कि इस मेले में देश के हर कोने से आया कारीगर मिलकर एक हिन्दुस्तान बनाता है। अंतर सिर्फ इतना भर है कि पहले एक ही जगह के दो कारीगर थे, अब दस हैं। इस वजह से सेल पर खासा प्रभाव पड़ा। फिर पहले ये चीजें लोगों के लिए नयी थीं, अब पुरानी हो चुकी हैं। दरअसल, कला चाहे कोई भी हो जमाने के हिसाब से नये प्रयोगों की आवश्यकता उसे पड़ती ही है, जो मेहनत करता है, वह मुनाफा कमाता है। जो नहीं करता, वह तो रह ही जाता है। वहीं कांच के खूबसूरत बर्तन लेकर आये खुर्जा के कमाल खान का कहना था कि इस मेले में पहले दस्तकारों को अधिक तव्जो दी जाती थी, वहीं आज व्यापारियों का बोलबाला है। अब तो हस्तशिल्पियों और व्यापारियों के बीच अंतर नही कर पा रहे हैं। वे माल की पहचान न होने के कारण कई बार धोखे का शिकार हो जाते हैं। इन सभी बातों का हमारे फायदे पर गहरा असर हो रहा है।

उधर, आर्टीफिशियल ज्वैलरी का स्टॉल लगाने वाली दिल्ली की नसरीन खान का कहना है कि वह पहली बार इस मेले का हिस्सा बनीं। एक ही स्टॉल में दो-तीन लोगों को स्थान दिये जाने से काफी नाराज थे। जगह कम मिलने की वजह से वह अपना माल ग्राहकों के सामने ठीक से पेश नहीं कर पाए, जिसका बचत पर काफी असर पड़ा। पहले लोगों को कभी-कभार ये चीजें देखने को मिलती थीं, लोग यह सोचकर खरीदते थे कि इसे अभी खरीद लो बाद में नहीं मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय बाजारों से ज्यादा विदेशी बाजारों में फायदा अधिक होता है। कारण साफ है कि यहां कुछ प्रतिशत लोगों के पास ही पैसा अधिक है। वे ही लोग सजावट सरीखे आइटम पर अधिक खर्च कर पाते हैं। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

(पृष्ठ 45 का शेष)

राजीव गांधी ...

पर प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया। 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव पेयजल अभियान कर दिया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों तक पेयजल की सुविधा पहुंचाना है। इसका ध्येय दुर्गम को सुगम बनाना है। इसमें संसाधनों और प्राणलियों की निरंतरता सुनिश्चित करने तथा पानी की गुणवत्ता की समस्या का सामना करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

देश में करीब 216000 ऐसी बस्तियां हैं जहां शुद्ध पानी की समस्या है। इनमें से ज्यादातर गांवों में पानी में लोहे की मात्रा अधिक होने की समस्या है। उसके बाद पानी में फ्लोराइड और खारेपन की समस्या आती है।

विभाग ने 2010 तक पानी की गुणवत्ता की समस्या का समाधान करने की योजना बनायी है। इस क्षेत्र में समस्याओं के समाधान और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहयोग की आवश्यकता है। अभी निजी क्षेत्र की कंपनियां इस क्षेत्र में न के बराबर आई है। इसका कारण है कि इस प्रकार की योजनाओं में भारी पूंजी लगती है पर निवेश पर मिलने वाला प्रतिफल कम होता है। ऐसी योजनाओं में कमाई शुरू होने में अपेक्षाकृति अधिक समय लगता है। इसी कारण निजी उद्यमी इस ओर कम ही देखते हैं।

लेकिन अब स्थिति बदलने का प्रयास चल रहा है। राज्य सरकारें सुधार प्रक्रिया तेज कर रही हैं। उनके द्वारा कई गांवों को मिलाकर एक योजना शुरू की जा रही है तथा सेवा शुल्क वसूलने की भी व्यवस्था की जा सके।

देश में जल गुणवत्ता निगरानी की संस्थागत व्यवस्था तत्काल शुरू करने की जरूरत है। बढ़ते प्रदूषण और देखते हुए आने वाले समय में गुणवत्ता की रक्षा एक बड़ी चुनौती होगी। इस समस्या से निपटने की रणनीति के अंतर्गत एक समन्वित जल गुणवत्ता जांच चेतावनी व निगरानी व्यवस्था विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें जनता का सहयोग लिया गया जाएगा तथा हर जल संग्रहण क्षेत्र (सीएए) की आवश्यकतानुसार अलग-अलग रणनीति लागू का जाएगी ताकि लोगों की साफ और सुरक्षित पीने का पानी सुलभ कराया जा सके।

इस अभियान में 1985 तक 56 प्रतिशत बस्तियां में पेयजल की व्यवस्था कर गयी थी और 2004 तक यह अभियान 99.6 प्रतिशत बस्तियों तक पहुंच गया है। देश में पानी में गिनी वर्म की शिकायत पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से 2000 में इस आशय का प्रमाण पत्र मिल चुका है। शेष गांवों, फिर से समस्या में पड़ गयी बस्तियां तथा सभी ग्रामीण विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में निरंतर स्वच्छ पेयजल और साफ सफ़ाई की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करना इस अभियान का सबसे बड़ा कार्य है। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

(पृष्ठ 46 का शेष)

ग्रामीण क्षेत्रों ...

देश में पूर्णतः उन्मूलन किया जा चुका है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है।

गुणवत्ता और आवास-स्थलों का सर्वेक्षण

जल की गुणवत्ता निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की ओर से वर्ष 2000-04 के दौरान दूसरा सेम्पल सर्वेक्षण में से 5 से 10 प्रतिशत परत-आधारित थे और जल की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं वाले ब्लाकों में शत-प्रतिशत सर्वेक्षण किया गया है। इनके प्राप्त परिणामों के अनुसार 31,306 स्थान फ्लूआराइड प्रभावित, 5029 आर्सेनिक प्रभावित, 23,495 लवण प्रभावित, 13,958 नाइट्रेट प्रभावित, 1,11,201 लौह प्रभावित और 24,911 बहुविध समस्या-प्रभावित है। फिलहाल कुल मिला कर 2,09,900 आवास स्थान जल की गुणवत्ता की समस्याओं से प्रभावित हैं। पेय जल की आपूर्ति की स्थिति की जानकारी लेने के लिए 2003 में आवास-स्थानों के ताजा सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं जिसकी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा पुष्टि करायी जा रही है। इस तरह का पहला सर्वेक्षण 1991-93 में कराया गया था।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

इस मिशन के द्वारा राज्यों को उनके राज्य जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागों को योजना, देखभाल और विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्यों को कम्प्यूटीकरण और प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना के लिए 98.74 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

महिलाओं की भागीदारी

ग्रामीण जल आपूर्ति सुविधाओं के जोरदार विस्तार को सामुदायिक भागीदारी जागरूकता सृजन और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के साथ हाथों-हाथ लिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से महिलाएं लाभान्वित होती हैं, अतः ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के सभी चरणों में हैंडपंपों की जानकारी देने से लेकर ग्राम जल और स्वच्छता समितियों की सदस्य के रूप में उन्हें भागीदारी बनाया जाता है।

लक्ष्य

मिशन की योजना है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक तय समय के भीतर जोहानसबर्ग क्रियान्वयन योजना में वर्जित समय सीमा के भीतर यथासाध्य शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसके अंतर्गत सभी ग्रामीण स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों को शुद्ध पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं यथासंभव कम से कम समय में उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलाकर जल की गुणवत्ता पर नजर रखने और उसके बारे में चौकसी बरतने के लिए भी कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। ❑

(साभारः प्रेस सूचना कार्यालय)

कार्यों के आर्थिक और सामाजिक लाभ से 86 लाख नौकरियां पैदा होंगी और 2,600 करोड़ रुपये के निवेश से 6,500 करोड़ मूल्य के बाजार अवसर पैदा होंगे। यह कार्यक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्र के और अधिक विकास के लिए उपयोगी होगा। हमें अपने बांस उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए प्रबंधन कार्मिकों, उद्योग विशेषज्ञों और कॉरपोरेट घरानों का उपयोग करना चाहिए। इससे सतत विकास, धनार्जन और सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान मिल सकेगा। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान, औद्योगिक घराने, राज्य सरकार और कृषि मंत्रालय मिलकर विभिन्न ग्रामीण समूहों में अनेक बांस उद्यम स्थापित कर सकते हैं।

फ्लाई ऐश को धन अर्जक बनाना

बिजली पैदा करने के लिए कोयले के उपयोग से हर वर्ष लगभग दस करोड़ टन फ्लाई ऐश बनती है। इस फ्लाई ऐश का न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोग करने की आवश्यकता है बल्कि इसकी डंपिंग के लिए भूमि का उपयोग करना चाहिए। 1990 से फ्लाई ऐश के उपयोग में कुछ प्रगति हुई है, पर इसके शत प्रतिशत उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अभी बहुत प्रयास करने होंगे। यह जानकारी मिली है कि यदि मिट्टी के साथ फ्लाई ऐश मिली हो तो, अनाज में करीब 15 प्रतिशत, सब्जियों में 35 प्रतिशत और भूमि के भीतर उगने वाली सब्जियों में 50 प्रतिशत वृद्धि होती है। परीक्षणों से यह साबित हो गया है कि फ्लाई ऐश के कारण इनमें विषैले तत्व नहीं होते बल्कि लौह और कैल्शियम की उपस्थिति से इसमें उच्च पोषक तत्व शामिल रहते हैं। पर्यावरण अनुकूल निर्माण' सामग्री, सड़क, कृषि इत्यादि के उत्पादन में फ्लाई ऐश के उपयोग से धन अर्जित किया जा सकता है। वर्तमान में हर वर्ष 1,500 करोड़ टन तक फ्लाई ऐश उपयोग में लाई जा रही है और 50,000 लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। फ्लाई ऐश के पूरे उपयोग से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप 4,000 करोड़ रुपये का व्यवसाय होगा।

वस्त्र उद्योग

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आधारभूत कच्चा माल कपास होती है। भारत विश्व में तीसरा विशालतम कपास उत्पादक है। तथापि, विश्व के औसत 700 कि.ग्रा प्रति एकड़ बिनौला उत्पादन की तुलना में भारत में केवल 350 कि.ग्रा प्रति एकड़ बिनौला का उत्पादन किया जाता है। यह निश्चित ही देश के लिए प्रौद्योगिक दृष्टि से विचारणीय विषय है। कुछ उद्योगों ने पंजाब में एक गांव को गोद लिया है, इससे किसानों, वैज्ञानिकों, प्रशिक्षकों और उद्योग में एक सामुदायिक क्रांति आई है और 1,200 एकड़ से अधिक भूमि पर कपास की खेती शुरू कर दी गई है। किसानों के लिए मिट्टी के गुणों की पहचान, उसके साथ कपास के बीजों का मिलान, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस परियोजना के फलस्वरूप बिनौले का उत्पादन प्रति एकड़ 450 कि.ग्रा. से बढ़कर 950 कि.ग्रा. हो गया। आगत मूल्य बहुत कम होने से प्रति एकड़ आय भी सात गुना बढ़ गई। उल्लेखनीय बात यह है कि कुल उपज विश्व औसत से अधिक रही। यह मॉडल दस अन्य गांवों में भी अपनाया जा चुका है और कपास की खेती करने वाले अन्य प्रदेश भी इसका अनुकरण कर सकते हैं। भारत निश्चित रूप से वर्तमान 12 प्रतिशत की तुलना में बढ़िया कपास के कुल विश्व उत्पादन का 25 प्रतिशत उत्पादन कर सकता है। इससे राष्ट्र को प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

भारत वर्तमान में 6 अरब डॉलर मूल्य के वस्त्र निर्यात कर रहा है, जबकि विश्व व्यापार संगठन प्रणाली के लागू हो जाने से हम अगले पांच वर्षो में वस्त्र उत्पादन और निर्यात 18 से 20 अरब डॉलर तक बढ़ा सकते हैं। इससे सामान्यतः और विशेषकर गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वस्त्र निर्यात को तिगुना करके हम मुख्यतः कपास की खेती जैसे सम्बद्ध क्षेत्रों में 50 लाख प्रत्यक्ष और 70 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा कर सकते हैं। कपास अनुसंधान, प्रौद्योगिकी निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, कपास की ओटाई और पेराई करने वाली फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण और उन्हें उन्नत बनाने और सशक्त विपणन नीति के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य सेवा उद्योग रोजगार पैदा करने का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे देश में 1,800 व्यक्तियों के लिए एक डॉक्टर है जबकि कई विकसित देशों में 600 व्यक्तियों के लिए एक डॉक्टर उपलब्ध है। देशभर में नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमें दोगुने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होगी।

तीन लाख गांवों के 30,000 प्रमुख स्थानों में फैले हुए 30,000 स्थायी दूर–चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना और 20,000 मोबाइल दूर–चिकित्सा यूनिटें उपलब्ध करवा कर घर–घर तक बढ़िया स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। ये केंद्र देश के उच्च विशेषज्ञता अस्पतालों, कॉरपोरेट अस्पतालों, जिलों और राज्यों के सरकारी अस्पतालों से जुड़े होंगे। भारत के पास उपग्रह संचार नेटवर्क होने के कारण ऐसा करना संभव है।

एक विशाल जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंचाई जाएं? कुछ राज्यों में एक नवीन कार्य प्रणाली प्रारम्भ की गई है। यह प्रणाली उन नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा लाभ देती है, जो इसके सदस्य हैं और प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 रुपये बीमा किस्त देते हैं। राज्य और केन्द्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में प्रत्येक नागरिक से 10 रुपये प्रति माह लेकर इस बीमा योजना को प्रायोजित कर सकते हैं। यह बीमा लाभ ओपन हार्ट सर्जरी जैसी महंगी चिकित्सा सहित सभी प्रकार की बीमारियों के लिए दिया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में सरकार, बीमा एजेंसियों, कॉरपोरेट अस्पतालों और गैर–सरकारी संस्थाओं का ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता है जो एक ही स्थान पर सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा सके। जब यह योजना पूरी तरह से चालू हो जाएगी तो इससे और 6 लाख डाक्टरों और 12 लाख पैरा मैडिकल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के अलावा, जटिल बीमारियों का इलाज करने की हमारी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, ये कॉरपोरेट अस्पताल बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सा पर्यटकों को भी आकर्षित कर सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे हमारे वैज्ञानिक अब एचआईवी रोधी टीका बनाने के अंतिम चरण में हैं। एच आई वी विषाणुओं की रोकथाम इस कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी सफलता होगी।

ग्रामीण ज्ञान केन्द्र

बहुत जल्द, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से उपलब्ध जानकारी और अवसरों से हमारे प्रत्येक गांव में कम्प्यूटर और संयोजन उपलब्धता एक वास्तविकता में बदल जाएगी। इससे हमारे गांवों को वैश्विक जानकारी के अवसर उपलब्ध होंगे, साथ ही उन्हें ई–प्रशासन, दूर–चिकित्सा, ई–कॉमर्स और ई–न्यायपालिका के लाभ भी मिलेंगे। कम्प्यूटर की व्यापक उपलब्धता के बावजूद, वास्तव में हमारे ग्रामीणों की उन तक पहुंच नहीं हो पाएगी। इस स्थिति में, हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण सूचना अधिकारी के रूप में बिचौलिये का काम कर सके। वह ग्रामीणों को विश्व में हो रही गतिविधियों की सूचना देने का कार्य करेगा। भारत में लगभग 23 लाख ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्रामीण पंचायतों में ऐसे ग्रामीण ज्ञान केन्द्र स्थापित करने की है जो ग्रामीणों को ज्ञान द्वारा सशक्त बनाएं और ग्रामीणों के ज्ञान संयोजन के लिए नोडल केन्द्रों के रूप में कार्य करें। ये ज्ञान केंद्र ग्रामीणों से जुड़ी विशेष जानकारी के संग्रहण, डिजिटल भंडारण और उन तक ये जानकारी पंहुचाने का काम भी करेंगे। ये उन दस लाख से अधिक लोगों को सीधे अच्छा रोजगार उपलब्ध करवाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक धनार्जन को बढ़ावा देने में अपना योगदान देंगे।

ऊपर बताई गई योजनाओं से अगले पांच वर्ष में लगभग पांच करोड़ 60 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिल सकता है। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अन्य अवसर शामिल नहीं हैं। यदि हम इन योजनाओं को मिशन के रूप में अमल में लाएं तो अगले पांच वर्ष में कुल मिलाकर सात करोड़ 60 लाख नौकरियां पैदा करने की बात व्यावहारिक प्रतीत होती है। ❑

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया-II, नई दिल्ली-20 : संपादक : स्नेह राय